

53RD

ANNUAL REPORT
2012-2013

५३ वीं
वार्षिक रिपोर्ट
२०१२-२०१३



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

FIFTYTHIRD ANNUAL REPORT 2012-13



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax : (022) 2781 4225
E-mail : nafcard.org@gmail.com Website : www.nafcard.org

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.**

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2012-13 will be held on **Monday, 15th July 2013 at 12.00 Noon at Federation's Office at 701, A-Wing, BSEL Tech Park, Vashi, Navi Mumbai** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 7th August 2012 at Hotel Centaur, Srinagar, Jammu & Kashmir.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2012-13.
3. Disposal of surplus for the year 2012-13.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2013.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's remarks in Audit Report as on 31.3.2013.
6. Consideration of Annual Report for the year 2012-13.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2013-14 and fixing Audit Fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2014-15.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

**(K.K. Ravindran)
Managing Director**

Place : Navi Mumbai

Date : 18-06-2013

I. ECONOMIC SCENE

Indian economy which remained not significantly affected by the ongoing global recession during its early years started showing signs of succumbing to the global trend in the last two years. The GDP growth which came down to 6.2% in 2011-12 suffered a further steep fall to 5% in 2012-13 with the growth rate of agriculture and allied activities slowing down to 1.8% from 3.6%, industries to 3.1% from 3.5% and services sector which accounts for more than half of the GDP, to 6.6% from 8.2% over the previous year.

The saving rate as percentage of GDP at current market prices was estimated to be 30.8% in 2011-12 as compared to 34.0% in 2010-11, while gross domestic capital formation was 35.0% in 2011-12 as compared to 36.8% in 2010-11.

Agriculture

As per the fourth advance estimates for 2011-12, foodgrains production was estimated at 257.44 million tonnes, out of which Kharif production was 129.94 million tonnes and Rabi production was 127.50 million tons.

During the South West monsoon season of 2012, the country as a whole received 8% less rainfall than the Long Period Average (LPA). Central India and North-west India experienced deficiency level of (-)4% and (-)7%, respectively and the Peninsular India received (-)10% less rainfall. North East India received 11% less rainfall than LPA. At district level 10% of districts received excess rainfall 48% normal rainfall 37% deficient rainfall and 5% scanty rainfall.

Out of 36 Sub-Divisions, 13 recorded deficient rainfall during the South West monsoon in 2012. Out of the 23 remaining sub divisions 1 recorded excess rainfall and the remaining 22 recorded normal. Out of 628 Metrological districts for which data are available 365 (58%) received excess/normal rainfall and the remaining 263 (42%) received deficient/scanty rainfall during the season.

There has been a decline in the overall area coverage of foodgrains during kharif 2012-13 as compared to kharif 2011-12 (4th advance estimates) due to deficient south west monsoon. The area coverage under food grains during kharif 2012-13 stood at 665.03 lakh hectares compared to 720.86 lakh hectares last year. The major

decline in the area of kharif foodgrains has been due to shortfall in the area under rice in Andhra Pradesh, West Bengal, Jharkhand and Bihar, coarse cereals mainly due to lower coverage under bajra in Rajasthan; and also pulses. The area under oil seeds has also been lower as compared to the previous year. The area coverage under kharif rice during 2012-13 is around 391.62 lakh hectares which is lower by 9.06 lakh hectares compared to last year. The area coverage under sugarcane during the current year has marginally improved to 51 lakh hectares, which is higher by about 0.13 lakh hectares as compared to the previous year and the area under cotton has decreased to 116.14 lakh hectares as compared to 121.78 lakh hectares during 2010-11 registering a decrease of 5.64 lakh hectares.

As per the 1st Advance Estimates (covering only kharif crops), production of foodgrains during 2012-13 is estimated at 117.18 million tonnes. Oilseeds production stood at 18.78 million tonnes, sugarcane at 335.33 million tons and cotton at 33.4 million bales of 170 kg each. These production estimates are at lower levels compared to last year primarily due to deficient south west monsoon in 2012 and resultant acreage losses.

Industry

During 2012-13 (April-December), as per the Index of Industrial Production (IIP), the industrial sector grew at 0.7% as compared to 3.7% growth during the previous year. Out of the three broad sectors, the electricity sector has recorded the highest growth. In the manufacturing sector, the growth has been lower and in mining sector the growth was negative. During 2012-13 (April-December), the electricity sector grew at 4.6% as compared to 9.4% during the same period of the previous year. The manufacturing and mining sectors grew at the rates of 0.7% and (-)1.9% against the corresponding figures of 4.0% and (-)2.6% respectively.

Among the use-based industry groups only intermediate goods sector recorded marginal increase in growth during 2012-13(April- December) and the basic goods and consumer goods (durables & non-durables) showed decline in growth as compared to previous year. The capital goods sector recorded negative growth during the same period. The intermediate goods sector showed a growth of 1.6% during 2012-13 (April-December) as compared to the corresponding figure of (-) 0.7% during 2011-12(April-December). In basic goods sector, the growth rate for the current year

is 2.7% as against 6.3% last year. In consumer goods sector, the growth in 2012-13 (April-December) was 2.6% as against 5.7% in corresponding period of last year. In consumer durables sector, the growth rate has declined to 3.7% during 2012-13 (April-December) as compared to 5.1% in 2011-12(April-December). In consumer non-durables sector, the growth rate has decreased to 1.7% in 2012-13 (April-December) as against 6.1% in 2011-12 (April-December). At the disaggregated level, 11 out of the 22 two-digit industrial groups viz. tobacco products, wearing apparel, wood products, fabricated metal products, machinery & equipment, accounting and computing machinery, electrical machinery, medical and optical instruments, motor vehicles, other transport equipments and furniture manufacturing recorded negative growth during 2012-13 (April-December). Out of the remaining 11 industry groups, four groups recorded growth rates between 5 to 10% and seven industry groups namely food products, paper products, publishing & printing, chemical products, rubber & plastics, other non-metallic mineral products and basic metals recorded growth rates below 5%.

Infrastructure

The index for eight core industries (comprising crude oil, petroleum refinery products, coal, electricity, cement, finished carbon steel, natural gas and fertilizers with a combined weight of 37.90% in the Index of Industrial Production) grew by 3.3% during 2012-13 (April- December) as compared to growth rate of 4.8% achieved during the corresponding period of 2011-12. Two out of the eight core sectors namely steel and electricity sectors recorded lower rates of growth of 3.6% and 4.6% respectively during 2012-13(April-December) as compared to 9.1% and 9.3% during 2011-12(April- December). The growth in coal, refinery products and cement was 5.7%, 6.9% and 6.1% respectively during 2012-13(April-December) and in crude oil, natural gas and fertilizers sectors, the growth was negative during the same period.

Prices and Inflation

The headline inflation measured in terms of Wholesale Price Index (WPI) averaged 9.56% in 2010-11 and decelerated to 8.94% in 2011-12 and 7.46% in the first 10 months of 2012-13 (Apr-Jan). In January 2013, inflation was placed at a 38 month low of 6.62%.

The level of inflation and its movement across three major commodity groups varied significantly. Primary articles having a weight of 20.12% in WPI recorded year-on-year inflation of 10.31% in January 2013 as compared to inflation of 2.76% in the same month last year. Fuel & power having weight of 14.91% in WPI recorded year-on-year inflation of 7.06% in January 2013 as compared to 16.99 % in the same month last year. Manufactured products, having weight of 64.97% in WPI recorded an inflation of 4.81% in January 2013 as compared to an inflation of 6.71% in the same month last year.

The food inflation comprising primary food articles and manufactured food products (weight of 24.31% in WPI) at 10.57% in January 2013 was significantly higher as compared to an inflation of 1.45% in January 2012.

The core inflation which corresponds to inflation for non-food manufactured products and keenly observed by the Reserve Bank of India moderated from its peak of 8.50% in March 2011 to 4.12% in January 2013. Apart from monetary measures taken by the Reserve Bank of India, softening of international and domestic prices of metals, chemicals and textile products contributed to the moderation of this inflation.

Year-on-year inflation measured in terms of Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW 2001=100) was 11.17% in December 2012 as compared to 6.49% in December 2011. Food inflation (weight 46.20%) was 13.53% in December 2012 had in fact witnessed an increase compared to an inflation of 1.97% in December 2011. In case of Consumer Price Index-New Series with base 2010=100, inflation in January 2013 for rural, urban and at all-India level was placed at 10.88%, 10.73% and 10.79%, respectively.

Food inflation which ruled at 14 to 16% level for different measures of inflation in April 2010 had earlier moderated to around 1% in January 2012, but has been witnessing a continuous increase since then. The key drivers of food inflation have continued to be the elevated level of prices for protein foods comprising animal products, pulses and vegetables. In recent months, however, price pressures have also been felt for cereals particularly wheat and rice.

Government has been conscious of the need for containing inflation. Besides the fiscal and administrative measures, for protecting vulnerable sections of society from

inflation, issue price for wheat and rice under targeted public distribution system has been kept unchanged since July, 2002. At the current level of economic cost, the issue price for BPL families is only 23.4% and 22.8% for rice and wheat respectively. Government has also been absorbing a significant part of cost of diesel, kerosene and LPG by keeping the pass through to consumer to a reasonable level. Commodity specific fiscal and administrative measures (maintain adequate availability) have been taken to contain profiteering/ exploitation of consumers.

The Reserve Bank of India (RBI) had earlier raised the policy rates by 375 basis points (bps) from March 2010 to October 2011 to contain inflation which had persisted at 9-10% level. With some moderation in inflation, particularly core inflation, RBI began softening its monetary policy stance gradually to improve growth. Moderating inflation and containing inflationary expectation, however, remains core of the monetary policy.

Monetary Trends and Developments during 2012-13

The monetary policy stance continued to focus on achieving the twin objectives of containing inflation and facilitating growth. The mounting inflationary pressures during 2010-12 required adoption of a tight monetary policy by the Reserve Bank of India (RBI). Between January 2010 and October 2011 RBI raised policy rates (repo rates) by 375 basis points from 4.75% to 8.5%. The tight monetary policy in the face of a persistent inflation together with the increasing risk to growth from external factors resulted in a slowdown of the economy, faster than was anticipated earlier. With a moderation in inflation from its peak to 10.9 % in April, 2010 to an average of 7.5% during April-January, 2012-13, there was a shift in the policy stance of RBI from October, 2011. RBI reduced the repo rates by 50 basis points in April, 2012 and by 25 basis points again in January, 2013. Simultaneously, it continued to reduce the Cash Reserve Ratio from 6% to 4% and the statutory liquidity ratio to improve the liquidity conditions.

The monetary policy stance of the Reserve Bank of India in 2012-13 was based on its projection of the macroeconomic parameters for the year. In its monetary policy statement 2012-13 released on April 17, 2012 RBI envisaged a GDP growth of 7.3% with inflation (WPI headline) gradually moderating to 6.5% by March, 2013. Consistent with this growth and inflation expectations, it set an indicative target of

M3 and non-food credit growth of 15% and 17% respectively. RBI, however, continued to revise its growth projections downwards and in its 3rd quarter review of monetary policy in January 2013, it reduced its projection of growth to 5.5%. However, with regard to headline WPI inflation, the 3rd Quarter Review indicated inflation to moderate to 6.8% by March 2013. In view of the revision in the projections for GDP growth and inflation, the indicative targets of growth of credit and M3 were lower to 16% and 13%, respectively. Movements of monetary aggregates, however, indicate that the growth of both the broad money and non-food credit were below the indicative levels set by RBI.

During 2012-13, the growth rate in Reserve Money (MO) has been 4.4% (as on January 25, 2013), while broad money (M3) growth has been 10.2% (as on January 11, 2013). Year-on-year, non-food credit growth increased by 15.7% (as on January 11, 2013). Liquidity conditions tightened from the second week of November on account of a build-up in the Centre's cash balances, festival-related lumpy increase in currency demand, and structural pressures brought on by the widening wedge between deposit growth and credit growth. With the liquidity deficit continuing to remain above the comfort level of RBI, it took measures by way of reducing the CRR and conducting open market operations to ease the pressures.

Balance of Payments during H1 (April-September 2012) of 2012-13

In the first Half (H1-April -September 2012) of 2012-13, steep decline in exports as compared to imports was responsible for widening of trade deficit to US\$ 90.7 billion (10.8% of GDP) vis-a-vis US\$ 89.5 billion (9.9% of GDP) in H1 of 2011-12. Net invisible balance declined to US\$ 51.7 billion (6.2% of GDP) during H1 of 2012-13 from US\$ 53.1 billion (5.9% of GDP) in H1 of 2011-12. The current account deficit (CAD) has worsened to US\$ 39.0 billion (4.6% of GDP) during H1 of 2012-13 as compared to US\$ 36.4 billion (4.0% of GDP) in H1 of 2011-12. Widening of trade deficit and moderation in net invisible surplus were responsible for increase in CAD.

There was a mixed trend in the capital inflows during first half of 2012-13. The net FDI (inward minus outward) to India decreased to US\$ 12.8 billion during first half of 2012-13 vis -a-vis US\$ 15.7 billion during the corresponding period of previous year. Net portfolio flows including FIIs, however, increased to US\$ 5.8 billion during H1 of 2012-13 as against US\$ 1.3 billion in H1 of 2011-12. NRI deposits remained robust

at US\$ 9.4 billion in H1 of 2012-13 (US\$ 3.9 billion in H1 of 2011-12) but net flows under ECBs declined sharply to US\$ 1.7 billion during H1 of 2012-13 from US\$ 8.4 billion in H1 of 2011-12. Net flows under trade credit increased to US\$ 9.5 billion during April-September 2012 as against US\$ 5.9 billion during the corresponding period of 2011-12. Net capital flows declined to US\$ 40.0 billion (4.8% of GDP) in H1 of 2012-13 as against US\$ 43.5 billion (4.8% of GDP) in H1 of 2011-12.

As the capital inflows during the first half of 2012-13 were sufficient to finance the current account deficit, there was a net accretion of US\$ 0.4 billion to reserves (on a BoP basis) during H1 of 2012-13.

Foreign Exchange Reserves

It reached all time high level of US\$ 322.2 billion at end August 2011. However, reserves declined thereafter and stood at US\$ 294.4 billion at end March 2012. This showed a decline of US\$ 10.4 billion from the level of US\$ 304.8 billion at end March 2011.

In 2012-13, the foreign exchange reserves remained in the range of US\$ 286.0 billion to US\$ 295.6 billion. At end of December 2012, reserves stood at 295.6 billion, indicating a marginal increase of US\$ 1.2 billion from US\$ 294.4 billion at end of March 2012.

Exchange Rate

The monthly average exchange rate value of rupee per US dollar remained in the range between ₹51.81 to ₹56.03 per US dollar with many ups and downs between April 2012 to December 2012. Rupee touched an all time low of ₹57.22 per US dollar on June 27, 2012 indicating 10.6% depreciation over ₹51.16 per US dollar on March 30, 2012. Rupee has appreciated to ₹51.62 per US dollar on October 05, 2012. However, it began declining again thereafter and monthly average exchange rate of rupee has since been in range of ₹53.02 to ₹54.78 per US dollar between October to December 2012.

On month-to-month basis the rupee depreciated by 7.9% from ₹50.32 per US dollar in March 2012 to ₹54.65 per US dollar in December 2012. Similarly, monthly average exchange rate of rupee depreciated by 9.7% against Pound Sterling, 7.2% against Euro and by 6.5% against Japanese Yen between March 2012 and December 2012.

External Debt

India's external debt stock stood at US\$ 365.3 billion at end-September 2012 recording an increase of about US\$ 20.0 billion (5.8%) over the end-March 2012 estimates of US\$ 345.4 billion. The increase in external debt was largely due to higher NRI deposits, short-term debt and commercial borrowings. The long-term external debt at US\$ 280.8 billion at end-September 2012, accounted for 76.9% of the total external debt while the remaining 23.1% was short-term debt.

The share of US dollar denominated debt continued to be the highest in external debt stock at 55.7% at end-September 2012, followed by Indian Rupee (22.9%), Japanese Yen (8.6%), SDR (8.1%) and Euro (3.2%). Government (sovereign) external debt stood at US\$ 81.5 billion, while non-Government debt amounted to US\$ 283.9 billion at end-September 2012. The share of Government external debt in total external debt declined from 25.5% at end-March 2011 to 23.7% at end-March 2012 and further to 22.3% at end-September 2012.

India's foreign exchange reserves provided a cover of 80.7% to the total external debt stock at end-September 2012 vis-a-vis 85.2% at end-March 2012. The ratio of short-term external debt to foreign exchange reserves was at 28.7% at end-September 2012 as compared to 26.6% at end-March 2012. The ratio of concessional debt to total external debt declined steadily and worked out to 13.2% at end-September 2012 as against 13.9% at end-March 2012.

External debt has remained within manageable limits as indicated by the external debt to GDP ratio of 19.7% and debt service ratio of 6.0% in 2011-12 due to the prudent external debt management policy pursued by the Government of India.

(Source: Annual Report - 2012-13 of Ministry of Finance)

II. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE-OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to

farmers to redeem their prior debts. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also assigned a developmental role to the Land Mortgage Banks by diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the 2nd Five Year Plan which were subsequently renamed as State Cooperative Land Development Banks and in the 90s as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

The training needs of about 25000 personnel of SCARDBs & PCARDBs as well as elected Board Members of the State & Primary ARDBs are largely met by JLTCS run by SCARDBs with financial support from NABARD, Institutes of Co-operative Managements and Regional Institutes of Co-operative Management (ICMs and RICMs) run by NCCT with funding support from GOI & Regional Training Centres run by NABARD. Middle and senior level personnel are trained mainly at VAMNICOM & CAB, Pune & BIRD, Lucknow and National Institute for Rural Banking, Bangalore.

While MIS (Management Information System) has been computerized by almost all SCARDBs, entire operations at all levels have been fully computerized by Kerala & Punjab SCARDBs, computerization of operations is at varying stages of progress with regard to other major SCARDBs.

The LT Structure has done commendable work in speeding up capital formation in agriculture. The performance of ARDBs, however, started declining since the latter part of 90s mainly due to inherent deficiencies associated with their design as non-resource based specialized term lending agencies, severely restricting their ability to meet the financial service needs of members in competition with other rural financial institutions.

These deficiencies, coupled with impairments and infirmities in key areas of their working due to factors internal as well as external to the system resulted in drastic deterioration of the financial health and viability of these institutions during the last 10 years or so.

Loan recovery in the sector has been badly affected after the announcement of ADWDR Scheme in February 2008. Frequent natural calamities affecting crops and interferences by state govts in the recovery process have also contributed to the trend of increasing overdues and NPAs. Recovery has shown substantial improvement in the last 2 years except in Uttar Pradesh where govt announced loan waiver, about a year back and in Madhya Pradesh where the govt directed the SCARDB not to take recovery action in any loan case.

Governance at State and Primary level ARDBs are impaired by a host of factors. Lack of autonomy and operational freedom, absence of elected board in majority of institutions, appointment of CEOs by Government without proper selection process, frequent change of CEOs, lack of professionals in various operational disciplines, inadequate training & HRD efforts, Government interferences in the management of the banks etc. are the major factors, responsible for poor governance.

In spite of these deficiencies, the structure continues to be relevant and needs to be revived to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure, involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self reliant autonomous member driven organizations, capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment, with focus on capital formation in agriculture.

III. DEVELOPMENTS DURING 2012-13: HIGHLIGHTS

The year 2012-13 witnessed important changes in the policy environment both favourable and unfavourable to the sector. The self-driven reforms initiated by SCARDBs at the instance of the Federation gathered pace during the year with significant progress in mobilizing member deposits. Most of the banks have also taken effective measures to tackle NPAs. The Conference of Principal Secretaries (Coopn) organized by the Federation to seek the State Govt's support in reviving the sector helped to bring a positive change in the policy of State Government to ARDBs in most of the States. Amendments carried out in the State Cooperative Societies/State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Acts during the year on the lines of provisions contained in the Constitution (97th Amendment) Act 2011 which became mandatory for all cooperatives from 15 February 2013 was another positive development towards efficient and autonomous functioning of cooperatives. On the other hand, the gains from the above developments are somewhat overshadowed by the continuing delay in implementing the Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure recommended by Vaidyanathan Task Force-II. Similarly, further tightening of eligibility norms by NABARD for giving its refinance to ARDBs and more particularly linking the quantum as well as cost of refinance to risk rating of SCARDBs has brought fresh challenges for institutions in the structure.

During the year under report, the Federation vigorously followed up its programme of self-driven reforms in the sector through a number of fresh initiatives. The major developments and initiatives in the sector during 2012-13 are listed below.

Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure

A proposal for reviving institutions in the Long Term Cooperative Credit Structure based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II, which had submitted its report in August 2006, has been under the active consideration of Govt of India for quite some time. However, the expectations of the sector for revival support from the Govt have been dampened by the series of hurdles put up by Ministry of Finance in implementing the revival package. Firstly, the Ministry resorted to an uncalled for move of appointing another Task Force to review the scheme approved by the Cabinet. Even after the new Task Force endorsed the package and recommended its

implementation in February 2010, the Ministry continued its delaying tactics by proposing merger of LTCCS with STCCS which was neither proposed by VTF-II nor figured in the scheme approved by the Cabinet and of late, taking a stand that revival of the structure is not feasible in view of its insignificant share in the credit flow to agriculture. After denying opportunity to the sector to maintain its market share by delaying the package for more than 7 years, the latest reason given by the Ministry for not implementing the package has no logic or substance. The Parliamentarians associated with Long Term Credit Structure across States have recently represented to the Govt. for implementing the proposed revival package for the structure without further delay.

Constitution (97th Amendment) Act 2011

The Constitution (97th Amendment) Act relating to cooperatives is a path breaking legislation in the long history of cooperative movement in India. The constitutional amendment on cooperatives has three main parts. Firstly, Part-I of the Constitution has been amended by inserting a new article numbered as 19(1) (c), making formation of cooperatives, a fundamental right of every citizen. Secondly, promotion of cooperative societies has been included in the directive principles of state policy by inserting article 43(b) in Part IV of the Constitution which reads “The State shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies”. Thirdly, a new chapter numbered as Part IX(b) has been inserted in the Constitution to spell out essential aspects relating to the term, composition and constitution of Board, Annual General Meetings, audit of accounts, right of members to information, member participation in management etc. According to these provisions, the Board of Directors of all cooperatives will have a uniform tenure of five years with number of directors on the Board not exceeding 21 and reservation of 1 seat for SC/ST and 2 seats for women in the Board of all societies with membership consisting of individuals including persons belonging to the above categories. Provisions are also made for constitution of Election Authority by govt for timely conduct of elections to cooperatives. Similarly, Annual General Meetings have to be held within six months from the close of financial year and auditors have to be appointed from a panel of auditors/auditing firms approved by the Govt. These provisions in the constitutional

amendments are same as the provisions in the Multi State Cooperative Societies Act 2002 except the clauses relating to conduct of elections and appointment of auditors. The responsibility to conduct elections of Multi State Cooperative Societies is now shifted from Board to the Election Authority being constituted by the Govt. Presently, Multi State Cooperative Societies have the option to appoint auditors either from its own panel or from the panel approved by the Central Registrar. The constitutional provision makes it mandatory for societies to appoint auditors from the panel approved by the Govt.

The constitutional provisions restrict the powers of the govt to supersede the Board beyond six months within which elections have to be held. In other words, no society can remain without an elected board for more than six months. Moreover, the board of cooperative societies without govt equity or govt aid cannot be superseded under any circumstance. The Board of cooperatives are also expected to become more professional with the co-option of experts and inclusion of functional directors as non-voting members on the board. This will also bring uniformity with regard to composition and tenure of board, frequency of general body meetings, arrangement for audit of accounts, requirement of minimum participation by members etc.

The constitutional provisions are mandatory for all cooperatives in the country with effect from 14 February 2013 i.e. after lapse of one year from the date on which constitutional amendment became operational, irrespective of provisions in the concerned Act. The Constitution (97th Amendment) Act 2011 stands out as a pioneering legislation to push reforms in the cooperative sector and to bring uniformity in essential aspects of governance of cooperatives which otherwise could never happen as it requires separate legislations by all states on the same lines.

Conference of Principal Secretaries (Coopn)

Federation organized the first Conference of Principal Secretaries (Coopn) jointly with Government of Punjab on 20 September 2012 at Chandigarh. The Conference for the first time gave the Federation opportunity to discuss the issues concerning ARDBs in various States directly with the State Govt authorities and to seek their support in revamping the structure. The Conference was attended by Principal Secretaries (Coopn)/Registrar of Cooperative Societies from 12 States as well as representatives of Govt of India, NABARD and SCARDBs.

Shri Parkash Singh Badal, Chief Minister of Punjab who inaugurated the Conference said that the farm credit policy of our country has been not favourable to promote private investments in agriculture. He requested Central Govt to take steps to bring down the interest rates of investment credit from the present level of 14% to not more than 4% as in the case of crop loans. He expressed concern over the long delay in implementing the package for LTCCS recommended by Vaidyanthan Task Force-II and requested Central Govt to implement the same without further delay. Shri Badal also criticized the decision of NABARD to reduce the scale of refinance given to ARDBs and withdraw the two year moratorium for repaying refinance which has made the functioning of ARDBs untenable.

Shri K. Sivadasan Nair in his presidential address thanked Government of Punjab for their valuable support for organizing the Conference. He expressed his gratitude to Hon'ble Chief Minister of Punjab for inaugurating the Conference. He also thanked Government of Punjab for its valuable support for organizing the Conference. Following are the highlights of his address.

- In spite of weaknesses, the Long Term Cooperative Credit Structure is still relevant and has a significant role to play in stepping up capital formation in agriculture. The structure also has the responsibility to meet the credit needs of its membership consisting of 138 lakh rural families who are generally unable to access credit from other agencies, as their land is mortgaged to it.
- The revival package for LT structure which was announced by the Govt in the Union Budget for 2008-09 still remain a non starter. State Govts need to take up this matter with Central Govt and facilitate implementing the package without further delay.
- State and Central Govts should take steps to bring down interest rates on investment credit and to bring legal and policy reforms to facilitate ARDBs to raise own resources for meeting the growing credit needs of rural sector adequately.

Shri K.K. Ravindran presented the agenda for the meeting which was followed by round table discussions. Shri Viswajeet Khanna, Financial Commissioner (Coopn), Punjab; Shri D.N. Thakur, Director (Credit), Ministry of Agriculture; Shri G.V. Krishna Rao, Principal Secretary (Coopn), Karnataka; Shri K.Jindal, Chief General

Manager, NABARD; Shri Sayeed Ahmed Baba, Secretary (Coopn), West Bengal; Shri Bishnupada Sethi, Commissioner-cum-Secretary (Coopn), Orissa; Dr. D.H. Brahmbhat, Secretary (Coopn), Gujarat; Dr. V.M. Gopala Menon, Principal Secretary, Kerala; Shri Prem Kumar, Addl. Chief Secretary, Himachal Pradesh; Shri M.K. Raut, Principal Secretary, Chhattisgarh; Shri G.S. Mangat, Managing Director, Punjab SCADB; Shri Ram Jatan Yadav, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Shri K. Ramachandran, Managing Director, Kerala SCARDB made presentations in the round table discussions. Following are the action points broadly agreed upon in the Conference.

Resource Mobilisation

Refinance from NABARD is the only source of lendable funds for SCARDBs in most of the States. There has been steady decrease in the quantum of NABARD's refinance to the structure as well as number of banks eligible for refinance due to tightening of eligibility norms by NABARD in recent years. Consequently, SCARDBs in some have become incapable of advancing new loans while others had to scale down operations drastically. Raising adequate resources for meeting credit demand from members, therefore, is the biggest challenge faced by the structure.

Following suggestions were emerged in the Conference to address this challenge:-

- (i) State Govts which are already issuing guarantee to SCARDBs to draw refinance from NABARD may consider extending the coverage of the guarantee to NCDC which has a line of credit to SCARDBs and commercial banks which are interested in widening and deepening their rural outreach through ARDBs.
- (ii) SCARDBs deposit their reserves and other funds required to be kept outside business with State Cooperative Banks. Similarly, State Cooperative Banks in some States advance short term funds for meeting the interim finance of SCARDBs. State Govts may consider appropriate arrangement to strengthen the business relationship between these two institutions so that the surplus funds with SCBs can be deployed within the State through SCARDBs instead of investing in the banking system which results in flight of resources from the State.
- (iii) There has not been much headway in the deposit mobilization programme of SCARDBs as per RBI-NABARD guidelines for accepting fixed deposits from

public and institutions due to ban on PCARDBs to accept deposits and restricting the scheme to deposits of 1-3 year tenure and the ceiling on total deposits upto net worth of the SCARDB. Even though VTF-II has recommended modifications in the scheme to widen its scope, those recommendations have not been implemented so far.

However, shareholder members can place deposits with the cooperative without any of the above restriction attached to public deposits. Most of the banks started accepting members' deposits based on the guidelines of the Federation. However, in some cases, SCARDBs are yet to get the permission of RCS/Govt to take member deposits. State Govts in such cases should expedite its approval.

- (iv) The owned funds of ARDBs need to be increased for stepping up net worth and borrowing power. The State Govts in this context should consider amending relevant statutes to include a provision for issuing non voting fixed dividend preferential shares by ARDBs.

Loan Restructuring

The Conference observed that more than 60% of loanee farmers of ARDBs make only partial repayment against demand and the outstanding overdues of such farmers mostly represent amount defaulted partially or fully in years when they suffered crop losses due to natural calamities or incurred unusually heavy expenditure in the family on account of hospitalization, higher education and marriage of children etc.

It was felt necessary that outstanding overdues of these farmers should be rescheduled for the remaining period of loan with extension of loan period in cases where remaining period of loan is too small, to enable them to clear the outstanding dues in easy instalments. This will relieve them from the additional burden of paying penal interest and other charges on defaulted amount. Further, rescheduling of loan will make them eligible for fresh loans as well as interest incentive for prompt repayment of instalments given by Govts in Karnataka and Haryana, thereafter.

The Conference felt that rescheduling of overdues normally can be done by the SCARDB without specific guidelines from the Govt. However, wherever bank needs approval of Govt/RCS as per byelaws or standing instructions, the Govt should permit the same as a relief measure to help debt ridden farmers.

Loan Recovery

The Conference took note that mandate of ARDBs to sell mortgaged land to recover loan has been an effective deterrent to default and that willful default is increasing at an alarming rate in States where Govt has banned sale of land to recover land. The powers to execute sale of land to recover loan are delegated to bank's officials in most of the States. ARDBs generally resort to sale of land only in respect of chronic willful default and sale involves only a portion of mortgaged land, the estimated market price of which is sufficient to clear the loan. The Conference suggested that State Govts should give the following policy support to improve recovery climate.

- (i) To refrain from banning legal recovery measures.
- (ii) To provide timely compensation for losses on account of waivers and recovery postponement at the instance of the Govt.
- (iii) To delegate powers to bank's officials in States where it is not done so far.

Interest Rates

The interest rates payable by farmers for investment credit continues to be unaffordable. When NABARD is charging 10% on refinance, banks are unable to advance investment loans at less than 14%. Such high cost of credit acts as a huge disincentive for farm investments which needs to be stepped up substantially for sustaining the minimum required agricultural growth rate of 4% consistently.

It was suggested that the interest subvention scheme of Govt of India for crop loans should be extended to investment credit also and that State Govts need to take up this matter with Govt of India.

It was also observed that some of the State Govts are providing additional interest subvention for crop loans to further reduce its cost from 4% after interest subvention given by Govt of India. Such schemes should be extended to investment credit also, which is 3 to 4 times costlier than crop loans.

Proposal to Merge with STCCS

The Ministry of Finance has recently proposed merger of ARDBs with Short Term Cooperative Credit Structure as a condition for implementing revival package and sought the opinion of State Govts on the proposal.

The Conference after detailed deliberations on the matter came to the conclusion that the merger is not a feasible option in all States, for the following reasons:-

- (i) It involves the danger of abolition of all units of LT structure when there is a need for increasing the network of financial institutions in rural areas.
- (ii) The Andhra Pradesh experience where merger took place in 1995 does not support the proposal. After merger, the operations of the combined structure confined mainly to ST loans. Moreover, its operations also got paralysed considerably due to unresolved staff issues for over a decade.
- (iii) The main argument in favour of merger is that it will avoid duplication of functions by institutions in LT and ST structures. The Conference felt that this is not a valid ground for merger as large number of public and private sector commercial banks co-exist in the same areas, competing each other resulting in general improvement in their services to people. In the same way, it will be advantageous for rural masses who primarily depend on cooperatives for their financial needs to have the option of approaching any one of the two separate streams of rural cooperative credit structure.

The Conference, therefore, recommended that the question of merger of LTCCS with STCCS should be left to the decision of State Govts and Govt of India should not insist on merger as a uniform prescription for all States. Similarly, implementation of the package recommended by Vaidyanathan Task Force-II should not be linked to this issue.

Business Diversification and Development

The Conference took note that ARDBs are required to fully meet the credit needs of its members including short term credit requirements for the following reasons:-

- for optimum utilization of assets financed.
- to avoid dependence on informal sources.
- to increase frequency of contacts with the borrower and improve loan recovery.
- to attain viable business levels.

The Conference, therefore, recommended for removing restrictions prevailing in some States in diversifying business of ARDBs into short term loans, non fund businesses etc.

Guarantee fee waiver

The Conference took note that guarantee fee has either been waived or kept at a low rate in the following States.

[Haryana fully waived; Uttar Pradesh 0.25% on incremental outstanding; Rajasthan 0.1% on yearly outstanding; Gujarat 0.25% on outstanding; Kerala 0.75% which is being converted into govt equity in the Bank.]

The Conference broadly agreed that there is a strong case for remaining States also for waiving guarantee fee or keeping it at a low rate on the following grounds:-

- to reduce the cost of investment credit.
- to promote investments in high priority sectors for income and employment generation.
- Investment loans are used for purchase of machinery, implements and other inputs resulting in substantial revenue to the Govt.

Block Guarantee

It was observed that revolving block guarantee will help SCARDBs to avoid undue delay in drawing funds with accompanying losses and will facilitate faster recycling of funds and business growth. The Conference recommended that State Govts should consider issuing revolving block guarantee to enable SCARDBs to utilize the guarantee within the overall limit without yearly renewals as prevalent in many States.

Stamp Duty and Registration

The Conference took note that there is no stamp duty and registration fee for registration of mortgaged deeds for availing loans from ARDBs in the States of Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Orissa, Tripura, Assam and Jammu & Kashmir. The Conference found that there is a case for examining the possibility of waiving stamp duty and registration fee in other States as well, in order to reduce the burden on farmers and promote investments in agriculture and rural sectors.

Procedure for Registration

The Conference observed that loan documents executed between the borrower and the ARDB are sent for registration to the sub registry office directly by the bank in the

following States:-Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Tripura, Assam and Jammu & Kashmir. The Conference suggested that the remaining States should consider introducing the procedure of sending the documents for registration by the bank directly to the registrar's office instead of sending it through the loanees.

Amendment of ARDB Acts

The working of ARDBs in various States is governed either by the State ARDB Act or separate provisions in the State Cooperative Societies Act. These Acts are due for amendments in the light of 97th Constitutional Amendment. Some of the suggestions emerged in the Conference to improve the working of ARDBs also involve certain changes in the extant Acts relating to ARDBs. In this context, it was suggested that the State Govts should take necessary steps to amend the extant State Cooperative ARDB Act/State Cooperative Societies Act to incorporate among other things necessary additional provisions in the light of action points emerged in the Conference.

IYC National Conference of ARDBs

The Federation organized IYC National Conference of ARDBs to mark culmination of programmes during International Year of Cooperatives 2012 during 20-21 November 2012 at Chandigarh. The main theme of the Conference was 'Cooperative Enterprises Build a Better World' in line with the theme of International Year of Cooperatives. The Conference had the following subthemes.

1. IYC 2012 and Opportunities for Strengthening Long Term Cooperative Credit Structure.
2. Value Chain Financing in Agriculture.
3. Investment Opportunities in Organic Farming and Precision Farming.
4. Risk Reduction Strategies in Financing Agriculture.

Presentation of success stories documented by member banks as part of IYC 2012 formed an important segment of the Conference.

Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation; Dr. Dinesh, Chief

Executive, NCUI; Dr. Prasun Kumar Das, Associate Professor, KIIT University, Mr. Benedicto S. Bayaua, Ex-Secretary General, APRACA and Ms. P. Indira Devi, Professor, Kerala Agricultural University were the principal speakers of the Seminar sessions on sub themes. Expert comments on these subjects were given by Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD; Shri P.V. Prabhu, Former Executive Director, NCARDBF; Shri Bhagwati Prasad, Ex-Chief Executive, NCUI; Shri P. Sampath, Director (Coopn), Ministry of Agriculture; Shri K. Jindal, Chief General Manager, NABARD; Shri K. Sayeed Ali, Chief General Manager, NABARD; Dr. S.K. Batish, Addl. Registrar of Cooperative Societies, Punjab as well as Chairmen & Chief Executives of various States.

Conference devoted a three hour session for presentation of success stories documented by member banks as part of IYC celebrations of ARDBs. Success stories presented in the Conference mostly related to projects financed by member banks. Innovative practices and application of technology that suits best for each situation and ensuring efficient use of resources including water, were the highlights of such projects. The success stories presented by various banks included kinno plantation, vegetable cultivation in green house, dairy farms using latest technology and also service sector projects like marriage hall, setting up homestay arrangements for tourists etc. Punjab, Karnataka and Kerala were awarded the 1st, 2nd and 3rd prizes for best presentations selected by the jury.

The Conference considered in detail the options before LTCCS.

- [1] The structure should maintain its separate identity and existence.
- [2] SCARDBs and PCARDBs should take immediate steps to address their problems through internal initiatives. The Federation should guide and monitor such initiatives and closely work with SCARDBs for implementing such strategies successfully.
- [3] SCARDBs should take its own decisions in implementing these strategies which are business decisions without asking/waiting for external directions except amendments required in the statutes governing their working.

The Conference finalized strategies to be adopted by SCARDBs for resource mobilization, business diversification and tackling NPAs and overdues.

Core Group for Reform Initiatives

The IYC National Conference of ARDBs made the following observations relating to the future of LTCCS.

- (1) The LTCCS should maintain its separate identity and existence and should take steps to address their problems through internal initiatives instead of waiting for external support for revival.
- (2) The Conference also recommended that the Federation should issue guidelines for taking internal initiatives by the structure and monitor such initiatives and closely work with SCARDBs for implementing the same successfully.
- (3) The Conference observed that SCARDBs should take its own decisions on all matters pertaining to its business without asking/waiting for external directions except in areas where amendments are required in the statutes.

The Board of Management of the Federation in its meeting on 15 December 2012 accepted the above recommendations and decided that each SCARDB should constitute a Core Group for initiating reforms and innovative practices in resource mobilization, loan recovery and NPA management as well as business diversification. The Board suggested that the Board of SCARDBs should constitute the Core Group under the chairmanship of Chairman of SCARDB with members as below.

- Chief Executive (Convenor).
- Two members of the Board.
- Senior executives in-charge of functional departments in the SCARDB.
- Two outside experts with experience in banking and finance as being decided by the SCARDB Board and,
- Managing Director, NCARDB (as permanent special invitee).

It was also suggested that Core Group should meet at least once in three months and should be empowered to decide and execute reform initiatives in the structure subject to approval/ratification by the Board. The Board also suggested the Federation to issue detailed guidelines for operationalising the meetings of Core Groups.

Federation vide its letter Dt. 20 December 2012 issued guidelines on the constitution, working and major areas to be considered by the meetings of Core Group.

Outstanding issues with NABARD

The following issues concerning NABARD's refinance policy, which the Federation and member banks have been pursuing with NABARD since last year, continue to remain unresolved.

1) Reduction in the scale of refinance

NABARD has prescribed involvement of owned funds by SCARDBs in lending to the extent of 10%, by reducing the scale of refinance to 90% of loans issued. Since ARDBs are not permitted to take public deposits like other banks, none of the SCARDBs are in a position to fulfill this condition. Share contributions by borrowing members, which is generally fixed at 5% of loans is the only source of own funds, which by and large are locked up in overdues. In view of this, NABARD was giving refinance at a higher level, which on the average came to 97% of loans given by SCARDBs, with provision to draw the balance as Central & State Govt's share in refinance.

2) Terms of repayment of refinance

NABARD has withdrawn the 2 year cushion for repaying refinance by equating the repayment period of refinance and period of loans issued. Earlier, SCARDBs were allowed to fix the period of loans shorter by 2 years compared to the period of refinance which enabled them to absorb overdues of 15 to 20%. By making the repayment period of refinance same as that of the loans SCARDBs need to collect 100% of its demand to make timely repayment of refinance. SCARDBs and Federation have been requesting NABARD for restoring the additional period given earlier for repaying refinance, which is not considered yet.

3) Audit of SCARDBs by Chartered Accountants

NABARD has made it mandatory for SCARDBs to get their Accounts audited by Chartered Accountants for the year 2011-12 onwards. The Federation while welcoming the system of audit by Chartered Accountants, requested NABARD to address the following practical difficulties encountered by SCARDBs in this regard.

- i) Making audit report for the year just ended a condition for release of refinance meant for disbursement of loans from the beginning of the year, results in delay and losses to SCARDBs apart from slowing down their lending programme. The Federation, therefore, suggested that refinance allocation for a particular year should be done in the beginning of the year based on Audit report for the year preceding the year just ended.
- ii) The Federation suggested NABARD to coordinate with State Govt. for preparing a panel of Chartered Accountants, which should be acceptable to both NABARD and State Governments to avoid a second audit by Chartered Accountants from NABARD panel in states where Statutory Audit is already done by Chartered Accountants from State Govt's panel leading to wastage of time and resources.
- iii) At present, empanelment of Chartered Accountants is done by NABARD without any involvement by SCARDBs concerned. Moreover, norms are also not fixed for audit fee to be paid to the Auditors in the panel of NABARD, which in most of the states is exorbitant when compared to industry standards.

4. Additional interest charges from weak SCARDBs

Even though NABARD fixes interest rates on refinance to SCARDBs at par with the rate charged to other agencies, most of the SCARDBs are charged additional interest rates ranging from 1.5-2.5% as risk cost. It is seen that among its clients, additional interest towards risk cost is charged only to SCARDBs which is discriminatory especially when refinance given to SCARDBs is covered by Govt guarantee while no such guarantee is insisted from other recipients of its refinance. Such high rate of interest puts additional burden on poor farmers, brings down loan repayment further and also denies level playing field to SCARDBs.

Meeting of Federation's Representatives with Chairman, NABARD on 8th May 2012

The representatives of Federation met Chairman and Senior Executives of NABARD on 8th May 2012 to discuss the issues relating to refinance policy of NABARD. The meeting was attended by representatives of Federation and SCARDBs, which are currently drawing refinance from NABARD.

Following are the important points deliberated in the meeting.

- 1) In view of likely delay in deciding refinance allocations to SCARDBs for 2012-13 after receiving Audit Report, they should be given interim allocation of refinance upto 30% of last year's drawal to facilitate uninterrupted lending.
- 2) NABARD should postpone the move to link refinance eligibility with the risk profile of SCARDBs till recapitalization under the proposed revival package for LTCCS takes place and in view of the fact that repayment of refinance given to SCARDB are guaranteed by the State Govt.
- 3) Being non-resource based, SCARDBs are unable to involve owned funds to the extent of 10% of loans, which has become necessary after scaling down refinance to 90% of loans. NABARD is requested to restore the scale of refinance at the earlier rate.
- 4) 2 year additional period for repaying refinance enabled SCARDBs to absorb a portion of unavoidable overdues in agriculture loans. After withdrawal of 2 year cushion in repayment SCARDBs are required to complete repayment of funds received from NABARD within the period of corresponding loans when banks receive 100% repayment which never happens in Agricultural loans. NABARD, therefore, should restore the 2 year cushion given to SCARDBs for repaying refinance.
- 5) Under the existing eligibility norms, NABARD does not consider any amount of improvement in recovery for enhanced refinance allocation until the recovery percentage crosses 70%. A bank achieving improvement in recovery over the previous year irrespective of any cut off level deserves higher refinance allocation to sustain that trend and improve its viability in terms of business level. This should be considered while deciding refinance allocations to SCARDBs, this year.
- 6) NABARD abruptly stopped refinance support against crop loans, causing huge losses to SCARDBs including Kerala and Rajasthan SCARDBs whose disbursement of crop loans during 2011-12 at 7% interest rate using funds borrowed at 11% are yet to be refinanced by NABARD.

- 7) Recently NABARD started charging interest on refinance to SCARDBs at half yearly rests when SCARDBs in many States are allowed to charge interest only at yearly rests.
- 8) Under the new system for repayment of interest, banks are required to pay interest on entire outstanding refinance as on due date including fresh drawals after the previous half yearly due date. Consequently, SCARDBs are required to pay interest on refinance even before interest becomes due under corresponding loans. The earlier system for payment of interest may be restored.
- 9) SCARDBs have launched schemes to accept members' deposits. However, NABARD's inspection team and Regional Offices, repeatedly warn them that all deposits taken by them are subject to conditions laid down in the guidelines on deposit mobilization issued in 1997 even though these guidelines are not applicable to deposits made by members. NABARD should not impose restrictions on members to place deposits with the ARDBs.

Rating of SCARDBs

NABARD introduced rating system for SCARDBs from the year 2012-13 for fixing their refinance eligibility as well as rate of interest on refinance. The rating is done on the basis of asset quality, profitability and owned funds as being determined by the following criteria.

Asset quality

- (i) Standard assets should be minimum 90% of refinance outstanding (weightage 30%).
- (ii) Standard assets plus investments should be more than 110% of refinance outstanding (weightage 10%).
- (iii) Standard assets plus Investments plus 25% of Gross NPA should be more than 125% of refinance outstanding (weightage 5%).
- (iv) Gross NPA percentage should be 10% or less (weightage 10%).
- (v) Recovery percentage should be more than 70% (weightage 5%).

Profitability

Operating profits i.e. gross profits before interest and taxes should be more than 7.5% (weightage 10%).

Owned funds

- (i) Proportion of owned funds to total assets should be 9% or more (weightage 10%).
- (ii) Proportion of total liability to owned funds should be 10% or more (weightage 10%).

SCARDBs which get total score more than 75 out of 100 are rated as Low Risk, scores between 75-40 as Medium Risk and less than 40 as High Risk.

SCARDBs in low risk category are eligible for unrestricted refinance based on their lending programme. However, the refinance eligibility of SCARDBs falling in medium and high risks are being decided on case to case based on action plans vetted by State Governments for improving their rating.

Celebration of International Year of Cooperatives

Programmes in the Long Term Cooperative Credit Structure to celebrate IYC 2012 were launched on 30 January 2012 in conjunction with the 135th Meeting of the Board of Management of the Federation in Mumbai.

As per guidelines for celebrating IYC 2012, State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks organized district-wise seminars in collaboration with PCARDBs in the district and development departments of State Govts at district level. The programmes of SCARDBs during IYC 2012 were culminated by State level Conferences in October/November 2012.

Following are the other activities proposed to be undertaken by SCARDBs as part of IYC celebrations.

- (i) Essay competitions at school/college levels.
- (ii) Documenting and presenting success stories.

Federation organized a series of workshops and seminars as part of IYC 2012. It was decided that Federation's programmes during IYC, apart from discussing about IYC

and its theme 'Cooperative Enterprises Build a Better World' should also discuss topics relevant to the working of ARDBs with a view to strengthening the structure.

State and National level programmes of LTCCS as part of IYC 2012 were concluded with the IYC National Conference of ARDBs held during 20-21 November 2012 at Chandigarh. National Conference comprised of Seminars on

- (i) IYC 2012 and Indian Cooperatives.
- (ii) IYC 2012 and Long Term Cooperative Credit Structure.
- (iii) Investment opportunities in Organic Farming and Precision Farming.
- (iv) Risk Reduction Strategies in Financing Agriculture.

The success stories documented by member banks from various States were also presented in the Conference through video presentations. The Federation gave cash awards for the best three success stories presented in the National Conference.

International Cooperative Day on 7 July 2012

The United Nations International Day of Cooperatives is celebrated on 1st Saturday of July every year. 2012 being the International Year of Cooperatives, ICA has selected the same theme for International Year as the theme for this year's International Day also i.e. 'Cooperative Enterprises Build a Better World'. This theme highlights the role of cooperatives in helping individuals coming together during difficult economic times to leverage their resources, access markets and restore balance to price negotiations. The cooperative has the greatest degree of participatory governance of any of the major enterprise models and reflect the values of community through member engagement. The principles of equity participation and sustainability make cooperatives vibrant and successful in every sector from agriculture, fisheries and forestry to cooperative banking and credit unions, from housing and healthcare to mutual and cooperative insurance and especially in worker formed cooperatives, cooperatives create decent jobs, enjoy greater trust among consumers and last longer than other forms of enterprise.

Contribution by Govt. of India to the Debentures of SCARDBs during the year 2012-13

Govt. of India, Ministry of Agriculture, made a budget provision of ₹30.00 crores for the financial year 2012-13 for investment in debentures of SCARDBs, subject to the following conditions.

- 1) State Govts must invest matching share within three months from investment by Govt of India.
- 2) SCARDBs should send debenture scrips and pay interest and redemption proceeds on due dates without waiting for advance return of matured debenture scrips.
- 3) Penal interest will be charged @ 1% per annum in case of default in repayment of principal/interest on Special Development/Ordinary Debentures.
- 4) All pending debenture proposals floated during previous financial years will be considered during the financial year 2012-13.
- 5) State Govts have also been asked to inform Ministry of Agriculture regarding the budget provision and confirm State Govt's matching debenture support during 2012-13 by July 31, 2012.

Financial Assistance to JLTCs of SCARDBs

NABARD had earlier decided to stop assistance to JLTCs of SCARDBs from Cooperative Development Fund from 1st April 2012 without assigning any reason thereof. Federation has requested for restoring the support to JLTCs on continuous basis on the following grounds.

- 1) Support given to JLTCs is the only scheme for CDF assistance to SCARDBs at present, since NABARD has already stopped assistance to SCARDBs from CDF for computerization, technical and infrastructure support.
- 2) JLTC is the only avenue for PCARDBs to train their staff as they generally cannot afford the expenses including course fee for sending them to other training institutions.
- 3) The scheme of providing financial support to JLTCs was originally introduced and modified from time to time on the basis of studies undertaken on the need for extending support by NABARD to inhouse training facilities for the staff of SCARDBs and PCARDBs.

In response to the representations by Federation and SCARDBs concerned for restoring the support, NABARD later on decided to continue the assistance to JLTCs with intimation that the support might be continued from 2013-14. Though

NABARD has not intimated any change in its policy in this regard, indications are that SCARDBs have to get the training programmes of JLTCs accredited by BIRD, Lucknow, for getting NABARD's financial assistance from 2013-14 onwards.

Amendment to NABARD Act 1991

The Union Cabinet on February 7, 2013 approved certain amendments to the NABARD Act 1981. The Amendment Bill is expected to be presented in the Budget Session of Parliament. Following are the proposed amendments.

- 1) Raising the authorized capital of NABARD to ₹20000 crore from ₹5000 crore.
- 2) The meaning of cooperative society is proposed to be enlarged to include Multi State Cooperative Societies registered under any central law or any other central or state law relating to cooperative societies.
- 3) Change of ownership to facilitate the transfer of remaining share capital of NABARD from RBI to Central Govt.
- 4) Increasing the scope of operations of NABARD under short term funding proposes and other agencies.
- 5) It is also proposed to combine the post of Chairman and post of Managing Director into one to ensure a distinct line of command.

As per the provisions of extant NABARD Act, Multi State Cooperative Societies are not eligible to be financed by NABARD. Accordingly, Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank which technically became a multi state cooperative society after formation of Uttarakhand State as per the deemed provision regarding registration of Multi State Cooperative Societies Act, was not eligible for refinance from NABARD. Similarly, Goa SCB is registered as a multi state cooperative society was also not getting funding support from NABARD for the same reason. The proposed amendments to NABARD Act will address the legal problems faced by these banks in obtaining refinance from NABARD.

Highlights of Union Budget 2013-14

The Union Budget for 2013-14 was presented in the Lok Sabha by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Minister for Finance on 28th February 2013.

The Budget envisages a total expenditure of ₹16.65 lakh crore during 2013-14 of which ₹5.55 lakh crore will be under Plan Schemes. At the above level of expenditure, fiscal deficit for 2013-14 is estimated at 4.8% compared to 5.2% in 2012-13 and the revenue deficit will be 3.3% compared to 3.9% in 2012-13.

The following are the highlights of the budget relating to Agriculture & Agriculture Credit.

- Ministry of Agriculture is given an allocation of ₹27,049 crore which is 22% higher than the previous year.
- Continuing the programme of Green Revolution of Eastern India.
- Introducing Crop diversification programme.
- Pilot Programmes on Nutri-Farms for introducing new crop varieties that are rich in micro-nutrients.
- Establishing National Institute of Biotic Stress Management for addressing plant protection issues at Raipur and Indian Institute of Agricultural Biotechnology in Ranchi.
- Extending Pilot Scheme for Coconut rejuvenation to all of Kerala State.
- Target for agricultural credit has been fixed at ₹7 lakh crore from ₹5.25 lakh crore during 2012-13 and to continue interest subvention scheme for short term crop loans which will also be extended to crop loans borrowed from private sector scheduled commercial banks.

Budget as usual does not have any programme for the cooperative sector which accounts for 20% of GDP of the country. Though interest subvention scheme for crop loan is extended to private sector commercial banks, the same is still denied to crop loan borrowers of agriculture and rural development banks. Government has increased the target for agricultural credit from 5.25% to ₹7 lakh crore. But there is no target for investment credit, the proportion of which in total credit is drastically getting reduced year after year with disastrous consequences on agricultural productivity. Similarly though crop loans are available at affordable cost, interest rate of investment credit continues to be unaffordable at 14-15% p.a. Govt. is repeatedly ignoring this issue. Even though credit target has been increased it is pointed out that no attempt has been made to ensure its availability at adequate measure in different regions in the country as well as between different class of farmers within each region.

IV. REVIEW OF MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2012-13

A. Loans Advanced

The total loans advanced by 19 SCARDBs during the year 2012-13 amounted to ₹3305.02 crore as against ₹4142.31 crore during 2011-12. The decrease in the loan disbursement during the current year amounted to ₹837.29 crore, showing a downward trend of 20.21% over the previous year which was mainly due to suspension of lending operations by Uttar Pradesh SCARDB. The increase in lending was mainly contributed by Kerala (21.50%), Pondicherry 16.85%), Gujarat (6.42%) and Assam (>100%), however, there was decrease in lending in respect of Uttar Pradesh (>100%), Chhattisgarh (85.36%), Haryana (56.14%), Himachal Pradesh (41.06%), Tamil Nadu (34.27%), West Bengal (28.61%), Rajasthan (20.39%), Tripura (16.51%) and Punjab (11.38%). The aggregate loans outstanding at Ultimate Borrowers level stood at ₹17960.57 Crore for the year 2012-13 as against ₹17386.87 Crore for the previous year 2011-12.

B. Borrowings

The aggregate borrowings of 10 SCARDBs (Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Uttar Pradesh have NIL borrowings) out of 19 SCARDBs during the year 2012-13 amounted to ₹2326.37 crore, as against ₹2525.48 crore during 2011-12, resulting in a decrease of ₹199.11 crore (7.88%) over the previous year. The share of NABARD refinance in the total amount raised by SCARDBs amounted to ₹1741.31 crore accounting for 74.85% in the year 2012-13. While Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tripura & West Bengal SCARDBs registered an increase in borrowings during the current year, whereas there was decrease in respect of Karnataka (46.59%), Haryana (25.03%), Tamil Nadu (11.26%), Pondicherry (10.25%) and Kerala (6.76%).

The Borrowing Outstanding of 19 SCARDBs amounted to ₹15047.22 crore as on 31 March 2013 as against ₹15512.17 crore as on 31 March 2012. The decrease in borrowings outstanding was mainly accounted by Bihar (30.67%), Uttar Pradesh (20.40%), Chhattisgarh (17.46%), Madhya Pradesh (12.39%), Himachal Pradesh (12.12%), Tripura (7.33%), Gujarat (6.74%), Karnataka (5.35%) & Tamil Nadu (3.19%) while there was increase in the case of Kerala (15.69%) & Pondicherry (9.84%) and marginally high in case of Punjab, Rajasthan and West Bengal SCARDBs.

C. Deposit Mobilisation

During the year 2012-13, 12 SCARDBs raised ₹732.01 crore as against ₹336.82 crore in the year 2011-12 reporting a substantial increase of ₹395.19 crore (>100.00%) over the previous year. The increase in deposit mobilization was mainly contributed by Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Punjab and Karnataka SCARDBs, contributing 89.47% out of total deposit mobilized. The deposits outstanding as on 31 March 2013 amounted to ₹1020.54 crore as against ₹695.95 Crore as on 31 March 2012.

D. Financial Performance

Out of 19 SCARDBs, only 13 SCARDBs have furnished the data as on 31 March 2013. Out of the 13 SCARDBs, 8 SCARDBs have reported Profit while 5 SCARDBs (Assam, Haryana, Jammu & Kashmir, Orissa and Pondicherry) have reported loss. The total profit of 8 SCARDBs stood at ₹105.15 crore and the losses of 5 SCARDBs at ₹65.37 crore. Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh SCARDBs did not furnish the data.

E. Non Performing Assets

The total loan outstanding of 19 SCARDBs amounted to ₹19617.62 Crore as on 31 March 2013, the NPA stood at ₹6628.80 Crore amounting to 33.80% of the total loan outstanding as against 33.89% as on 31 March 2012.

F. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Ultimate Borrowers level is worked out for the period July-June. As the data as on 30 June 2013 was not readily available at the time of finalizing this report, the position as on 30 June 2012 is considered for review. The total ground level demand of ARDBs during 2011-12 (30 June 2012) were ₹11841.68 Crore against which collections amounted to ₹4821.37 Crore which formed 40.70% of demand as against 45.25% as on 30 June 2011. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 8 banks viz. Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Punjab, Tamil Nadu, Tripura & West Bengal SCARDBs whereas the same in respect of Chhattisgarh, Gujarat & Rajasthan were in the range of 40 to 50%. The poorest recoveries were in respect of Assam & Orissa SCARDBs which were reported in single digit.

G. General Information

There was no change in the structural pattern of SCARDBs during the year 2012-13 under report. Of the 19 SCARDBs, the number of federal and unitary SCARDBs continued to be 10 and 7 respectively and the remaining 2 SCARDBs having a mixed structural pattern comprising of affiliated PCARDBs as well as own branches. The general administrative data is worked out for the year 2011-12, based on the information readily available at the time of finalizing this report, the position as on 31 March 2012 is considered for review. The Unitary structure SCARDBs were operating through 777 branches. The Federal structure had 714 PCARDBs which in turn had 1005 branches as on 31 March 2012. The total membership of 18 SCARDBs as on 31 March 2012 was 132.17 Lakh of which the borrowing members were 66.61 Lakh. While 11 SCARDBs had elected board and 8 SCARDBs did not have an elected board as on 31 March 2012. At PCARDBs level, 398 PCARDBs (9 SCARDBs) had elected board as on 31 March 2012. The data in brief in this regard is as under:-

Sr. No.	Particulars	As on 31-Mar-2012
1)	Number of SCARDBs (Federal)	10
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	777
5)	Number of PCARDBs (Federal)	714
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	1005
7)	Total Membership (in Lakh)	132.17
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	66.61
9)	Number of SCARDBs having Elected board	11
10)	Number of PCARDBS having elected board	398
11)	Staff in SCARDBs (Number)	6641
12)	Staff in PCARDBs (Number)	9384

V. PROGRAMME OF ACTIVITIES OF THE PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL

The Planning, Research and Development Cell (PRD) Cell was established in 1973 in the Federation to undertake specific research and development activities with financial support by way of grant-in-aid from the Ministry of Agriculture, Government of India. The PRD Cell has undertaken the following activities during the current year.

(A) Conferences/Seminars/Workshops/Training Programmes

1) Conference of CEOs

The Conference of CEOs of SCARDBs was held on 8 May 2012 in Mumbai to review performance of ARDBs in key operational areas during 2011-12 and to finalise the programmes for 2012-13. The Conference also considered the proposed programmes as part of IYC 2012 Celebrations by the Federation and member banks. The Conference finalized on the following;

- (1) Bank-wise programme for lending, recovery and resource mobilization.
- (2) Impact of changes in the refinance policies of NABARD and suggestions for modifications in the refinance policy.
- (3) Programmes at the level of member banks as well as Federation's as part of IYC 2012 Celebrations.

2) Workshop on Risk Rating of SCARDBs

A Workshop on Risk Rating of SCARDBs was conducted on 21 June 2012 at Mumbai. The Workshop was attended by CEOs of SCARDBs. Executives of NABARD also took part in the deliberations.

The Workshop was organized on the background of introduction of Risk Rating System for SCARDBs by NABARD. A team of experts from NABARD consisting of Shri S.K. Mitra, Executive Director; Shri J.G. Menon, Chief General Manager (ICD), Shri K. Ramadoss, Chief Risk Manager and Shri Sudhanshu Kumar, Asst. General Manager (ICD); participated in the deliberations and made presentation on the salient aspects of the Risk Rating System in detail. Important decisions taken in this Workshop are listed below;

- There should be minimum required annual growth in refinance allocations for banks in low and medium risks to support a higher lending programme considering double digit inflation and need to step up business level to meet growing costs.
- The arrangement of giving interim refinance on same terms should be continued to cover the lead time for audit and also for getting govt guarantee.
- The risk based refinance system should pave way for waiving govt guarantee in deserving cases.
- Refinance should be given for a uniform period of 11 years instead of linking with tenure of individual loans. The period of 11 years was suggested on the basis of weighted average tenure of refinance outstanding at present.
- NABARD should expedite clarification that ARDBs have freedom to accept member deposits without restrictions and should not object to ARDBs taking member deposits in excess of net worth, in their inspection reports.
- In view of continuing uncertainty regarding the package and the urgency to take revival initiatives including deposit mobilization, NABARD should revive CDF support especially for infrastructure and capacity building as well as computerization.
- NABARD should consider issuing detailed guidelines on recovery procedure covering the following aspects:-
 - (i) Cut off period for initiating legal recovery measures.
 - (ii) Transfer of sale powers to banks' officials wherever not done.
 - (iii) Guidelines for engaging recovery agents.

3) Seminar on Risk Management in ARDBs

Federation organized the Seminar on Risk Management in ARDBs on 7 August 2012 at Srinagar (J&K). The Seminar was attended by Chairmen and Chief Executives and Senior Executives of member banks. The Seminar considered the Risk Assessment system for ARDBs in detail and deliberated on strategies to control risks.

The Seminar identified the following central areas for special attention in order to improve the risk rating of ARDBs.

- 1) Tackling NPAs and overdues.
- 2) Introducing short term loan products funded by resources mobilized through deposits and borrowings from sources other than NABARD.
- 3) Mobilising members deposits as per the guidelines issued by the Federation.
- 4) Initiate legal action in all the accounts where there are no repayment for a continuous period of two years.
- 5) Restructuring loans in accounts where there is partial repayment against demand every year, by increasing the period of loan for reducing the quantum of yearly instalments.
- 6) Banks to constitute Risk Management Committee at PCARDB/Branch as well as at SCARDB level.

4) Conference of Principal Secretaries (Coopn.)

A Conference of Principal Secretaries (Coopn) was organized jointly by the Federation and Government of Punjab on 20 September, 2012 at Chandigarh. The Conference was attended by Principal Secretaries (Coopn)/Registrar of Cooperative Societies from 12 States as well as representatives of Govt of India, NABARD and SCARDBs. The Conference for the first time gave the Federation opportunity to discuss the issues concerning LTCCS in various States with the Principal Secretaries (Coopn) and to seek their support in revamping the structure. The Conference made recommendations on a wide range of issues concerning the structure and operations of ARDBs. These recommendations are listed in Chapter-III of this report.

5) IYC National Conference of ARDBs

The Federation organized IYC National Conference on 20-21 November 2012 at Chandigarh (Punjab), which was attended by 331 participants from PCARDBs/SCARDBs. The target group of the Conference was the Chairmen, CEOs of the Banks. The Conference was also attended by the eminent leaders of cooperative movement, experts in rural banking and agriculture finance, officials from Govt. of India, Govt. of Punjab, Govt. of Haryana, officials from NABARD, NCUI etc. The purpose of the Conference was

- To mark culmination of sectoral programmes during International Year of Cooperatives 2012.
- To highlight and showcase the contributions of cooperatives in social and economic development.
- To make known to the world the usefulness and suitability of cooperative business model to faster economic growth with stability and equity.
- To help governments to evolve appropriate policies for the formation and growth of cooperatives in all sectors in the economy.

Programme Details

Date/Time	Name of Session	Learning Points of the Session
20.11.2012	Business Session-I	IYC 2012 and Opportunities for Long Term Rural Cooperative Credit Structure.
	Business Session-II	IYC 2012 and Indian Cooperative Movement.
	Business Session-III	Presentation of Success Stories by representatives of SCARDBs.
21.11.2012	Business Session - IV	1. Value Chain Financing in Agriculture. 2. Risk Reduction Strategies in Financing Agriculture.
	Business Session - V	Investment opportunities in Organic Farming.

IYC National Conference of ARDBs fully met its main objective of publicizing and internalizing, the theme of UN IYC 2012 **“Cooperative Enterprises Build a Better World”**. The Conference also provided opportunity to SCARDBs to present success stories of Agriculture and Rural Development Projects financed and promoted by them, which were documented as part of IYC 2012 programmes of NCARDB Federation. Conference also deliberated on the following sub-themes.

1. Investment Opportunities in Precision Farming and Organic Farming.
2. Value Chain Financing in Agriculture.
3. Strategies to reduce risks in financing small land holder farmers.
4. Co-operative Reforms in India.

The deliberations on these topics comprised of presentation and expert comments by eminent experts in respective fields followed by general discussions. The recommendations of IYC National Conference are given in Chapter-III of this report.

6) Meetings of Core Group for Reform Initiatives (CGRI) in SCARDBs

Constitution, participation and monitoring of Core Group for initiatives at the level of SCARDBs has been one of the important activities undertaken by the Federation through its PRD Cell. A detailed report on the Constitution as well as meetings of the CGRI is given in Chapter-III in this report.

(B) Publications

- (a) **Monthly Progress Report of ARDBs** : 12 consolidated monthly reports from April 2012 to March 2013 were brought out during the year 2012-13.
- (b) **Annual Statistical Bulletin** : The Bulletin for the year 2010-11 was brought out during the year and the bulletin for the year 2011-12 is under compilation.
- (c) **Publication of Land Bank Journal** : During the year, 2 quarterly issues i.e. June 2012 and September 2012 have been published and December 2012 is under print and March 2013 is under compilation.

VI. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure accounts for the year 2012-13 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ Lakh)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr. No.	ASSETS	As on	
		31.3.13	31.3.12			31.3.13	31.3.12
1.	Reserve Fund & Other Funds	1684.24	1613.00	1.	Cash & Bank Balances	21.16	16.84
2.	Secured Loans	10.45	945.93	2.	Investments	1404.37	2266.86
3.	Other Liabilities & Provisions	43.18	66.99	3.	Fixed Assets	248.50	255.97
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	8.22	9.80	4.	Sundry Debtors & Receivables	57.56	83.28
				5.	Loans & Advances	10.89	9.09
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	3.61	3.68
	TOTAL	1746.09	2635.72		TOTAL	1746.09	2635.72

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ Lakh)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2012-13	2011-12
	INCOME		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	109.54	88.66
2.	Interest income	85.42	74.61
3.	Grants received	18.00	26.00
4.	Miscellaneous income / Dividend / Guest House service charges	0.62	0.34
5.	Provisions written back	47.33	0.00
	TOTAL (1 to 5)	260.91	189.61
	EXPENDITURE		
1.	Management cost	95.91	94.87
2.	Other office expenses	22.56	26.53
3.	Meetings /Seminar/Conference expenses	32.00	9.63
4.	Premises maintenance expenses	8.98	8.18
5.	Provisions /Reserves	93.23	40.60
	TOTAL (1 to 5)	252.68	179.81
	Surplus	8.23	9.80

VII. ENDOWMENT FUNDS

The position of various endowment funds as on 31 March 2013 are briefly enumerated below :

Name of the Fund	Balance as on 31.3.2013	Activities under the Fund
1. B. Venkatratnam Memorial Fund	₹77,861.99	B.V. Memorial Trophy is awarded for the best ARDB in Category-I every year.
2. Udaybhansinhji Memorial Fund	₹1,24,473.42	(i) Awarding prizes to the meritorious trainees of Diploma Course in Land Development Banking at the Institutes of Coop. Management in the country run by the National Council for Coop. Training. (ii) Udaybhansinhji Memorial Trophy awarded to Category-II every year.
3. Dattatrayalu Memorial Fund	₹59,647.50	The Dattatrayalu Trophy for the best bank in Category-III is awarded every year.
4. M.N.Nambiar Memorial Fund constituted by Kerala SCARDB	₹52,570.86	M.N. Nambiar Trophy is awarded for the best performance in lending by ARDBs every year.
5. Punjab Chief Minister's Trophy Fund Constituted by Punjab SCARDB	₹46,331.00	Punjab Chief Minister's Trophy is awarded for best performance in Recovery by ARDBs every year.
6. Silver Jubilee Fund	₹3,27,405.10	Under this Fund, Federation is giving Fellowship of ₹25,000/- to one employee or any member or ward of a member of any member bank for doing the Post Graduate Business Management Diploma Course conducted by VAMNICOM, Pune.
7. Asian Raiffeisen Center Fund constituted by Federation.	₹1,42,632.18	--
TOTAL	₹8,30,922.05	

VIII. GENERAL BODY, BOARD AND EXECUTIVE COMMITTEE

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.

16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

Board of Management

As per Byelaws No.20(iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2013 consisted of the following persons:-

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri K. Sivadasan Nair, MLA Chairman	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar Vice Chairman	Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.
3.	Shri Y.V. Reddy Vice Chairman (till February 2012) Position vacant since February 2012. (Shri Kollukuduru Veera Reddy, elected President, AP SCB in February 2012)	Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.

4.	Shri Kishan Singh Bhatol Vice Chairman	Madhya Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
5.	Shri Narayan Rupini, MLA Vice Chairman (till August 2012) Position vacant since August 2012. (Shri Jyotilal Dutta assumed charge of President vide Bank's communication Dt. 16.8.2012)	Tripura Coop. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
6.	Shri Bijay Kumar Singh	Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Maryadit
7.	Shri Devendra Kumar Pandey	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
8.	Dr. Bijender Singh	Delhi State Coop. Bank Ltd.
9.	Shri Ishwarbhai B. Chaudhari	Gujarat State Co-op. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
10.	Shri R.G.N. Mule (till August 2012) Position vacant since August 2012. (Shri Ulhas B. Phal Dessai assumed charge of Chairman vide Bank's communication Dt. 28.8.2012)	Goa State Cooperative Bank Ltd.
11.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
12.	Shri S. S. Chauhan	Himachal Pradesh State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri A.R. Shivaram	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Dr. Subhash Mane	Maharashtra State Coop. Agri. Rural Multipurpose Dev. Bank Ltd.

15.	Shri A. Arivazhagan	Pondicherry Co-operative Central Land Dev. Bank Ltd.
16.	Shri Ashok Kumar Faujdar	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
17.	Shri M. Mohan	Tamil Nadu Co-op. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
18.	Shri Nawal Kishore (continued till April 2012) Position vacant since April 2012. (Shri Ram Jatan Yadav assumed charge of MD since April 2012. Shri Shivpal Singh Yadav elected Chairman in February 2013. Nomination to General Body being received.)	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
19.	Shri W.K. Kyndiah	Meghalaya Coop. Apex Bank Ltd.
20.	Shri K.K. Ravindran	Ex-officio

The current 5 year term of the Board will expire on 10 October 2013.

Executive Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman.
2. Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Punjab SCADB.
3. Shri K. S. Bhatol, Chairman, MP SCARDB.
4. Dr. Bijender Singh, President, Delhi SCB.
5. Shri A.R. Shivaram, President, Karnataka SCARDB.
6. Shri Bijay Kumar Singh, Chairman, Bihar RSBVB.
7. Shri Dalip Singh Yadav, Director, Haryana SCARDB.
8. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Permanent Invitees

1. Shri Ashok Kumar Faujdar, Chairman, Rajasthan RSBVB

Administrative Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman.
2. Shri S.S. Mrar, Chairman, Punjab SCADB.
3. Shri Kishan Singh Bhatol, Chairman, Madhya Pradesh SCARDB.
4. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Meeting of General Body, Special General Body, Board and Executive Committee during the F.Y. 2012-13

The Meetings of the General Body, Board of Management and Executive Committee held during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
(a) General Body (52nd Meeting)	Srinagar (J&K)	7 Aug. 2012
(b) Board of Management		
136th Board	Delhi	23 April 2012
137th Board	Srinagar (J&K)	07 Aug. 2012
138th Board	Goa	15 Dec. 2012
139th Board	Jaipur	16 March 2013
(c) Executive Committee Meeting		
	Delhi	23 April 2012
	Goa	15 Dec. 2012

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under debenture floatations, advances, recovery etc., also considered and discussed the following subjects in its meetings.

1. Shifts in the refinance policy of NABARD with respect to SCARDBs.
2. Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure.
3. Introduction of capital adequacy norms for SCARDBs.
4. Rating of SCARDBs on the basis of findings in voluntary inspection by NABARD.
5. Investment portfolio of SCARDBs.
6. Agenda for Meeting of various Committees suggested by NABARD.
7. Economic Scene 2011-12.
8. Highlights of Union Budget 2012-13.
9. ICA's message on International Womens' Day 8 March 2012
10. Review of performance of SCARDBs during April 2011 to January 2012 in key operational areas.
11. Risk assessment of SCARDBs.
12. Micro Management of loan recovery.
13. Meeting of Federation's representatives with Chairman, NABARD on 8 May 2012.
14. Conference of Chairmen and Chief Executives of SCARDBs on 21 June 2012.
15. Contribution by Govt of India to the debentures of SCARDBs during the year 2012-13.
16. Agri-clinics and Agri-business Centres Continuation of the Scheme for the year 2012-13.
17. Standardised loan application form for loans under Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme of Govt. of India.
18. Message of ICA on the occasion of International Cooperative Day on 7 July 2012.
19. Issues in the Long Term Cooperative Credit Structure.
20. Conference of Principal Secretaries (Coopn.) held on 20 September 2012 at Chandigarh.
21. Reviving LTCCS through Internal Initiatives.

22. Rate of interest on refinance w.e.f. 3rd August 2012.
23. Performance of SCARDBs during April-September 2012 in key operational areas.
24. Constitution of Core Group for Reform Initiatives by SCARDBs.
25. Financial assistance to JLTCs run by SCARDBs under SOFTCOB.
26. Rate of interest on refinance to SCARDBs Request made to NABARD to waive additional interest towards risk cost on refinance.
27. Amendment to the NABARD Act 1981.
28. The Constitution (97th Amendment) Act 2011 as applicable to Federation.
29. Request for extending the crop loan interest subvention scheme to institutions in the LTCCS.
30. Performance of SCARDBs during April 2012-December-2012 in key operational areas.
31. Highlights of Union Budget 2013-14.

IX. REPRESENTATION AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

Membership at National and International Levels

At the national level, the Federation continued its membership with the;

- 1) National Co-operative Union of India (NCUI).
- 2) Indian Merchants' Chamber (IMC).
- 3) Indian Banks' Association (IBA).
- 4) Centre for International Co-operation and Training in Agricultural Banking (CICTAB) and,
- 5) Indian Society for Studies in Cooperation.

The Federation is also holding membership as shareholder of the

- 1) National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC), New Delhi.
- 2) Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC), New Delhi.
- 3) Co-operative Bank of India (COBI), New Delhi.

The Federation is represented on the management of some of these institutions.

At international level, the Federation continued to be affiliated to the;

- 1) International Cooperative Alliance (ICA), Geneva, Switzerland.
- 2) International Raiffeisen Union (IRU), Bonn, Germany.
- 3) Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA), Bangkok, Thailand.

Affiliation to these international bodies gave the Federation and member banks opportunity to interact with fellow members at regional and global levels on matters of common interest.

Representation and participation of Chairman and Chief Executive at National Level

The Federation continued close liaison with various agencies including Central and State Governments, NABARD, RBI, NCDC, NCUI etc., during the year under report.

The Chairman and Managing Director of the Federation were either nominated or continued to represent on various bodies as also on committees constituted by the Govt. of India, Reserve Bank of India, NABARD, NCUI, COBI etc. They attended the meetings on various Boards/Committees besides participating in the Seminar, Workshop, Conference etc., convened at different levels.

During the year under report, the Chairman of the Federation was nominated/represented as a member of the following committees/Board.

- (i) Vice Chairman, NCUI.
- (ii) Board of Trustees of the National Institute for Rural Banking.
- (iii) Member on the Committee for Cooperative Education constituted by NCUI.

- (iv) Member of the Board of Directors, NAFFAC.
- (v) Member, National Council for Cooperative Training.
- (vi) Member, ICA Global Assembly.
- (vii) Member, ICA-AP General Assembly.
- (viii) Chairman, Regional Cooperative Banking Association of ICA-AP.
- (ix) Member, General Body of IRU.

The Managing Director was also nominated and continued to represent the Federation on the following Committee/Boards during the year.

- (i) Member, General Council, National Cooperative Development Corporation.
- (ii) Vice Chairman, Global HRD Committee of ICA.
- (iii) Member, General Council, APRACA.
- (iv) ICA-AP Committees on Banking and Human Resource Development.
- (v) Member, Governing Council, Indian Society for Studies in Cooperation.
- (vi) Member of General Council and Committee of Directors of CICTAB.

X. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture. The Board of Management places on record its gratitude to Shri Sharad Pawar, Hon'ble Minister for Agriculture and the officials of Ministry including Secretary (Agriculture), Additional Secretary (Agriculture) and Central Registrar of Cooperative Societies for their continued support and guidance to the Federation as well as Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance support to SCARDBs and taking initiatives to strengthen the Long Term Cooperative Credit Structure. NABARD continued its refinance support to SCARDBs during the year under report even though the quantum of such support has come down and its cost increased substantially due to recent changes in its policies with regard to SCARDBs which we hope will be reversed. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

NCDC has been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better. We acknowledge our gratitude to the Management of NCDC.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Board of Management places on record its gratitude to Hon'ble Members of Parliament especially Prof. P.J. Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha and Shri Anto Antony, Member Lok Sabha who took the lead role in organizing the Meeting of

Parliamentarians for taking up the issues in the Long Term Cooperative Credit Structure with Government of India.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our deep debt of gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri Sukhdarshan Singh Mrar and Shri Kishan Singh Bhatol, gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector during an extremely challenging period.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management,

**K. Sivadasan Nair, MLA
Chairman**

TABLE 1 - BORROWING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	RAISED DURING 2012-13				GRAND TOTAL	
		From NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC / HUDCO / NHB)	2012-13 (3+4+5+6)	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HARYANA	17211.00	956.00	956.00	22100.00	41223.00	54982.00
2.	HIMACHAL PRADESH	0.00	0.00	1057.00	0.00	1057.00	0.00
3.	KARNATAKA	7999.77	164.42	400.00	0.00	8564.19	16035.57
4.	KERALA	68242.66	0.00	0.00	20000.00	88242.66	94636.74
5.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	392.18	392.18	436.98
6.	PUNJAB	45074.55	0.00	0.00	0.00	45074.55	40096.72
7.	RAJASTHAN	19969.28	1109.41	1109.41	0.00	22188.10	20514.39
8.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	10250.00	10250.00	11550.15
9.	TRIPURA	0.00	0.00	11.87	0.00	11.87	5.88
10.	WEST BENGAL	15633.40	0.00	0.00	0.00	15633.40	14289.71
	TOTAL [1 to10]	174130.66	2229.83	3534.28	52742.18	232636.95	252548.14

TABLE 2 - BORROWING OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	From NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC / HUDCO / NHB)	As On 31/03/2013 (3+4+5+6)	As On 31/03/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ASSAM	0.00	57.48	145.02	12.00	214.50	214.50
2.	BIHAR	0.00	0.00	0.00	2688.53	2688.53	2688.53
3.	CHHATTISGARH	10714.27	263.98	210.16	0.00	11188.41	13554.30
4.	GUJARAT	6671.07	154.97	0.00	106.31	6932.35	10061.42
5.	HARYANA	182943.00	4869.00	4895.00	23650.00	216357.00	232000.30
6.	HIMACHAL PRADESH	16731.15	616.06	1077.30	22.00	18446.51	20984.23
7.	JAMMU & KASHMIR	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
8.	KARNATAKA	145925.13	555.29	155.29	0.00	146635.71	154923.48
9.	KERALA	246201.53	1627.44	1627.43	34408.31	283864.71	245349.25
10.	MADHYA PRADESH	67428.71	2810.18	3953.92	0.00	74192.81	84686.46
11.	MAHARASHTRA	0.00	0.00	6639.14	83427.84	90066.98	90066.98
12.	ORISSA	0.00	541.21	5603.41	1.64	6146.26	6146.26
13.	PONDICHERY	4.77	0.25	1.12	785.83	791.97	721.00
14.	PUNJAB	211158.46	865.81	282.17	0.00	212306.44	204860.31
15.	RAJASTHAN	118924.27	3366.30	3646.06	0.00	125936.63	125879.90
16.	TAMIL NADU	0.00	0.00	6389.88	9752.00	16141.88	16672.87
17.	TRIPURA	3515.00	0.00	0.00	0.00	3515.00	3793.00
18.	UTTAR PRADESH	195447.17	3969.56	3973.92	0.00	203390.65	255529.90
19.	WEST BENGAL	84395.53	399.36	433.55	61.44	85289.88	82468.16
	TOTAL [1 to19]	1290060.06	20376.17	39370.09	154915.90	1504722.22	1551216.85

TABLE 3 - DEPOSIT MOBILIZATION PROGRAMME

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	Deposit Raised During		Deposit Outstanding As On	
		2012-13	2011-12	31.03.2013	31.03.2012
1.	ASSAM	14.44	15.00	24.76	26.79
2.	CHHATTISGARH	1888.93	1671.51	2015.06	2122.55
3.	GUJARAT	16785.67	12523.57	20558.79	15213.61
4.	HIMACHAL PRADESH	1066.68	549.20	3483.34	2416.66
5.	JAMMU & KASHMIR	928.68	1025.81	2209.50	1280.82
6.	KARNATAKA	3460.99	2445.38	8442.07	6662.10
7.	KERALA	22311.45	136.15	10124.35	136.15
8.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	6451.60	9122.66
9.	ORISSA	0.00	0.00	112.10	115.23
10.	PONDICHERRY	721.23	746.87	1096.72	930.77
11.	PUNJAB	6071.00	2459.00	13054.46	6983.77
12.	RAJASTHAN	268.12	467.61	677.67	616.70
13.	TAMIL NADU	16865.87	5270.57	14826.12	4797.82
14.	UTTAR PRADESH	2817.85	6370.96	5523.06	7533.54
15.	WEST BENGAL	0.00	0.00	13454.05	11636.25
	TOTAL [1 to15]	73200.91	33681.63	102053.65	69595.42

TABLE 4 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	DISBURSED DURING 2012-13		GRAND TOTAL		OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2013		TOTAL OUTSTANDING	
		FARM SECTOR	NON FARM SECTOR(incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	2012-13** (3+4)	2011-12	FARM SECTOR	NON FARM SECTOR(incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	As on 1-03-2013 ** (7+8)	As on 31-03-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ASSAM	0.00	18.57	18.57	4.33	491.25	350.87	842.12	877.51
2.	BIHAR#	0.00	0.00	0.00	0.00	N.R.	N.R.	5772.71	5772.71
3.	CHHATTISGARH	2.82	19.51	22.33	152.59	14335.70	353.18	14688.88	16197.74
4.	GUJARAT	16704.27	2304.54	19008.81	17861.80	54143.11	3846.25	57989.36	56511.13
5.	HARYANA	14524.00	2772.00	17296.00	39437.00	163989.00	35536.00	199525.00	209967.00
6.	HIMACHAL PRADESH	1621.52	1092.43	2713.95	4604.38	13130.29	8722.71	21853.00	24681.90
7.	JAMMU & KASHMIR	574.30	105.39	679.69	692.93	1545.13	473.89	2019.02	1618.17
8.	KARNATAKA	21551.49	219.76	21771.25	20879.54	131876.02	2431.54	134307.56	133560.42
9.	KERALA*	36289.01	117407.81	153696.82	126500.49	N.R.	N.R.	329575.75	267547.79
10.	MADHYA PRADESH*	0.00	0.00	0.00	5425.73	N.R.	N.R.	70769.70	77055.07
11.	MAHARASHTRA#	0.00	0.00	0.00	0.00	N.R.	N.R.	39544.62	39544.62
12.	ORISSA#	0.00	0.00	0.00	0.00	N.R.	N.R.	2205.00	2205.00
13.	PONDICHERY	0.00	1658.86	1658.86	1419.59	10.88	1920.84	1931.72	1760.88
14.	PUNJAB*	30748.03	12418.33	43166.36	48708.82	N.R.	N.R.	231720.35	229515.50
15.	RAJASTHAN#	12716.75	5549.43	18266.18	22946.39	N.R.	N.R.	135499.80	135499.80
16.	TAMIL NADU	0.00	29925.77	29925.77	45527.98	2163.88	67382.45	69546.33	62123.26
17.	TRIPURA*	119.00	523.00	642.00	769.00	N.R.	N.R.	3035.00	3002.00
18.	UTTAR PRADESH#	4514.19	1067.63	5581.82	56814.73	N.R.	N.R.	369185.32	369185.32
19.	WEST BENGAL	12529.60	3523.58	16053.18	22485.62	74114.78	31931.01	106045.79	102061.47
	TOTAL [1 to19]	151894.98	178606.61	330501.59	414230.92	455800.04	152948.74	1796057.03	1738687.29

Note:- (1) NR denotes Not Reported (2) * Bifurcation not given (3) ** Tentative Figures
(4) # Loan O/s position as on 31-03-12 is considered for review for 2012-13, as the data were not available at the time of finalization of report

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	As on 31-03-2013**	As on 31-03-2012
1.	ASSAM	(281.95)	(500.59)
2.	CHHATTISGARH	N.R.	(1962.97)
3.	GUJARAT	3751.59	3725.42
4.	HARYANA	(699.00)	1576.00
5.	HIMACHAL PRADESH	39.00	105.29
6.	JAMMU & KASHMIR	(5270.00)	(4933.28)
7.	KARNATAKA	15.87	13.87
8.	KERALA	2065.21	2016.60
9.	MADHYA PRADESH	N.R.	(12932.60)
10.	ORISSA	(132.50)	(134.60)
11.	PONDICHERRY	(153.93)	(129.49)
12.	PUNJAB	2710.00	2070.63
13.	RAJASTHAN	296.80	1912.11
14.	TAMIL NADU	N.R.	219.37
15.	TRIPURA	1631.00	1540.00
16.	UTTAR PRADESH	N.R.	(6486.66)
17.	WEST BENGAL	5.86	74.39

Note:- (1) NR denotes Not Reported (2) Figures in Brackets indicate loss (3) ** Tentative Figures

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	NPA - AS ON 31 MARCH 2013			NPA - AS ON 31 MARCH 2012		
		Total Loan Outstanding*	NPAs*	% of NPA to Total Loans Outstanding	Total Loan Outstanding	NPAs	% of NPA to Total Loans Outstanding
1.	ASSAM	842.12	822.11	97.62	877.51	872.95	99.48
2.	BIHAR#	5772.71	5493.39	95.16	5772.71	5493.39	95.16
3.	CHHATTISGARH#	16197.74	9613.32	59.35	16197.74	9613.32	59.35
4.	GUJARAT	57989.36	23271.16	40.13	56511.13	24614.77	43.56
5.	HARYANA	220136.00	64888.00	29.48	224825.00	72659.00	32.32
6.	HIMACHAL PRADESH	23199.57	11166.09	48.13	26132.91	11318.65	43.31
7.	JAMMU & KASHMIR	2019.02	276.28	13.68	1618.17	340.77	21.06
8.	KARNATAKA	134307.56	36037.05	26.83	133560.42	36401.06	27.25
9.	KERALA	326474.36	11203.67	3.43	263393.83	8803.52	3.34
10.	MADHYA PRADESH	108178.18	84242.70	77.87	112923.28	74794.14	66.23
11.	MAHARASHTRA#	113319.08	111062.53	98.01	113319.08	111062.53	98.01
12.	ORISSA#	10646.96	10646.96	100.00	10646.96	10646.96	100.00
13.	PONDICHERRY	1931.72	77.56	4.02	1760.88	83.82	4.76
14.	PUNJAB	217347.54	6662.00	3.07	216162.46	6317.82	2.92
15.	RAJASTHAN	141035.80	54122.66	38.38	144387.76	42563.18	29.48
16.	TAMIL NADU	151522.4	23278.34	15.36	142138.97	20709.83	14.57
17.	TRIPURA	3034.00	1134.00	37.38	3002.00	862.00	28.71
18.	UTTAR PRADESH#	321762.45	188919.54	58.71	321762.45	188919.54	58.71
19.	WEST BENGAL	106045.79	19962.46	18.82	102061.47	16857.32	16.52
	TOTAL [1 to 19]	1961762.36	662879.82	33.79	1897054.73	642934.57	33.89

Note:- (1) NR denotes Not Reported (2) * Tentative Figures

(3) # Loan O/s and NPA position as on 31-03-2012 is considered for review for 2012-13, as the data were not available at the time of finalization of Annual Report.

TABLE 7 - RECOVERY PERFORMANCE

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of the SCARDB	AT ULTIMATE BORROWERS LEVEL									
		As on 30.06.11					As on 30.06.12				
		Demand	Collection	Balance	% of Recovery to Demand	Demand	Collection	Balance	% of Recovery to Demand		
1.	ASSAM	327.36	45.90	281.46	14.02	586.11	41.71	544.40	7.12		
2.	BIHAR	32044.06	1179.91	30864.15	3.68	34761.69	3615.31	31146.38	10.40		
3.	CHHATTISGARH	10234.81	4870.17	5364.64	47.58	9907.19	4176.56	5730.63	42.16		
4.	GUJARAT	59731.22	28206.05	31525.17	47.22	55685.93	26340.17	29345.76	47.30		
5.	HARYANA	156921.01	54350.47	102570.54	34.64	167012.93	64489.39	102523.54	38.61		
6.	HIMACHAL PRADESH	12127.57	5367.69	6759.88	44.26	13485.76	6859.12	6626.64	50.86		
7.	JAMMU & KASHMIR	1174.26	312.12	862.14	26.58	1240.13	476.56	763.57	38.43		
8.	KARNATAKA	70390.17	38311.90	32078.27	54.43	56022.62	30360.70	25661.92	54.19		
9.	KERALA	96356.47	69033.54	27322.93	71.64	108297.17	78440.50	29856.67	72.43		
10.	MADHYA PRADESH	76691.54	21581.70	55109.84	28.14	82874.08	14509.86	68364.22	17.51		
11.	MAHARASHTRA	73619.05	16377.23	57241.82	22.25	73619.05	16377.23	57241.82	22.25		
12.	ORISSA	2148.51	250.32	1898.19	11.65	2241.15	126.74	2114.41	5.66		
13.	PONDICHERY	1358.24	1299.11	59.13	95.65	1557.17	1493.18	63.99	95.89		
14.	PUNJAB	121183.75	72263.55	48920.20	59.63	118894.90	73300.78	45594.12	61.65		
15.	RAJASTHAN	110753.50	50114.67	60638.83	45.25	108461.02	43494.64	64966.38	40.10		
16.	TAMIL NADU	30423.72	15175.84	15247.88	49.88	77039.59	53297.42	23742.17	69.18		
17.	TRIPURA	1160.00	816.07	343.93	70.35	1230.00	893.01	336.99	72.60		
18.	UTTAR PRADESH	154507.93	77405.25	77102.68	50.10	228980.07	39592.64	189387.43	17.29		
19.	WEST BENGAL	44253.13	20634.96	23618.17	46.63	42271.15	24251.03	18020.12	57.37		
	TOTAL [1 to 19]	1055406.30	477596.45	577809.85	45.25	1184167.71	482136.55	702031.16	40.72		

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA AS ON 31 MARCH 2012

Sr. No.	Name of the SCARDB	Branches (Unitary / Mixed Structures)	PCARDBs (Federal / Mixed Structures)	Branches of PCARDBs (Federal Structure)	Total Membership	Borrowing Members	Elected Board (Yes/No)	PCARDBs having elected Boards	Staff of SCARDBs	Staff of PCARDBs
1.	ASSAM	28	0	0	39106	3204	Yes	N.A.	229	N.A.
2.	BIHAR	131	0	0	715093	241309	No	N.A.	718	N.A.
3.	CHHATTISGARH	0	12	77	214235	52018	Yes	12	53	354
4.	GUJARAT	181	0	0	675723	675723	Yes	N.A.	448	N.A.
5.	HARYANA	0	19	87	736270	293627	Yes	19	129	1309
6.	HIMACHAL PRADESH	33	1	16	75633	42000	Yes	1	122	61
7.	JAMMU & KASHMIR	45	0	0	92447	73439	No	N.A.	149	N.A.
8.	KARNATAKA	0	177	23	992205	611778	Yes	175	369	1007
9.	KERALA	14	63	130	1140551	757206	Yes	62	323	1111
10.	MADHYA PRADESH	7	38	268	396320	275540	No	34	306	1738
11.	MAHARASHTRA	0	29	187	1143209	6622	No	2	159	1319
12.	ORISSA	0	46	0	820590	4365	No	0	75	93
13.	PONDICHERRY	1	0	0	15946	3866	No	N.A.	33	N.A.
14.	PUNJAB	0	89	0	860906	225997	Yes	78	220	570
15.	RAJASTHAN	7	36	131	1232185	736036	Yes	N.R.	129	661
16.	TAMIL NADU	0	180	18	1285979	252961	No	0	140	588
17.	TRIPURA	5	0	0	6872	4710	Yes	N.A.	49	N.A.
18.	UTTAR PRADESH	323	0	0	2396071	2161256	No	N.A.	2865	N.A.
19.	WEST BENGAL	2	24	68	377906	239735	Yes	15	143	573
	TOTAL [1 to19]	777	714	1005	13217247	6661392	-	398	6641	9384

Note:- (1) NA denotes 'Not Applicable' (2) NR denotes 'Not Reported'



Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, Federation welcoming Shri Parkash Singh Badal, Chief Minister of Punjab, Chief Guest at the Conference of Principal Secretaries (Coopn) at Chandigarh, Punjab on 20 September 2012.



Conference of Principal Secretaries (Coopn) - Address of Shri K. Sivadasan Nair.



Conference of Principal Secretaries (Coopn)-In the Dias (L-R) Shri Viswajeet Khanna, IAS, Financial Commissioner (Coopn) Punjab; Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, Federation; Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation; Shri G.S. Mangat, Managing Director, Punjab SCADB.



IYC National Conference of ARDBs-S. Parminder Singh Dhindsa, Finance Minister, Govt. of Punjab with Shri K. Sivadasan Nair and Vice Chairpersons Shri Sukhdarshan Singh Mrar and Shri K.S. Bhatol.



IYC National Conference of ARDBs-Address of Shri K. Sivadasan Nair.



IYC National Conference of ARDBs-A view of the Dias on the first day.



IYC National Conference of ARDBs-A view of participants.



IYC National Conference of ARDBs-1st prize for outstanding Success Story presented to Punjab SCADB.
(L-R) Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation; Ms. Ritu, Asst. Manager, Punjab SCADB;
Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Vice Chairman, Federation, Shri G.S. Mangat,
Managing Director, Punjab SCADB.

तिरपनवीं वार्षिक रिपोर्ट 2012-13



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फ़ैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com वेबसाईट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित, मुम्बई की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2012-13 के लिये राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक **सोमवार दिनांक 15 जुलाई 2013 की मध्याह्न 12.00 बजे फेडरेशन के 701, ए-विंग, बी.एस.ई.एल.टेक पार्क, वाशी नवी मुम्बई** स्थित कार्यालय में निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु आयोजित होगी:-

1. 7 अगस्त 2012 को होटल सेण्टूर, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु।
2. वर्ष 2012-13 के सम्प्रेक्षित खातों के लेखा विवरण पर विचार।
3. वर्ष 2012-13 के अधिशेष का निस्तारण।
4. 31.03.2013 को समाप्त हुये वर्ष में लेखा परीक्षकों के लेखा के सांविधिक प्रतिवेदन पर विचार।
5. 31.03.2013 को लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार।
6. वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
7. वर्ष 2012-13 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके शुल्क निर्धारण पर विचार।
8. वर्ष 2014-15 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुरूप, सामान्य निकाय में, फेडरेशन के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो अध्यक्ष/चेयरमैन अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सदस्य बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य, जिसे प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया हो, अथवा जहां प्रबन्ध समिति का गठन न हुआ हो, के सदस्य बैंक का प्रशासक अथवा जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, से मिल कर बनेगा। तदनुसार सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वह फेडरेशन को सामान्य निकाय में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि का नाम प्रबन्धक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य निकाय की बैठक के कम से कम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा

स्थान- नवी मुम्बई
दिनांक-18-06-2013

हस्ताक्षरित /-
(के.के.रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक

I. आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था जो चल रही वैश्विक मन्दी से शुरुआती सालों में बहुत अधिक प्रभावित नहीं रही है ने तथापि विगत दो वर्षों में वैश्विक रुझानों की ओर अपना झुकाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो वर्ष 2011-12 में 6.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गयी थी, वह वृद्धि दर 2012-13 में 5 प्रतिशत की गिरावट से कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलापों की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत, उद्योगों की 3.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद की आधे से भी अधिक की वृद्धि का कारण है गत वर्ष के 8.2 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर से गिर गई।

बचत दर के रूप में चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत दर जो वर्ष 2010-11 के 34.0 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 30.8 प्रतिशत अनुमानित की गई थी जबकि कुल घरेलू पूंजी निर्माण 2010-11 में 36.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में 35.0 प्रतिशत था।

कृषि

वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार 257.44 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित किया गया था जिसमें 129.94 मिलियन टन खरीफ उत्पादन तथा 127.50 मिलियन टन रबी उत्पादन के लिये था।

2012 के दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान पूरे देश में दीर्घ अवधि औसत (लांग पीरियड एवरेज) से 8 प्रतिशत कम वर्षा हुई। मध्य भारत तथा उत्तर पश्चिम भारत में क्रमशः -4 तथा -7 प्रतिशत वर्षा की कमी अनुभव की गई तथा प्रायद्वीप क्षेत्र में 10 प्रतिशत कम वर्षा हुई। उत्तर पूर्व भारत में दीर्घ अवधि औसत (लांग पीरियड एवरेज) से 11 प्रतिशत कम वर्षा हुई। जनपद स्तर पर 10 प्रतिशत जनपदों में अधिक वर्षा, 48 प्रतिशत जनपदों में सामान्य, 37 प्रतिशत में न्यून तथा 5 प्रतिशत जनपदों में अत्यन्त अल्प वर्षा हुई।

अवशेष 36 प्रभागों (परगना) स्तर पर 13 प्रभागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्ष 2012 में न्यून वर्षा लेखांकित की गई। अवशेष 23 प्रभागों में से एक प्रभाग में अधिक वर्षा तथा अवशेष 22 प्रभागों में सामान्य वर्षा लेखांकित की गई। मौसम विज्ञान के उपलब्ध आंकणों वाले 628 जनपदों जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, में से 365 (58 प्रतिशत) जनपदों में अधिक/सामान्य वर्षा हुई तथा अवशेष 263 (42 प्रतिशत) में मौसम के दौरान न्यून/अति अल्प वर्षा हुई।

दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कमी के कारण (चतुर्थ अग्रिम अनुमान) कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसल से आच्छादित क्षेत्र में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2011-12 में कमी आई है। विगत वर्ष में 720.86 लाख हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान खरीफ खाद्यान्न में क्षेत्र आच्छादन 665.03 लाख हैक्टेयर रहा। खरीफ

खाद्यान्न के क्षेत्र आच्छादन में गिरावट का मुख्य कारण आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड तथा बिहार में चावल उत्पादन के क्षेत्र में कमी, राजस्थान में मुख्य रूप से कम क्षेत्र में मोटे अनाज बाजरा तथा दालों का उत्पादन का किया जाना रहा। तिलहन के उत्पादन में भी आच्छादित क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में कम रहा। वर्ष 2012-13 में खरीफ चावल के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र लगभग 391.62 लाख हैक्टेयर है जो गत वर्ष की तुलना में 9.06 लाख हैक्टेयर कम है। चालू वर्ष के दौरान गन्ना उत्पादन के आच्छादित क्षेत्र में 51 लाख हैक्टेयर का मामूली सुधार हुआ है जो गत वर्ष की तुलना में 0.13 लाख हेक्टेयर अधिक है। कपास के उत्पादन में आच्छादित क्षेत्र गत वर्ष 2010-11 में आच्छादित क्षेत्र 121.78 लाख हेक्टेयर की तुलना में 5.64 लाख हेक्टेयर की कमी के साथ 116.14 लाख हेक्टेयर पर आ गया।

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार (जिसमें केवल खरीफ की फसल आच्छादित थी), वर्ष 2012-13 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 117.18 मिलियन टन, तिलहन 18.78 मिलियन टन, गन्ना 335.33 मिलियन टन तथा कपास 170 किलो ग्राम की 33.4 मिलियन बेल के उत्पादन अनुमानित किये गये। ये उत्पादन अनुमान मुख्यतः वर्ष 2012 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की न्यूनता एवं कृषि योग्य भूमि के क्षरण के कारण गत वर्ष की तुलना में निम्न स्तर निर्धारित किये गये हैं।

उद्योग

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में गत वर्ष हुई 3.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 0.7 प्रतिशत के दर पर वृद्धि हुई। तीन बड़े क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र ने उच्चतम वृद्धि दर्ज कराई। निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि धीमी रही तथा खनन के क्षेत्र में वृद्धि नकारात्मक रही। वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान विद्युत क्षेत्र में गतवर्ष इसी अवधि में हुई 9.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण एवं खनन क्षेत्रों में क्रमशः विगत के तदनुरूप आंकड़ों 4 प्रतिशत तथा (-)2.6 के सापेक्ष 0.7 प्रतिशत तथा (-)1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपयोग आधारित उद्योग समूहों के बीच केवल मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र ने वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान विकास में मामूली वृद्धि दर्ज की तथा आधारभूत वस्तुओं एवं उपभोज्य वस्तुओं (टिकाऊ व गैर टिकाऊ) में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि में गिरावट पायी गयी। पूंजीगत वस्तु उद्योगों ने उसी अवधि में नकारात्मक वृद्धि दिखाई। मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान तदनुरूप (-) 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 1.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। आधारभूत वस्तु क्षेत्र में चालू वर्ष में वृद्धि दर गत वर्ष की 6.3 प्रतिशत के सापेक्ष 2.7 प्रतिशत है। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान वृद्धि दर गत वर्ष के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2.6 प्रतिशत रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में वर्ष 2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर) में प्राप्त 5.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के

दौरान वृद्धि दर में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई। उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में वर्ष 2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर) में प्राप्त 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) में वृद्धि दर में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई। विसंमूहन (भिन्न-भिन्न) स्तर पर 22 में से 11 दो अंको वाले औद्योगिक समूह अर्थात् तम्बाकू उत्पाद, पहनने वाले कपड़े, लकड़ी के उत्पाद धातु निर्मित उत्पाद, मशीन व उपकरण, अंकन एवं संगणन मशीन, विद्युत उपकरण, चिकित्सकीय एवं दृष्टि सम्बन्धी उपकरण मोटर वाहन, अन्य परिवहन सामग्री तथा फर्नीचर निर्माण में वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) में नकारात्मक वृद्धि अंकित की गई। अवशेष 11 उद्योग समूहों में, 4 उद्योग समूहों ने 5 से 10 प्रतिशत तथा 7 उद्योग समूहों ने अर्थात्, खाद्य उत्पाद, कागज उत्पाद, प्रकाशन एवं मुद्रण, रासायनिक उत्पादों, रबर तथा प्लास्टिक दूसरे गैर धातु वाले, खनिज उत्पाद तथा मूलभूत धातुओं ने पांच प्रतिशत से नीचे की वृद्धि दर अंकित की।

आधारिक संरचना

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों (जिनमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, विद्युत, सीमेन्ट, तैयार कॉरबन स्टील, प्राकृतिक गैस तथा औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में 37.90 प्रतिशत भार के मिश्रण सहित उर्वरक सम्मिलित हैं) के सूचकांक में वर्ष 2011-12 की इसी अवधि की 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन प्रमुख आठ औद्योगिक क्षेत्रों में से दो अर्थात् स्टील तथा विद्युत क्षेत्रों में वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान वर्ष 2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर) की वृद्धि दर क्रमशः 9.1 प्रतिशत व 9.3 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत तथा 4.6 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर पायी गयी। वर्ष 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान कोयला, रिफाइनरी उत्पाद तथा सीमेन्ट में वृद्धि क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत तथा 6.1 प्रतिशत रही तथा कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक के क्षेत्रों में इसी अवधि में वृद्धि नकारात्मक रही।

मूल्य एवं मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापित उच्चस्तरीय मुद्रास्फीति 2010-11 में 9.56 प्रतिशत के औसत पर थी जो 2011-12 में लुढ़क कर 8.94 प्रतिशत तथा 2012-13 के प्रथम 10 माह (अप्रैल से जनवरी) के आंकड़े में 7.46 प्रतिशत नीचे चला गया। जनवरी 2013 में मुद्रास्फीति 38 माह के न्यूनतम स्तर 6.62 प्रतिशत पर स्थापित थी।

तीन प्रमुख कमोडिटी समूहों में मुद्रास्फीति का स्तर तथा इसका चलन में उल्लेखनीय विविधता रही। गत वर्ष के इसी माह की 2.76 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की तुलना में जनवरी 2013 में थोक मूल्य सूचकांक में 20.12 प्रतिशत भार वाली प्राथमिक वस्तुओं में 10.31 प्रतिशत की मुद्रास्फीति लगातार आंकलित की गई। थोक मूल्य सूचकांक में 14.91 प्रतिशत के भार वाली ईंधन एवं ऊर्जा का विगत वर्ष के उसी माह के 16.99 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की तुलना में जनवरी 2013 में निरन्तर 7.06 प्रतिशत की मुद्रास्फीति आंकलित की गई। थोक मूल्य सूचकांक में 64.97 प्रतिशत के भार वाले निर्मित उत्पाद का विगत वर्ष के उसी अवधि की 6.71 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की तुलना में जनवरी 2013 में 4.81 प्रतिशत की मुद्रास्फीति आंकलित की गई।

खाद्य स्फीति (थोक मूल्य सूचकांक में 24.31 प्रतिशत के भार वाले पदार्थ) जिसमें प्राथमिक खाद्य पदार्थ और निर्मित खाद्य उत्पाद सम्मिलित हैं, जनवरी 2012 के 1.45 प्रतिशत की स्फीति की तुलना में जनवरी 2013 की स्फीतिक दर के 10.57 प्रतिशत पर सर्वथा अधिक था।

मूल स्फीति जो गैर खाद्य निर्मित उत्पाद की स्फीति के अनुरूप है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सजगता से निरीक्षण की जा रही है, मार्च 2011 में 8.50 प्रतिशत के शिखर से यह स्फीति जनवरी 2013 में 4.12 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये मौद्रिक उपायों के अलावा धातुओं, रसायनों तथा टेक्स्टाइल उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों में नरमी ने इस स्फीति को कम करने में योगदान दिया।

उद्योग कर्मियों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में निरन्तर मुद्रास्फीति का मापन (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—उद्योग कर्मी 2001=100) दिसम्बर 2011 के 6.49 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर 2012 को 11.17 प्रतिशत था। खाद्य स्फीति (46.20 प्रतिशत भार) दिसम्बर 2012 में 13.53 प्रतिशत थी जिसने वस्तुतः दिसम्बर 2011 की 1.97 प्रतिशत पर स्फीति पर बढ़त बनाई। आधार वर्ष 2010=100 की नई श्रृंखला के साथ नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में ग्रामीण, शहरी तथा अखिल भारत स्तर पर जनवरी 2013 में मुद्रास्फीति क्रमशः 10.88 प्रतिशत, 10.73 प्रतिशत एवं 10.79 प्रतिशत रही।

खाद्य स्फीति जो मुद्रा स्फीति के विभिन्न उपायों के लिये वर्ष अप्रैल 2010 में 14 से 16 प्रतिशत के स्तर पर थी, जनवरी 2012 में पहले लगभग एक प्रतिशत कम हुई किन्तु इसके बाद तबसे यह लगातार बढ़ती रही है। खाद्य स्फीति के प्रमुख चालकों ने प्रोटीन भोज्य जिसमें पशु उत्पाद, दाल तथा सब्जियां सम्मिलित हैं, के कारण कीमतों का उच्च स्तर पर बना रहना कायम रहा। हाल ही के महीनों में कीमतों के बढ़ने का दबाव अनाजों, मुख्य रूप से गेहूं एवं चावल में भी पाया गया।

सरकार मुद्रा स्फीति को रोकने की आवश्यकता पर पूर्ण सजग है। वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्ग को मुद्रा स्फीति से संरक्षण प्रदान करने के लिये, चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित जुलाई 2002 से अपरिवर्तित रखे गये हैं। आर्थिक लागत के वर्तमान स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे के (बीपीएल) परिवारों के लिये निर्गम मूल्य केवल 23.4 प्रतिशत तथा 22.8 प्रतिशत क्रमशः चावल एवं गेहूं के लिये है। सरकार भी उपभोक्ता के पास यथोचित मूल्य स्तर पर आपूर्ति को बनाये रखने के लिये डीज़ल, मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी. के मूल्य के महत्वपूर्ण भाग को अवशोषित कर रही है। उपभोक्ताओं को मुनाफाखोरी/शोषण से बचाने के लिये उपयोगी वस्तु विशिष्ट वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों को (समुचित उपलब्धता बनाये रखने के लिये) लागू किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति जो 9—10 प्रतिशत के स्तर पर कायम थी, को रोकने के लिये मार्च 2010 से अक्टूबर 2011 तक पॉलिसी दरों में 375 आधार अंकों की वृद्धि की थी। मुद्रास्फीति, मुख्यतः मूलभूत स्फीति

में कुछ संतुलन आने पर, वृद्धि में सुधार लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने शनैः-शनैः अपनी मौद्रिक नीति के रुख में नरमी लाना शुरू कर दिया। तथापि, मुद्रास्फीति संतुलन तथा स्फीतिक आकांक्षाओं को बनाये रखना मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय बना रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान मौद्रिक रुझान तथा विकास

मौद्रिक नीति के रुख लगातार मुद्रास्फीति को रोकने तथा विकास को सुसाध्य बनाये रखने के दोहरे प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति पर पूरी तरह से केन्द्रित रहीं। वर्ष 2010-12 के दौरान बढ़ते स्फीतिक दबाव के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कड़ी मौद्रिक नीति के लागू किये जाने की आवश्यकता थी। जनवरी 2010 तथा अक्टूबर 2011 के मध्य आर.बी.आई. (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने पॉलिसी दरों (रेपो दर-ऋण देने की दर) में 375 आधार अंको से 4.75 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत वृद्धि कर दी। सतत मजबूत मुद्रास्फीति के साथ बाहरी तत्वों से विकास के मार्ग में बढ़े हुये जोखिम के सम्मुख कड़ी मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई जो अपेक्षाकृत पहले तेज प्रत्याशित थी। अप्रैल 2010 में 10.9 प्रतिशत के शिखर से अप्रैल से जनवरी 2012-13 में 7.5 प्रतिशत के औसत स्तर पर मुद्रास्फीति में संतुलन के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख में अक्टूबर 2011 से बदलाव हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2012 में रेपो दर-ऋण देने की दर) 50 आधार अंक में तथा जनवरी 2013 में 25 आधार अंकों से कम कर दी। इसके साथ साथ तरलता की स्थिति में सुधार लाने हेतु आरक्षित नकदी निधि अनुपात (कैश रिज़र्व रेशिओ) में 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की कमी तथा सांघिक चल निधि (स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशिओ) को कम करना जारी रखा।

2012-13 में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का रुख वर्ष के लिये वृहद आर्थिक मानदण्डों प्रक्षेपण पर आधारित था। 17 अप्रैल 2012 को जारी अपने 2012-13 के मौद्रिक नीति विवरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति (मुख्य शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक) के साथ 7.3 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि उल्लेखित की जो शनैः-शनैः मार्च 2013 तक 6.5 प्रतिशत कम हो गई। इस वृद्धि एवं मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के अनुकूल इसने एम-3 तथा गैर खाद्य साख वृद्धि का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत का एक सूचक लक्ष्य निर्धारित किया। हांलाकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विकास के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित करना जारी रखा तथा जनवरी 2013 की मौद्रिक नीति की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में वृद्धि प्रक्षेपण को 5.5 प्रतिशत तक कम कर दिया। फिर भी मुख्य शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संदर्भ में तीसरी तिमाही समीक्षा में मार्च 2013 तक मुद्रास्फीति 6.8 प्रतिशत तक संयत करते हुये निर्दिष्ट किया गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के प्रक्षेपण के संशोधन की दृष्टि से साख वृद्धि एवं एम-3 के सांकेतिक लक्ष्य क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत तक कम थे। यद्यपि मौद्रिक समुच्चय का चलन इंगित करता है कि व्यापक मुद्रा तथा गैर खाद्य साख दोनों ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सूचक स्तरों से नीचे थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व मनी (एमओ) में वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही (25 जनवरी 2013 के अनुसार) जब कि ब्रॉड मनी (एम3) की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत थी (11 जनवरी 2013 के अनुसार)। वर्ष में लगातार गैर खाद्य साख की

वृद्धि 15.7 प्रतिशत बढ़ी। (11 जनवरी 2013 के अनुसार)। नवम्बर के दूसरे सप्ताह से केन्द्र के नकदी अवशेष में वृद्धि, त्योहार सम्बन्धी मुद्रा की एक मुफ्त मांग में बढ़ोत्तरी, निक्षेप वृद्धि तथा साख वृद्धि के मध्य बढ़ती खाई के कारण लाये गये संरचनात्मक दबाव के कारण तरलता की स्थितियां कड़ी हो गयीं। चलन निधि घाटा लगातार भारतीय रिजर्व बैंक की सुखद स्तर से ऊपर रहने के कारण आरक्षित नकदी निधि में कमी करते हुये तथा खुले बाजार के परिचालन को संचालित कर दबावों को कम करने के उपाय आर.बी.आई. द्वारा किये गये।

वर्ष 2012-13 के प्रथम छमाही के दौरान भुगतान संतुलन (अप्रैल से सितम्बर 2012)

वर्ष 2011-12 के प्रथम छमाही के 89.5 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 9.9 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2012-13 की प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर 2012) में आयात की तुलना में निर्यात में अत्यधिक गिरावट, व्यापार घाटा 90.7 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 10.8 प्रतिशत) के बढ़ाने के लिये उत्तरदायी था। 2011-12 की प्रथम छमाही के 53.1 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत) से घटकर 2012-13 की प्रथम छमाही में शुद्ध अदृश्य संतुलन 51.7 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 6.2 प्रतिशत) पर नीचे आ गया। 2011-12 की प्रथम छमाही के 36.4 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत) की तुलना में 2012-13 की प्रथम छमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) 39.0 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत) तक बदतर हुआ। व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी तथा शुद्ध अदृश्य लाभ में गिरावट, चालू खाता घाटा (सीएडी) की वृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं।

2012-13 की प्रथम छमाही के दौरान पूंजी प्रवाह में मिश्रित रुझान था। वर्ष 2012-13 के प्रथम छमाही के दौरान भारत के लिये शुद्ध एफडीआई (आवक में से जावक को घटाने पर) में 12.8 बिलियन अमेरीकी डालर की कमी आयी इसके सापेक्ष गत वर्ष इसी अवधि में यह 15.7 बिलियन अमेरीकी डालर थी। इस स्थिति में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) सहित शुद्ध निवेश समूह (पोर्टफोलिओ) प्रवाह 2011-12 के प्रथम छमाही के 1.3 बिलियन अमेरीकी डालर की तुलना में 2012-13 की प्रथम छमाही के दौरान 5.8 बिलियन अमेरीकी डालर तक बढ़े। 2012-13 की प्रथम छमाही के दौरान अनिवासी भारतीय जमा राशियां 9.4 बिलियन अमेरीकी डालर पर मजबूत बने रहे। (2011-12 के प्रथम छमाही में 3.9 बिलियन अमेरीकी डालर रही)। किन्तु बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के अन्तर्गत भुद्ध प्रवाह वर्ष 2011-12 के प्रथम छमाही के 8.4 बिलियन अमेरीकी डालर से 2012-13 की प्रथम छमाही के दौरान घटकर 1.7 बिलियन अमेरीकी डालर नीचे आ गये। व्यापार साख के अन्तर्गत शुद्ध प्रवाह में 2011-12 के प्रथम छमाही के उसी अवधि में 5.9 बिलियन अमेरीकी डालर के सापेक्ष 2012-13 के अप्रैल से सितम्बर के दौरान 9.5 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 के प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह 40 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत) था जब कि इसी अवधि में 2011-12 में यह 43.5 बिलियन अमेरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत) था।

जैसा कि 2012-13 के प्रथम छमाही में पूंजी आगमन चालू खातों के घाटों को पूरा करने के लिये पर्याप्त थे जिसके फलस्वरूप 2012-13 के प्रथम छमाही में 0.4 बिलियन अमेरीकी डालर की शुद्ध अभिवृद्धि आरक्षित निधि (भुगतान संतुलन के आधार पर) में हुई।

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां

अगस्त 2011 के अंत तक विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां अब तक सर्वाधिक स्तर 322.2 बिलियन अमेरीकी डालर पर पहुंच गईं। यद्यपि आरक्षित निधियों में उसके बाद कमी आयी तथा मार्च 2012 के अंत में 294.4 बिलियन अमेरीकी डालर के आंकड़े पर थीं। इससे मार्च 2011 के अंत में 304.8 बिलियन अमेरीकी डालर के स्तर में 10.4 बिलियन अमेरीकी डालर की कमी परिलक्षित हुई।

2012-13 में विदेशी मुद्रा भण्डार 286.0 बिलियन अमेरीकी डालर से 295.6 बिलियन अमेरीकी डालर की सीमा में रहा। दिसम्बर 2012 के अंत में आरक्षित निधि 295.6 बिलियन अमेरीकी डालर थीं जो मार्च 2012 के अंत में आंकलित 294.4 बिलियन अमेरीकी डालर से 1.2 बिलियन अमेरीकी डालर की मामूली वृद्धि की सूचक है।

विनिमय दर

अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक अनेक उतार-चढ़ावों के मध्य प्रति अमेरीकी डालर रुपये के मूल्य की मासिक औसत विनिमय दर ₹51.81 से ₹56.03 की सीमा में रही। रुपया 27 जून 2012 को अब तक सबसे कम मूल्य ₹57.22 के दर पर था जो 30 मार्च 2012 को प्रति अमेरीकी डालर का ₹51.16 के मूल्य के ऊपर 10.6 प्रतिशत के हास को इंगित करता है। 5 अक्टूबर 2012 को 51.62 रुपये प्रति अमेरीकी डालर की अभिवृद्धि हुई। यद्यपि इसके बाद इसमें गिरावट आना शुरू हो गया तथा तब से रुपये की मासिक औसत विनिमय दर अक्टूबर से दिसम्बर 2012 के मध्य प्रति अमेरीकी डालर का ₹53.02 से ₹54.78 की सीमा में बना रहा।

महीना दर महीना आधार पर ₹53.02 प्रति अमेरीकी डालर मार्च 2012 से 7.9 प्रतिशत की दर से गिरकर दिसम्बर 2012 में ₹54.65 प्रति अमेरीकी डालर पर आ गया। यह भी देखा गया कि मार्च- दिसम्बर 2012 के दौरान रुपये के विनिमय दर का मासिक औसत पाउण्ड स्टर्लिंग के मुकाबले 9.7 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 7.2 प्रतिशत तथा जापानी येन के मुकाबले 6.5 प्रतिशत गिरा।

विदेशी ऋण

मार्च 2012 के अंत के अभिलेखित 345.4 बिलियन अमेरीकी डालर पर 5.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सितम्बर 2012 के अंत में भारत का विदेशी ऋण भण्डार 365.3 बिलियन अमेरीकी डालर था। भारी अनिवासी भारतीयों द्वारा निक्षेप

जमा, अल्पकालीन ऋण तथा व्यापारिक उधारियां, विदेशी ऋणों में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण थे। सितम्बर 2012 के अन्त में 280.8 बिलियन अमेरीकी डालर दीर्घ कालिक विदेशी ऋण थे जो कुल विदेशी ऋण का 76.9 प्रतिशत थे जबकि अवशेष 23.1 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण थे।

सितम्बर 2012 तक अमेरीकी डालर नामित ऋण विदेशी ऋण भण्डार में निरन्तर 55.7 प्रतिशत पर उच्चतम बना रहा, भारतीय रुपया (22.9 प्रतिशत पर), जापानी येन (8.6 प्रतिशत पर), विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) –(8.1 प्रतिशत) तथा यूरो (3.2 प्रतिशत) अमेरीकी डालर के पीछे थे। सितम्बर 2012 के अन्त में सरकारी (स्वायत्त) विदेशी ऋण 81.5 बिलियन अमेरीकी डालर थे जब कि गैर सरकारी विदेशी ऋण 283.9 बिलियन अमेरीकी डालर था। मार्च 2011 के अन्त में कुल विदेशी ऋण में सरकारी विदेशी ऋण का हिस्सा 25.5 प्रतिशत था जो मार्च 2012 के अन्त में 23.7 प्रतिशत तथा पुनः सितम्बर 2012 के अन्त में घटकर 22.3 प्रतिशत रह गया।

भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों ने कुल विदेशी ऋण भण्डार को मार्च 2012 के अन्त में 85.2 प्रतिशत के सापेक्ष सितम्बर 2012 के अन्त में 80.7 प्रतिशत सुरक्षा (निधि) प्रदान कराई। मार्च 2012 के अन्त में 26.6 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर 2012 के अन्त में विदेशी विनिमय भण्डार में अल्पकालीन विदेशी ऋण अनुपात 28.7 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात जो मार्च 2012 के अंत में 13.9 प्रतिशत था, सितम्बर 2012 के अन्त में धीरे-धीरे घट कर 13.2 प्रतिशत रह गया।

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण विदेश ऋण प्रबन्धन नीति के कारण विदेशी ऋण प्रबन्धनीय सीमा में 19.7 प्रतिशत बना रहा जैसा कि 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के लिये विदेशी ऋण के 6 प्रतिशत अनुपात से स्पष्ट है।

(स्रोत— वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 वित्त मंत्रालय)

II. सहकारी दीर्घ कालीन साख संरचना – विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई – अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक। दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने के साथ दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंको की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्द्रीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंको से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 1940 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई, जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे, जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से नवाजा गया तथा 1990 में इन्हें ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का नाम दिया गया।

आजादी के बाद भारतीय कृषि के विकास में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एस.सी.ए.आर.डी.) का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने 1960 एवं 1970 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रिकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 1980 तथा 1990 के दशक में कृषि कार्य में पूंजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर दिये जाने के अलावा अपनी उपज से बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला।

एस.सी.ए.आर.डी. बैंको तथा पी.सी.ए.आर.डी. बैंको के साथ-साथ राज्य तथा प्राथमिक ए.आर.डी. बैंकों के निर्वाचित प्रबन्ध समिति सदस्यों/प्रतिनिधियों के लगभग 25000 कर्मियों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को व्यापक रूप से जे.एल.टी.सी. द्वारा पूरा किया जाता है, जो नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एस.सी.ए.आर.डी. बैंको द्वारा चलाया जाता है। सहकारी प्रबन्ध संस्थान तथा क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (आई.सी.एम. व आर.आई.सी.एम.), भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से, एन.सी.सी.टी. द्वारा तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र नाबार्ड द्वारा संचालित किये जाते हैं। मध्य एवं अपर स्तर के कर्मी मुख्य रूप से वैमिनीकॉम (वी.ए.एम.एन.आई.सी.ओ.एम.) तथा कैब (सी.ए.बी.) पुणे, बर्ड लखनऊ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल बैंकिंग बैंगलौर में प्रशिक्षित किये जाते हैं।

प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) लगभग सभी एससीएआरडी बैंकों द्वारा कमप्यूट्रीकृत करा ली गई है, केरल तथा पंजाब ने समस्त कार्यप्रणाली कमप्यूट्रीकृत कर ली है। अन्य एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा समस्त कार्यप्रणाली के कमप्यूट्रीकरण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर पूर्ण किये जाने हेतु प्रगति पर है।

दीर्घकालीन संरचना ने कृषि क्षेत्र के पूंजी निर्माण में तेजी लाकर अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। यद्यपि नब्बे के दशक के बाद से गैर संसाधन आधारित मियादी ऋण वितरण एजेन्सी के निहित गुणों के विशिष्ट स्वरूप से सम्बद्धता के कारण ए.आर.डी. बैंकों के कार्य निष्पादन में गिरावट आयी है, फलस्वरूप दूसरी वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सदस्यों की पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता पूर्ति क्षमता में गम्भीर रूप से अवरोध उत्पन्न हुआ है। कार्य के मुख्य क्षेत्र की कार्य प्रणाली में आन्तरिक एवं बाह्य कारणों की अशक्तता तथा रुग्णता के इन दोषों के संयोजन के फलस्वरूप इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति तथा व्यवहार्यता में पिछले 10 वर्षों में तेजी से गिरावट आयी है।

फरवरी 2008 में (ADWDR) ए.डी.डब्लू.डी.आर. योजना की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में ऋण वसूली बुरी तरह प्रभावित हुई है। बार-बार घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलें तथा वसूली प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप ने भी बकाया तथा अनर्जक परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) की बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति में योगदान किया है। उत्तर प्रदेश, जहां सरकार ने एक साल पहले ऋण माफी की घोषणा की तथा मध्य प्रदेश जहां सरकार ने एससीएआरडीबैंकों को ऋण बकाये के किसी भी मामले में कोई कार्यवाही न करने के निर्देश दिये हैं, को छोड़ कर ऋण वसूली में विगत दो वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य तथा प्राथमिक स्तर के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का प्रशासन अनेक घटकों से क्षीण हुआ है। स्वायत्तता और परिचालन की स्वतंत्रता की कमी, अधिकांश संस्थाओं में निर्वाचित प्रबन्ध समिति का आभाव, सरकार द्वारा बिना समुचित चयन प्रक्रिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बार-बार परिवर्तन, विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में पेशेवर कर्मियों का आभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के प्रयास, बैंकों के प्रबन्धन में सरकारी हस्तक्षेप इत्यादि खराब प्रशासन के मुख्य उत्तरदायी घटक हैं।

इन कमियों के बावजूद भी सहकारी दीर्घकालिक ऋण संरचना अभी भी प्रासंगिक है तथा निवेश साख के अनुपात में कृषि साख के कुल प्रवाह की हो रही तीव्र गिरावट को अवरुद्ध करने के लिये इस को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। इस संरचना के पुनरुद्धार करने हेतु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको तथा प्राथमिक सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों को आत्म निर्भर, स्वायत्त, सदस्य संचालित संगठन के रूप में पूर्णतया रूपान्तरित किया जाना होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में, कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण संकेन्द्रित लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराने में समर्थ हो।

III. 2012-13 के दौरान विकास - मुख्य अंश

वर्ष 2012-13 इस क्षेत्र के नीति परिवेश में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी रहा है। फेडरेशन के आग्रह पर राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा स्वयं संचालित सुधारों की पहल में सदस्यों के निक्षेप जमा संग्रहण में उल्लेखनीय प्रगति के साथ वर्ष में गति पकड़ ली। अधिकांश बैंकों ने अनर्जक परिसम्पत्तियों को सुलझाने के लिये प्रभावी उपाय अपनाये। इस क्षेत्र को पुर्नजीवित करने हेतु राज्य सरकार का सहयोग पाने के लिये फेडरेशन द्वारा आयोजित सहकारिता के प्रमुख सचिवों के सम्मेलन से राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों के लिये अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार की नीतियों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिली। वर्ष के दौरान अधिकांश राज्य सहकारी समितियों/राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियमों में संविधान (97वें सशोधन) में निहित प्रावधानों के अनुरूप संशोधनों को कार्यान्वित किया गया। अधिनियम 2011 जो 15 फरवरी 2013 से सभी सहकारिताओं के लिये अनिवार्य हो गया था, सहकारिताओं के कुशल एवं स्वायत्त कार्य शैली की दिशा में दूसरी सकारात्मक परिवृद्धि थी। दूसरी ओर, वैद्यनाथन टास्क फोर्स- II द्वारा संस्तुत दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में निरन्तर हो रही देरी ने उक्त अभिवृद्धियों के लाभों को निष्प्रभावित कर दिया है। उसी तरह नाबार्ड द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को पुर्नवित्त देने के पात्रता मानदण्डों में और अधिक कड़ाई और इससे भी अधिक विशिष्ट पुर्नवित्त की लागत के साथ साथ परिमाण को राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के जोखिम दर से जोड़ने के निर्देशों से इस संरचना की संस्थाओं के समक्ष नयी चुनौतियां लादी हैं।

प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान फेडरेशन ने इस क्षेत्र के स्वसंचालित सुधारों के अपने कार्यक्रम पर नयी पहल के साथ तेजी से कार्यवाही की। वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के मुख्य परिवर्धन तथा पहल नीचे सूची बद्ध हैं -

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना हेतु पुनरुद्धार पैकेज

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिये वैद्यनाथन टास्क फोर्स-II के आधार पर एक प्रस्ताव जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2006 में प्रस्तुत की जा चुकी थी, भारत सरकार के पास कुछ समय से विचाराधीन है। यद्यपि, इस संरचना के पुनरुद्धार हेतु भारत सरकार से सहयोग सभी आशाओं पर वित्त मंत्रालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु लगायी गयी अवरोधों की श्रृंखला ने निरुत्साहित किया है। प्रथमतः, मंत्रालय ने मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना की समीक्षा के लिये एक दूसरे टास्क फोर्स की नियुक्ति किये जाने की एक अनुचित कार्यवाही का प्रश्रय लिया। नये टास्क फोर्स द्वारा फरवरी 2010 में पैकेज के क्रियान्वयन की संस्तुति पर समर्थन देने के उपरान्त भी, मंत्रालय ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में विलय को प्रस्तावित कर, जो न तो वैद्यनाथन टास्क फोर्स-II द्वारा प्रस्तावित किया गया था और नही मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना में दिया गया था, और अभी हाल में यह निर्णय लेकर कि कृषि के लिये ऋण प्रवाह में नगण्य योगदान को देखते हुये इस संरचना को पुनरुद्धार पैकेज दिया जाना सुसंगत नहीं है, के द्वारा कार्य को लम्बित रखने

की नीति को यथावत जारी रखे हुये है। 7 वर्षों से अधिक की अवधि तक के दीर्घ कालिक विलम्ब से इस क्षेत्र को बाजार में अपने अंशों को बनाये रखने के लिये अपेक्षित अवसर से वंचित रखते हुये मंत्रालय द्वारा पैकेज क्रियान्वयन न करने के लिये दी गई इस नवीनतम दलील का कोई आधार अथवा तर्क नहीं है। राज्यों में दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना से जुड़े माननीय सांसदों ने अभी हाल ही में इस संरचना को प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज के अविलम्ब क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011

सहकारी समितियों से सम्बंधित संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम भारत के सहकारी आन्दोलन के लम्बे इतिहास में एक पथ प्रदर्शक विधान है। सहकारिता पर संवैधानिक संशोधन के तीन मुख्य भाग है। पहला, संविधान के पहले भाग का संशोधन एक नये अनुच्छेद को सम्मिलित जिसे 19(1)(सी) क्रमांकित किया गया है, सहकारी समितियों का गठन साथ-साथ यदि समान उद्देश्य के सहभागी हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, सहकारी समिति का सदस्य बनाना। दूसरा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 43(बी) के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कर लिया गया है जिसके अनुसार "राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त परिचालन, प्रजातांत्रिक नियंत्रण तथा सहकारी समितियों के व्यवसायिक प्रबन्धन के प्रयास करेगा।" तीसरे, एक नया अनुच्छेद जिसे भाग IX(बी) क्रमांकित कर संविधान में सम्मिलित किया गया है, जो समिति की कार्य अवधि, संरचना तथा विधान, वार्षिक सामान्य निकाय, लेखों का सम्प्रेक्षण, सदस्यों के सूचना के अधिकार, सदस्यों की प्रबन्धन में भागीदारी आदि से सम्बन्धित आवश्यक पहलुओं को बताता है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी समितियों संचालकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी तथा एक पद अनुसूचित/जनजाति के लिये और महिलाओं के लिये दो पद, उपर्युक्त वर्णित श्रेणी के लोगों की व्यक्तिगत सदस्यता के साथ संचालक मण्डल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। सहकारी समितियों चुनाव समय से कराये जाने के लिये सरकार द्वारा निर्वाचन प्राधिकारी के विधान के लिये भी व्यवस्थायें की गई हैं। उसी प्रकार, वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर आयोजित किया जाना है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित सम्प्रेक्षकों/सम्प्रेक्षण फर्मों से सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति की जानी होगी। ये संवैधानिक संशोधनों के प्रावधान, निर्वाचन कराने तथा सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी धाराओं को छोड़कर, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुरूप ही हैं। बहुराज्यीय समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने का दायित्व अब प्रबन्ध समिति से बदल कर सरकार द्वारा गठित किये जा रहे निर्वाचन प्राधिकारी को सौंप दिया गया है। वर्तमान में, बहुराज्यीय समितियां, सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति या तो अपने निजी पैनल से अथवा केन्द्रीय निबन्धक द्वारा अनुमोदित पैनल से करने का विकल्प रखती हैं। संवैधानिक प्रावधान समितियों के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से नियुक्त किया अनिवार्य बनाता है।

संवैधानिक प्रावधान सरकार की प्रबन्ध समिति के छः माह से अधिक की अधिक्रमण करने की शक्ति, जिसके अन्दर निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने को प्रतिबन्धित करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी समिति छः माह से अधिक बिना

निर्वाचित प्रबन्ध समिति के नहीं रह सकती है। इसके अतिरिक्त, बिना सरकारी ईक्विटी अथवा सरकारी सहायता के सहकारी समितियों का संचालक मण्डल किसी भी परिस्थिति में अधिक्रमित नहीं किये जा सकते हैं। सहकारी समितियों के संचालक मण्डल से गैर मतदान करने वाले सदस्यों को कुशल विशेषज्ञों के सहविकल्प एवं कार्यात्मक/वृत्तिमूलक संचालको के रूप में संचालक मण्डल में समावेशन के साथ अपेक्षाकृत अधिक व्यवसायी होने की अपेक्षाएँ हैं। इससे प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के सम्बन्ध में, सामान्य सभा की बैठकों की आवृत्ति, लेखाओं के सम्प्रेक्षण की व्यवस्था, सदस्यों की न्यूनतम सहभागिता की आवश्यकता आदि में भी एकरूपता आयेगी।

14 फरवरी 2013 से अर्थात् संवैधानिक संशोधन के क्रियाशील हो जाने की तिथि से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, सम्बन्धित समिति के अधिनियमों में प्रावधानों का विचार किये बिना, सभी सहकारी समितियों के लिये संवैधानिक प्रावधान अनिवार्य हैं। संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 ने सहकारी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने तथा सहकारी समितियों के प्रबन्धन के आवश्यक पहलुओं में एकरूपता लाने में एक अग्रणी विधान के रूप में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है जो इससे पहले कभी सम्भव नहीं था क्योंकि इसके लिये सभी राज्यों को समान क्षेत्र के अंतर्गत पृथक विधान की आवश्यकता थी।

प्रमुख सचिवों (सहकारिता) का सम्मेलन

फेडरेशन ने पंजाब सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सहकारिता के प्रमुख सचिवों का प्रथम सम्मेलन 20 सितम्बर 2012 को चण्डीगढ़ में आयोजित किया। इस सम्मेलन ने पहली बार फेडरेशन को राज्यों के शासकीय अधिकारियों के साथ अनेक राज्यों के सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा संरचना के सुधार में उनके सहयोग पाने का अवसर प्रदान कराया। सम्मेलन में 12 राज्यों के सहकारिता के प्रमुख सचिव/निबन्धक सहकारी समितियों के साथ-साथ भारत सरकार, नाबार्ड तथा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये कहा कि हमारे देश की कृषि ऋण नीति कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार से निवेश ऋण की ब्याज दरों को 14 प्रतिशत से 4 प्रतिशत से अधिक न करने, जो वर्तमान में फसली ऋण की ब्याज दर है, के लिये कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने दीर्घ कालीन साख संरचना के लिये वैद्यनाथन टास्क फोर्स-11 द्वारा संस्तुत किये गये पैकेज के लागू करने में बढ़ती जा रही लम्बी देरी के प्रति चिन्ता व्यक्त की और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह इसे अब बिना आगे कोई विलम्ब किये लागू कराये। श्री बादल ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को दिये जाने वाले पुर्नवित्त के पैमाने में कमी किये जाने के नाबार्ड निर्णय तथा पुर्नवित्त भुगतान हेतु दिये जा रहे दो वर्षों के स्थगन (moratorium) को वापस लिये जाने की आलोचना की, जिसने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली को अस्थिर बना दिया है।

श्री के.शिवदासन नायर ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में पंजाब सरकार को सम्मेलन के आयोजन में उनके बहुमूल्य सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री पंजाब को सम्मेलन के उदघाटन के लिये आभार प्रदर्शित किया। उन्होंने पंजाब सरकार को भी सम्मेलन के आयोजन में बहुमूल्य सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। उनके सम्बोधन के मुख्य अंश निम्नवत हैं:—

- दोषों के बावजूद दीर्घ कालीन साख संरचना अभी भी प्रासंगिक हैं तथा कृषि में पूंजी निर्माण बढ़ाने में सार्थक भूमिका निर्वहन कर रहा है। संरचना पर अपने सदस्यों की जिम्मेदारी है जिसमें 138 लाख ग्रामीण परिवार हैं और जिनकी भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक होने के कारण किसी अन्य दूसरी एजेन्सी से अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।
- दीर्घ कालीन साख संरचना के लिये पुनरुद्धार पैकेज, जिसकी घोषणा 2008—09 के केन्द्रीय बजट में कर दी गयी थी वह अभी तक मिल नहीं पाया है। राज्य सरकारों को यह मुद्दा केन्द्र सरकार के सम्मुख उठाने तथा इसे बिना किसी विलम्ब के लागू कराने की आवश्यकता है।
- राज्य तथा केन्द्र सरकारों को निवेश ऋण के ब्याज में कमी कराने तथा ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती हुई ऋण ज़रूरतों को समुचित ढंग से पूरा करने के लिये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को सुसाध्य बना कर अपने संसाधन बढ़ाने के लिये विधिक एवं नीतिगत सुधारों हेतु कदम उठाना चाहिये।

श्री के.के.रविन्द्रन ने बैठक के लिये एजेण्डा (कार्यावली) प्रस्तुत किया जिस पर बैठक कक्ष में उपस्थित अधिकारियों (वृत्ताकार मेज परिचर्चा) द्वारा विचार-विमर्श किया गया। श्री विश्वजीत खन्ना वित्तीय आयुक्त (सहकारिता) पंजाब, श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक (ऋण) कृषि मंत्रालय, श्री जी. वी. कृष्णराव प्रमुख सचिव (सहकारिता) कर्नाटक, श्री के. जिन्दल मुख्य महा प्रबन्धक नाबार्ड, श्री सईद अहमद बाबा सचिव (सहकारिता) पश्चिम बंगाल, श्री बिष्णुपाद सेठी आयुक्त एवं सचिव (सहकारिता) उड़ीसा, डा. डी. एच. ब्रह्मभट्ट, सचिव(सहकारिता) गुजरात, डा. वी. एम गोपाल मेनन, प्रमुख सचिव केरल, श्री प्रेम कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमांचल प्रदेश, श्री एम. के. राउत, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़, श्री जी. एस. मंगत, प्रबन्ध निदेशक पंजाब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्री राम जतन यादव, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक तथा श्री के राम चन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. ने उक्त परिचर्चा में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। प्रक्रिया बिन्दु जिन पर सम्मेलन में आम सहमति बनी निम्नवत हैं :—

संसाधन संग्रहण

अधिकांश राज्यों में नाबार्ड ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को एक मात्र ऋण देने योग्य कोष प्रदान करने वाला साधन है। हाल के वर्षों में नाबार्ड द्वारा पात्रता मानकों में कड़ाई कर देने के कारण नाबार्ड से इस संरचना को मिलने वाले पुर्नवित्त की मात्रा के साथ-साथ पुर्नवित्त पात्र बैंकों की संख्या में शनैः-शनैः गिरावट आई है।

फलस्वरूप, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कुछ जगहों पर नये ऋण देने में असमर्थ हो गये हैं जब कि कुछ बैंकों ने तेजी से ऋण वितरण प्रक्रिया में न्यूनता ला दी है। अतः सदस्यों की ऋण जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिये समुचित संसाधनों की वृद्धि करना इस संरचना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

इस चुनौती का सामना करने के लिये सम्मेलन में निम्नांकित सुझाव निकल कर आये:-

- (i) राज्य सरकारें जो पहले ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त पाने के लिये गारण्टी निर्गत कर रही हैं वे इस गारण्टी के दायरे को बढ़ा कर कुछ संस्थाओं जैसे एनसीडीसी जो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को ऋण देने की दिशा में सक्रिय है तथा वाणिज्यिक बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुंच कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से विस्तारित और सघन करना चाहते हैं, को पुनर्वित्त गारण्टी के दायरे में लाने पर विचार कर सकती हैं।
- (ii) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व्यवसाय से पृथक रखी जाने वाली अपनी आरक्षित एवं अन्य निधियां राज्य सहकारी बैंकों में जमा करते हैं। इसी तरह, कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के अन्तरिम वित्त को पूरा करने हेतु अल्प कालीन कोषों के लिये अग्रिम प्रदान करते हैं। इन दोनों संस्थाओं के मध्य व्यवसायिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करने पर विचार कर सकती है जिससे कि राज्य सहकारी बैंकों के अधिशेष कोषों को, जो बैंकिंग प्रणाली में निवेश करने के कारण संसाधनों का राज्य से बाहर जाने की परिणित बनता है, के स्थान पर, उन्हें राज्य के अन्दर ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने पर विचार कर सकती हैं।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक-नाबार्ड द्वारा संस्थाओं एवं आम जनता के सावधि जमा स्वीकार किये जाने तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों पर सावधि जमा लिये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध, सावधि जमा को मात्र एक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिये सीमित कर देने एवं कुल जमा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की कुल सम्पत्ति तक की उच्चतम सीमा निर्धारित होने के कारण जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको के जमा संग्रहण कार्यक्रम में कोई अधिक गति नहीं आई है। यद्यपि बैद्यनाथन टास्क फोर्स-।। ने योजना के क्षेत्र विस्तार हेतु योजना में सुधारों की संस्तुति की है, वे संस्तुतियां अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं।

हालांकि, अंशधारी सदस्य बिना किसी उपर्युक्त सार्वजनिक जमा से सम्बद्ध वर्णित प्रतिबन्धों के सहकारी समितियों में अपनी जमा निवेश कर सकते हैं। अधिकतर बैंकों ने फेडरेशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर सदस्यों के जमा निक्षेप स्वीकारने प्रारम्भ कर दिये हैं। फिर भी कुछ मामलों में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को सदस्यों के निक्षेप जमा हेतु निबन्धक सहकारी समितियां/सरकार की अनुमति पानी शेष है। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकारें यथाशीघ्र अपना अनुमोदन प्रदान करें।

- (iv) कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को अपनी शुद्ध सम्पत्ति एवं उधार शक्ति में वृद्धि के लिये स्वाधिकृत निधियों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गैर मतदान निश्चित लाभांश अधिमान्य अंश निर्गमन के लिये प्रासंगिक प्रावधान हेतु अधिनियम में संशोधन पर विचार करना चाहिये।

ऋण पुर्नगठन

सम्मेलन ने देखा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 60 प्रतिशत से अधिक ऋणी कृषक, मांग के विरुद्ध केवल आंशिक भुगतान करते हैं तथा ऐसे किसानों की बकाया अतिदेय राशि अधिकतर वर्षों में आंशिक अथवा पूर्ण देय व्यतिक्रम का, जब उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की क्षति अथवा परिवार में किसी के अस्पताल में भर्ती कराये जाने, उच्च शिक्षा तथा बच्चों के विवाह आदि के कारण असामान्य रूप से भारी आर्थिक खर्च वहन किया हो, की स्थिति को दर्शाता है।

यह आवश्यक है कि उन प्रकरणों में जहां कृषकों के ऋण की अवशेष अवधि बहुत कम है, वहां उनकी बकाया धनराशि को सरल किश्तों में जमा कराने के साथ उन्हें सक्षम बनाने के लिये ऋण अवधि में विस्तार कर अवशेष बकाया अतिदेयों का पुर्ननिर्धारण किया जाये। इससे उन्हें उनके बकाया पर लगाये जाने वाले दण्डित ब्याज तथा अन्य दूसरे भुगतान के व्यय भार से मुक्ति मिलेगी। अतिरिक्त ऋण का पुर्ननिर्धारण उन्हें नये ऋण के लिये सुपात्र बनाये रखने के साथ ही, कर्नाटक तथा हरियाणा राज्यों द्वारा दी जा रही त्वरित भुगतान पर ब्याज में प्रोत्साहन छूट भी दिलायेगा।

सम्मेलन ने महसूस किया कि बकायों का पुर्ननिर्धारण सरकार के बिना किसी विशिष्ट दिशा निर्देशों से सामान्य तौर पर सभी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा किया जा सकता है। फिर भी, बैंक को अपने नियमों एवं अधिनियमों अथवा प्रचलित निर्देशों के अन्तर्गत सरकार अथवा निबन्धक को सहकारी समितियों के अनुमोदन की आवश्यकता है। सरकार को तदनुसार, किसानों को ऋण के दबाव से मुक्ति के लिये किये जा रहें ऐसे राहत उपायों के लिये अनुमति प्रदान करनी चाहिये।

ऋण वसूली

सम्मेलन में इस बात को भली भांति अनुभव किया गया कि सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को अपने बकाया ऋण की वसूली के लिये बन्धक ग्रस्त भूमि नीलामी करने का दिया गया अधिकार बकाया ऋण के विरुद्ध प्रभावी है और यह कि जहां राज्य सरकारों ने ऋण वसूली के लिये भूमि नीलामी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, दुराग्रही (हठपूर्ण) रूप से बकाया रखने की प्रवृत्ति चौंकाने वाली गति से बढ़ रही है। ऋण की वसूली हेतु भूमि का विक्रय निष्पादित करने के अधिकार अधिकांश राज्यों में बैंक के अधिकारियों को प्रदत्त किये गये हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

आमतौर पर पुराने व हठी बकायेदारों से सम्बन्धित भूमि की नीलामी का आश्रय ऋण वसूली के लिये लेते हैं तथा विक्रय किये जाने वाले भाग में बन्धकग्रस्त भूमि का केवल एक हिस्सा सम्मिलित होता है जिसका अनुमानित बाजार मूल्य ऋण बकाया को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होता है। सम्मेलन ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को वसूली परिवेश सुधारने हेतु निम्नांकित नीतिगत सहयोग प्रदान करना चाहिये:—

- (i) ऋण वसूली के विधिक उपायों पर प्रतिबन्ध लगाने से परहेज़ करना चाहिये।
- (ii) सरकार के निर्देश पर ऋण माफी तथा वसूली स्थगन किये जाने के कारण होने वाली हानि के लिये समय पर क्षति पूर्ति राशि उपलब्ध कराना।
- (iii) राज्य में बैंक के अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त कराना जहां अभी तक ये अधिकार नहीं दिये गये हों।

ब्याज दरें

निवेश ऋण पर किसानों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज उनके द्वारा वहन करने योग्य नहीं है। नाबार्ड अपने पुर्नवित्त पर जब 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज लेता है तो बैंक निवेश ऋण 14 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर देने में असक्त हैं। ऋण की इतनी ऊंची लागत कृषि निवेश को हतोत्साहित करने का कार्य करती है कृषि की 4 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर बनाये रखने के लिये मूल रूप से लगातार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

यह सुझाव दिया गया कि फसल ऋण के लिये भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना को निवेश ऋण में भी विस्तारित किया जाये तथा इस प्रकरण को राज्य सरकारों को भारत सरकार के समक्ष रखना चाहिये।

यह भी पाया गया है कि कुछ राज्य फसली ऋणों की लागत भारत सरकार द्वारा दी जा रही 4 प्रतिशत की ब्याज सहायता दिये जाने के बाद उसे और कम करने के लिये अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसी योजनाओं को निवेश ऋण में भी विस्तारित किया जाना चाहिये जो फसली ऋण की अपेक्षा तीन से चार गुना महंगा है।

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के साथ विलय का प्रस्ताव

अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पुनरुद्धार पैकेज लागू करने की शर्त के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के साथ विलय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की राय भी चाही।

सम्मेलन, इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विलय सभी राज्यों के लिये निम्नांकित कारणों से एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है:—

- (i) इसमें दीर्घ कालीन संरचना की सभी इकाइयों के समापन का खतरा है जब कि ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है।

- (ii) आंध्र प्रदेश का अनुभव, जहां वर्ष 1995 में विलय हुआ था, इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है। विलय के बाद संयुक्त संरचना के क्रिया कलाप मुख्यतः अल्प कालीन ऋणों तक ही सीमित रह गये। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से एक दशक गुज़र जाने के बाद भी कर्मियों के अनसुलझे मुद्दों के कारण इसके क्रिया कलाप पूर्णतया निष्क्रिय बने रहे।
- (iii) विलय के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि इससे दीर्घ कालीन एवं अल्प कालीन संरचना में संस्थाओं द्वारा कार्यों के दोहराव से बचायेगा। सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि विलय का यह वैध आधार नहीं है जब कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक एक साथ उसी क्षेत्र में रहते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं परिणामस्वरूप लोगों को दी जा रही उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। उसी प्रकार यह ग्रामीण जन समूह के लिये लाभप्रद होगा, जो प्रधानतः अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये सहकारी समितियों पर निर्भर करते हैं, के पास ग्रामीण सहकारी साख संरचना की दो पृथक प्रवाहों में से किसी एक से संसर्ग करने का विकल्प होगा।

अतः सम्मेलन ने सुझाव दिया कि दीर्घकालीन साख संरचना के अल्पकालीन साख संरचना के साथ विलय के प्रश्न को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये तथा भारत सरकार को सभी राज्यों के लिये एक समान नुस्खे की तरह विलय पर अड़े नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार, वैद्यनाथन टास्क फोर्स- II द्वारा संस्तुत किये गये पैकेज के क्रियान्वयन को इस मुद्दे के साथ नहीं जोड़ना चाहिये।

व्यवसाय विविधीकरण तथा विकास

सम्मेलन ने अनुभव किया कि निम्नांकित कारणों से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को अपने सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं सहित सभी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :-

- वित्त पोषित परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिये।
- अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता से बचने के लिये।
- ऋण लाभार्थी के साथ सम्पर्क की आवृत्ति को बढ़ाने तथा ऋण वसूली में सुधार हेतु।
- व्यवहार्य व्यापार स्तर की प्राप्ति के लिये।

अतः सम्मेलन ने कुछ राज्यों में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के विविधीकृत व्यापार में अल्प कालीन ऋणों, गैर निधि व्यवसायों में प्रचलित प्रतिबन्धों को हटाने का सुझाव दिया।

गारण्टी शुल्क की माफी

सम्मेलन ने देखा कि निम्नांकित राज्यों में गारण्टी शुल्क या तो माफ कर दिया गया है अथवा नीची दरों पर रखा गया:-

(हरियाणा— पूर्ण माफ़, उत्तर प्रदेश—0.25 प्रतिशत वृद्धिशील बकाये पर, राजस्थान 0.1 प्रतिशत वार्षिक बकाये पर, गुजरात 0.25 प्रतिशत बकाये पर, केरल—0.75 प्रतिशत जिसे बैंक में सरकारी ईक्विटी में परिवर्तित किया जा रहा है)

सम्मेलन बड़े पैमाने पर सहमत हुआ कि अवशेष राज्यों के पास गारण्टी शुल्क माफ़ करने अथवा उसे नीची दर पर रखने के निम्नांकित सुदृढ़ आधार हैं :—

- निवेश ऋण लागत कम करने के लिये।
- उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में आय एवं रोजगार सृजन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये।
- निवेश ऋणों का उपयोग मशीनरी, उपकरण तथा निवेश के लिये जो सरकार के वास्तविक राजस्व प्रतिफलित करते हैं, में किया जाता है।

परिक्रामी एकमुश्त (ब्लाक) गारण्टी

यह देखा गया कि एकमुश्त (ब्लाक) गारण्टी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को अनुषंगी हानियों के साथ कोषों के आहरण में अनावश्यक विलम्ब से दूर रखते हुये उनकी सहायता करेगी तथा कोषों के तीव्र पुनर्चक्रण तथा व्यापार वृद्धि को सुगम बनायेगी। सम्मेलन ने संस्तुति की कि राज्य सरकार को राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का समग्र सीमा के अन्दर उपयोग करने हेतु सक्षम बनाने के लिये बिना वार्षिक नवीनीकरण कराये जैसा कि अनेक राज्यों में प्रचलित है, एकमुश्त (ब्लाक) गारण्टी के निर्गमन पर विचार करना चाहिये।

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण

सम्मेलन ने जायज़ा लिया कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम तथा जम्मू एवं काश्मीर राज्यों में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये बंधकनामे के पंजीकरण के लिये स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क नहीं देय नहीं है। सम्मेलन ने पाया कि कृषकों के ऊपर से भार कम करने तथा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश ऋण को प्रोत्साहित करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के माफ़ किये जाने की सम्भावनाओं के परीक्षणोपरान्त दूसरे राज्यों में भी इसे माफ़ किया जा सकता है।

पंजीकरण के लिये प्रक्रिया

सम्मेलन ने पाया कि निम्नांकित राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं ऋण प्राप्तकर्त्ता के मध्य निष्पादित ऋण दस्तावेज, पंजीकरण के लिये सब—रजिस्ट्रार कार्यालय सीधे प्रेषित किये जाते हैं :— केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, एवं जम्मू तथा काश्मीर। सम्मेलन ने सुझाव दिया कि शेष राज्यों को पंजीकरण के लिये ऋण प्राप्तकर्त्ता सदस्य के माध्यम से भेजे जाने के स्थान पर दस्तावेजों को बैंक से सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय भेजे जाने की प्रक्रिया को आरम्भ करने पर विचार करना चाहिये।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको के अधिनियमों में संशोधन

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की विभिन्न राज्यों में कार्यप्रणाली या तो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सहकारी समिति अधिनियम में पृथक प्रावधानों द्वारा संचालित होती है। ये अधिनियम संविधान के 97वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किये जाने शेष हैं। सम्मेलन में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मौजूदा अधिनियम में कुछ परिवर्तन किया जाना भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में कुछ सुझाव उभर कर आये। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार को सम्मेलन की कार्यवाही बिन्दुओं में उभरे दूसरे अन्य आवश्यक अतिरिक्त प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिये मौजूदा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम/राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन

फेडरेशन ने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के समापन की परिणति चिन्हित करने के लिये दिनांक 20-21 नवम्बर 2012 को चण्डीगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के शीर्ष विषय के समान ही सम्मेलन का मुख्य शीर्ष विषय 'सहकारी उद्यमों से बेहतर विश्व का निर्माण' निर्धारित किया गया था। सम्मेलन के निम्नांकित उप विषय थे:—

1. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 एवं दीर्घ कालीन साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के अवसर।
2. कृषि में मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण।
3. जैविक खेती तथा परिशुद्ध खेती में निवेश के अवसर।
4. कृषि के वित्त पोषण में जोखिम न्यूनीकरण ऋण नीतियां।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के हिस्से के रूप में सदस्य बैंकों द्वारा सफलता की कहानियों का वृत्तचित्रात्मक प्रस्तुतीकरण सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एन.सी.ए.आर.डी.बी. फेडरेशन, डा. दिनेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.सी.यू.आई., डा. प्रसून कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर, के.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, एप्राका के भूतपूर्व महा सचिव श्री बेनेडिक्टो एस. बायौआ तथा सुश्री इन्दिरा देवी प्रोफेसर केरल कृषि विश्वविद्यालय, संगोष्ठी में उप विषय सत्र के प्रमुख वक्ता थे। श्री वाई. सी. नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष नाबार्ड, श्री पी. वी. प्रभु, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, एन.सी.ए.आर.डी.बी. फेडरेशन, श्री भगवती प्रसाद भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.सी.यू.आई., श्री पी. सम्पत, निदेशक (सहकारिता), कृषि मंत्रालय भारत सरकार, श्री के. जिन्दल मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री के. सयीद अली, मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री एस. के. बातिश अपर निबन्धक सहकारी समितियां, पंजाब के अतिरिक्त अनेक राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षों द्वारा विशेषज्ञ टिप्पणियां दी गईं।

सम्मेलन में तीन घण्टे का सत्र अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के आयोजन के रूप में सदस्य बैंकों द्वारा तैयार करायी गई सफलता की कहानियों के वृत्तचित्रात्मक प्रस्तुतीकरण हेतु दिया गया। सम्मेलन में प्रस्तुत अधिकतर सफलता की कहानियां सदस्य बैंकों द्वारा वित्त पोषित योजना से सम्बन्धित थीं। अभिनव अनुशीलन तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिसमें पानी सहित संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करा कर प्रत्येक स्थिति में सर्वथा उपयुक्त पायी जाने वाले क्रिया कलाप इन योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शनीय अंश थे। अनेक बैंकों द्वारा प्रस्तुत सफलता की कहानियों में किन्नो रोपण, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती, नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रहे डेयरी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की भी योजनायें जैसे—विवाह मण्डप, पर्यटकों के लिये होमस्टे की व्यवस्था आदि सम्मिलित थीं। पंजाब, कर्नाटक तथा केरल को जूरी द्वारा चयनित उनके सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण के लिये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कराये गये।

सम्मेलन ने दीर्घकालीन साख संरचना के समक्ष विकल्पों के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया।

1. संरचना को अपनी अलग पहचान और अस्तित्व बनाये रखना चाहिये।
2. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को तथा प्राथमिक सी.ए.आर.डी. बैंकों को अपनी समस्याओं का समाधान आन्तरिक पहल द्वारा हल तत्काल निकालने हेतु प्रयास करना चाहिये। फेडरेशन को ऐसी पहल का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना चाहिये तथा ऐसी नीतियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
3. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को, विधियों में आवश्यक संशोधन जो उनके कार्य को संचालित करते हैं को छोड़ कर, उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिये जो व्यवसायिक निर्णय हैं, के लिये उन्हें किसी अन्य से पूछने अथवा बाह्य दिशा निदर्शों की प्रतीक्षा करने के स्थान पर अपने स्वयं के निर्णय लेने चाहिये।

सम्मेलन ने एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने, व्यवसाय विविधीकरण तथा अनर्जक परिसम्पत्तियों एवं बकाये से निपटने हेतु अपनायी जाने वाली नीतियों को अन्तिम रूप दिया।

सुधार की पहल के लिये कोर समिति

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष की ए.आर.डी. बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने दीर्घकालीन साख संरचना के भविष्य से सम्बन्धित निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये:—

1. दीर्घकालीन साख संरचना को अपना पृथक अस्तित्व एवं पहचान बनाये रखनी चाहिये तथा पुनरुद्धार के लिये बाह्य सहयोग की प्रतीक्षा करने के स्थान पर अपनी आन्तरिक पहल के माध्यम से समस्याओं के निराकरण के लिये आगे आना चाहिये।

2. सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि फेडरेशन संरचना द्वारा आन्तरिक पहल के लिये कुछ दिशा-निर्देश जारी करे तथा ऐसे प्रस्तावों का अनुश्रवण करे तथा इनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के साथ मिलकर कार्य करे।
3. सम्मेलन ने सुझाया कि एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को अपने व्यवसाय से सम्बन्धित सभी मसलों पर बिना किसी से पूछे/किसी बाह्य निर्देश की प्रतीक्षा किये, उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां विधि में संशोधन आवश्यक है, स्वयं निर्णय लेना चाहिये।

फेडरेशन की प्रबन्ध समिति ने 15 दिसम्बर 2012 की अपनी बैठक में उपर्युक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा निर्णय लिया कि प्रत्येक एस.सी.ए.आर.डी. बैंक को सुधारों की पहल तथा संसाधनों के जुटाने, ऋण वसूली एवं अनर्जक अस्तियों के प्रबन्धन हेतु अभिनव कार्यप्रणाली के साथ-साथ व्यवसाय विविधीकरण के लिये एक कोर ग्रुप बनाना चाहिये। समिति ने सुझाव दिया कि एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की प्रबन्ध समिति को कोर ग्रुप का गठन एस.सी.ए.आर.डी. बैंक के अध्यक्ष तथा अधोलिखित सदस्यों के सान्निध्य में गठित किया जाना चाहिये :-

- मुख्य कार्यकारी (संयोजक)।
- प्रबन्ध समिति के दो सदस्य।
- एस.सी.ए.आर.डी. बैंक में कार्यात्मक विभाग के प्रभारी – वरिष्ठ अधिकारी।
- बैंकिंग एवं वित्त के अनुभवी दो बाहरी विशेषज्ञ, जो एस.सी.ए.आर.डी. बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित किये जाये।
- प्रबन्ध निदेशक एन.सी.ए.आर.डी. बैंक (स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में)।

यह भी सुझाव दिया गया कि कोर ग्रुप की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जाये तथा इसे निर्णय लेने तथा संरचना में प्रबन्ध समिति के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अधीन, सुधार प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये। प्रबन्ध समिति ने फेडरेशन को कोर ग्रुप की बैठकों को चालू कराने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गमित करने का सुझाव दिया।

फेडरेशन ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2012 द्वारा इसके विधान पर तथा कोर ग्रुप की बैठक द्वारा निर्धारित क्रियाशील तथा मुख्य क्षेत्र सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी कर दिये।

नाबार्ड के साथ प्रमुख मुद्दे

नाबार्ड की पुर्नवित्त नीति से सम्बन्धित मुद्दे, जिसे फेडरेशन तथा सदस्य बैंक गत वर्ष से नाबार्ड के साथ अनुशीलन कर रहे हैं और जो अभी तक सुलझे नहीं हैं, निम्नांकित हैं,

1. पुर्नवित्त की मात्रा में कटौती

नाबार्ड ने पुर्नवित्त की मात्रा वितरित ऋण का 90 प्रतिशत करते हुये एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा 10 प्रतिशत तक स्वाधिकृत निधियों को ऋण देने में सम्मिलित किये जाने हेतु सीमा निर्धारित की है। क्योंकि ए.आर.डी. बैंकों को अन्य बैंकों की भांति निक्षेप जमा आदि की अनुमति नहीं प्राप्त है, कोई भी एस.सी.ए.आर.डी. बैंक इस शर्त को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऋण लाभार्थी कृषकों द्वारा अंश धन का योगदान, जो सामान्य तौर पर ऋण का पांच प्रतिशत निर्धारित है, एक मात्र स्वाधिकृत निधि स्रोत है जो कुल मिलाकर बकाये में बंधा है। इसे देखते हुये, नाबार्ड केन्द्र एवं राज्य सरकारों से पुर्नवित्त के हिस्से के रूप में निकालने के प्रावधान के साथ, उच्च स्तर पर पुर्नवित्त प्रदान कर रहा था जो एस.सी.ए.आर.डी. बैंक द्वारा दिये गये ऋण के 97 प्रतिशत के औसत पर था।

2. पुर्नवित्त के पुर्नभुगतान की शर्तें

नाबार्ड ने पुर्नवित्त की चुकौती अवधि और ऋण जारी करने की अवधि को समीकृत करते हुये पुर्नभुगतान के लिये दिये गये दो साल की मध्यवर्ती (कुशन) अवधि को वापस ले लिया है। पहले, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त अवधि की तुलना में 2 वर्ष कम करके पुर्नभुगतान किये जाने की अनुमति प्राप्त थी जो उन्हें 15 से 20 प्रतिशत बकायों को समाहित करने में सक्षम बना देता था। पुर्नवित्त के पुर्नभुगतान अवधि को ऋण भुगतान के समान कर दिये जाने से एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को अपने पुर्नवित्त की समय से चुकौती के लिये अपनी मांग की शत-प्रतिशत वसूली करने की आवश्यकता होगी। एस.सी.ए.आर.डी. बैंक तथा फेडरेशन नाबार्ड से पुर्नवित्त के पुर्नभुगतान के लिये पूर्व में प्रदान किये गये अतिरिक्त अवधि को बहाल करने का करते आ रहे हैं जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

3. चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का सम्प्रेक्षण

नाबार्ड ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स से एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के वर्ष 2011-12 के बाद के खातों का सम्प्रेक्षण कराना अनिवार्य बना दिया है। फेडरेशन ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स से सम्प्रेक्षण कराने की प्रणाली का स्वागत करते हुये नाबार्ड से इस परिप्रेक्ष्य में एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के सम्मुख आई निम्नांकित व्यावहारिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में अनुरोध किया :-

- i) वर्ष के प्रारम्भ से ऋण वितरण के लिये पुर्नवित्त निर्गमन की शर्त के अन्तर्गत समाप्त हुये वर्ष का सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन बनाने का अर्थ है, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये विलम्ब और हानि के परिणाम प्रदान करने के अलावा ऋण वितरण के कार्यक्रम को धीमा भी करेगा। अतः फेडरेशन ने सुझाव दिया कि विशिष्ट वर्ष के लिये पुर्नवित्त आवंटन, समाप्त वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में किया जाना चाहिये।
- ii) फेडरेशन ने नाबार्ड को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के पेनल को गठित करने के सम्बद्ध राज्य सरकारों से समन्वय बनाये

रखने का सुझाव दिया जो नाबार्ड तथा राज्य सरकार दोनों को स्वीकार्य हो तथा जो नाबार्ड के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के पेनल से उन राज्यों में जहां राज्य की ओर से गठित चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के पेनल से संविधिक लेखा परीक्षा से पहले ही करायी जा चुकी है, के दूसरा सम्प्रेक्षण कराने की स्थिति से बचे जिससे समय और साधनों दोनों की बरबादी होती है।

iii) वर्तमान में, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का मनोनयन, सम्बन्धित एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के हस्तक्षेप के बिना नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा शुल्क के लिये नाबार्ड के पेनल के लेखा परीक्षकों के मानक निर्धारित नहीं हैं जो अधिकांश राज्यों में औद्योगिक मानकों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

4. कमजोर एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों से अतिरिक्त ब्याज प्रभार

यद्यपि नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के पुर्नवित्त पर अन्य एजेन्सियों पर लागू की गई ब्याज दर के बराबर ब्याज की दर निर्धारित करता है, अधिकांश एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों से अतिरिक्त ब्याज 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक जोखिम लागत के रूप में से वसूल किया जाता है। यह पाया गया है कि अपने अन्य ग्राहकों से जोखिम लागत का अतिरिक्त ब्याज केवल एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों से ही वसूल किया जाता है जो भेदभावपूर्ण है ख़ासतौर पर ऐसे समय जबकि एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को दिया जाने वाला पुर्नवित्त राज्य सरकार की गारण्टी से आवृत्त है जबकि इस प्रकार की अन्य कोई गारण्टी का दबाव नाबार्ड के अन्य पुर्नवित्त प्राप्तकर्ताओं पर नहीं होता। इस प्रकार की ब्याज की ऊंची दरें गरीब कृषकों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं, इसके अतिरिक्त ऋण भुगतान को और नीचे गिराता है और साथ ही, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को बराबरी के स्तर पर स्वीकार नहीं करता है।

फेडरेशन के प्रतिनिधियों की 8 मई 2012 को नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक

फेडरेशन के प्रतिनिधि दिनांक 8 मई 2012 को नाबार्ड के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों से नाबार्ड की पुर्नवित्त नीति से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श हेतु मिले। बैठक में फेडरेशन तथा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के प्रतिनिधि, जो नाबार्ड से पुर्नवित्त आहरण कर रहे हैं, ने भाग लिया।

बैठक में निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वर्ष 2012-13 के लिये पुर्नवित्त आवंटन के निर्णय में सम्भावित विलम्ब की दृष्टि से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद, निर्विघ्न ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिये उन्हें गत वर्ष के आहरण का 30 प्रतिशत तक पुर्नवित्त का अन्तरिम आवंटन किया जाना चाहिये।
2. नाबार्ड को पुर्नवित्त की पात्रता के लिये दीर्घकालीन साख संरचना के लिये प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज के अन्तर्गत पुनःपूँजीकरण किये जाने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को दिये जाने

वाले पुर्नवित्त के भुगतान पर राज्य सरकार की गारण्टी होती है, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को जोखिम प्रालेख से जोड़ने के कदम को स्थगित कर देना चाहिये।

3. गैर संसाधन आधारित होने के नाते एस.सी.ए.आर.डी. बैंक स्वाधिकृत निधियों को 10 प्रतिशत की सीमा तक लगा पाने में असमर्थ हैं जो ऋण के 90 प्रतिशत के पैमाने तक नीचे के बाद अनिवार्य कर दिया गया है। नाबार्ड से पुर्नवित्त की पुरानी दर को पुनः बहाल करने का आग्रह किया गया है।
4. पुर्नवित्त के पुर्नःभुगतान हेतु 2 अतिरिक्त वर्षों की मध्यवर्ती अवधि ने एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को कृषि ऋण में अपरिहार्य अतिदेय राशि के एक हिस्से को समाहित करने के योग्य बनाये रखा। पुर्नःभुगतान में 2 वर्ष के मध्यवर्ती अवधि के हटाये जाने के बाद एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को नाबार्ड से प्राप्त धन को तदनु रूप ऋण की अवधि के अन्दर अदा करना आवश्यक है और यह कि बैंक शत-प्रतिशत दिये गये ऋण का पुर्नःभुगतान प्राप्त करें जो कृषि ऋणों में कभी नहीं होता। अतः नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त के अदायगी के लिये पूर्व में दिये गये 2 वर्षों की मध्यवर्ती अवधि को बहाल कर देना चाहिये।
5. मौजदा पात्रता के मानकों के अन्तर्गत नाबार्ड परिष्कृत (बढ़े हुये) पुर्नवित्त आवंटन के लिये वसूली में किसी भी प्रकार के सुधार पर विचार नहीं करता जब तक कि वसूली प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक न हो। बिना किसी रोक स्तर पर ध्यान दिये बैंक की वसूली में विगत वर्ष की तुलना में सुधार होने पर, इस प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिये तथा व्यवसाय स्तर के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिकता में सुधार लाने के लिये वह बैंक अधिक पुर्नवित्त के आवंटन का अधिकारी है। इस वर्ष, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त आवंटन का निर्णय लेते समय इस पर विचार किया जाना चाहिये।
6. नाबार्ड ने अकस्मात फसली ऋण के विरुद्ध पुर्नवित्त बन्द कर दिया जिससे केरल तथा राजस्थान, सहित एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को भारी हानि हुयी जिन्होंने 11 प्रतिशत की दर पर उधार लिये गये धन से वर्ष 2011-12 में 7 प्रतिशत की दर पर फसली ऋण का वितरण किया जिसका पुर्नवित्त अभी नाबार्ड से पाना शेष है।
7. हाल ही में नाबार्ड ने एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों से छमाही अवशेष पर ब्याज लेना प्रारम्भ कर दिया जबकि अधिकांश राज्यों में एस.सी.ए.आर.डी. बैंक केवल वार्षिक अवशेष पर ब्याज वसूलने के लिये अधिकृत हैं।
8. ब्याज के पुर्नःभुगतान की नई प्रणाली के अन्तर्गत, बैंकों को देय तिथि पर ही नये आहरण सहित पिछली छमाही की देय तिथि सहित, सम्पूर्ण पुर्नवित्त के बकाये पर ब्याज देना होगा। फलस्वरूप, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को तदनु रूप ऋण के अन्तर्गत ब्याज के देय होने से पूर्व ही पुर्नवित्त पर ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज के भुगतान के लिये पहले की प्रणाली को बहाल किया जा सकता है।

9. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने सदस्यों के निक्षेप जमा स्वीकार करने हेतु एक योजना प्रारम्भ की है। यद्यपि, नाबार्ड के निरीक्षण दल तथा क्षेत्रीय कार्यालय उन्हें सचेत करते हैं कि उनके द्वारा लिये गये सभी निक्षेप जमा, 1997 में जारी जमा संग्रहण पर दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन हैं जब कि ये दिशा निर्देश सदस्यों द्वारा किये गये निक्षेप पर लागू नहीं होते। नाबार्ड को सदस्यों पर एआरडी बैंकों में निक्षेप जमा रखने के लिये प्रतिबन्ध लागू नहीं करना चाहिये।

एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का मूल्यांकन

नाबार्ड ने वर्ष 2012-13 से एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये उनकी पुर्नवित्त पात्रता तथा पुर्नवित्त पर ब्याज की दर निर्धारित करने के लिये मूल्यांकन प्रणाली आरम्भ की है। मूल्यांकन आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता तथा स्वाधिकृत निधि, निम्नांकित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है :-

आस्ति गुणवत्ता

- प्रामाणिक परिसम्पत्तियां अदत्त पुर्नवित्त की न्यूनतम 90 प्रतिशत (भारिता-30 प्रतिशत) होनी चाहिये।
- प्रामाणिक परिसम्पत्तियां एवं निवेश, अदत्त पुर्नवित्त के 110 प्रतिशत से अधिक होने चाहिये। (भारिता-10 प्रतिशत)
- प्रामाणिक परिसम्पत्तियां एवं निवेश एवं 25 प्रतिशत सकल अनर्जक परिसम्पत्तियां, अदत्त पुर्नवित्त के 125 प्रतिशत से अधिक होने चाहिये। (भारिता-5 प्रतिशत)
- सकल अनर्जक परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता 10 प्रतिशत अथवा कम होनी चाहिये। (भारिता-10 प्रतिशत)
- वसूली प्रतिशत -70 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये। (भारिता-5 प्रतिशत)

लाभप्रदता

ब्याज तथा करों से पहले परिचालन लाभ अर्थात् संकल लाभ 7.5 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये। (भारिता-10 प्रतिशत)

स्वाधिकृत निधियां

- कुल परिसम्पत्तियों में स्वाधिकृत निधियों का अनुपात 9 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये। (भारिता-10 प्रतिशत)
- स्वाधिकृत निधियों में कुल देयता का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये। (भारिता-10 प्रतिशत)

एस.सी.ए.आर.डी. बैंक जो कुल अंक 100 में से 75 अंक से अधिक प्राप्त करते हैं, न्यून जोखिम में, 75 से 40 अंक वाले मध्यम जोखिम, तथा 40 से कम अधिक जोखिम के रूप में मूल्यांकित होंगे।

न्यून जोखिम श्रेणी वाले एस.सी.ए.आर.डी. बैंक, उनके अपने ऋण वितरण कार्यक्रम के आधार पर, अप्रतिबन्धित पुर्नवित्त की पात्र होंगे। परन्तु, मध्यम तथा उच्च जोखिम श्रेणी में आने वाले अंक बैंकों की पुर्नवित्त की पात्रता, राज्य सरकार द्वारा की जा रही मूल्यांकन सुधार हेतु कार्य योजना के प्रत्येक केस की जांच के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष का आयोजन

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 को मनाये जाने का कार्यक्रम मुम्बई में आयोजित फेडरेशन की प्रबन्ध समिति की 135 वीं बैठक के संयोजन के साथ 30 जनवरी 2012 को आरम्भ किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 को मनाये जाने के लिये दिये गये दिशानिर्देश के क्रम में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तत्वावधान में जनपद एवं राज्यों के विकास विभागों में जनपदस्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कराया गया। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के दौरान एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के कार्यक्रम अक्टूबर/नवम्बर 2012 में राज्य स्तरीय सम्मेलनों में सम्पन्न कराये गये।

निम्नांकित अन्य गतिविधियां जो एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष आयोजन के भाग के रूप में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है:—

- (i) विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर निबन्ध प्रतियोगिता।
- (ii) सफलता की कहानियों का वृत्तचित्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के आयोजन के रूप में फेडरेशन ने कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों की श्रृंखला आयोजित की। यह निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के दौरान फेडरेशन के कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष तथा इसके मुख्य शीर्षक 'सहकारिताओं से बेहतर विश्व का निर्माण' के बारे में विचार विमर्श के अलावा इस संरचना को सशक्त बनाने के लिये एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रासंगिक विषयों पर भी चर्चा की जानी चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के आयोजन के दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम 20-21 नवम्बर 2012 को चण्डीगढ़ में आयोजित 'अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-ए.आर.डी.बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन' में सम्पन्न हुये। राष्ट्रीय सम्मेलन में समाविष्ट संगोष्ठियां थीं:—

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 तथा भारतीय सहकारितायें।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 तथा दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना।
- (iii) जैविक खेती एवं परिशुद्ध खेती में निवेश के अवसर।
- (iv) कृषि वित्त पोषण में जोखिम न्यनीकरण नीतियां।

सम्मेलन में अनेक राज्यों द्वारा वीडिओ के माध्यम से सफलता की कहानी के वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किये गये। फेडरेशन ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये तीन सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतियों को नगद पुरस्कार प्रदान किये।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस – 7 जुलाई 2012

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2012 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष होने के कारण आई.सी.ए. ने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के लिये वही शीर्षक का चयन किया जो वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिये थी – “सहकारी उद्यमों से बेहतर विश्व का निर्माण”। यह शीर्षक कठिनाइयों के समय में एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद कर, अपने संसाधनों का लाभ उठाने, मूल्य पर सौदेबाजी के द्वारा संतुलन को बहाल कर – बाजार के उपयोग में सहकारिताओं की भूमिका को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। सहकारिता के पास किसी भी प्रमुख उद्यमिता के मॉडलों के सहभागी प्रशासन की सबसे बड़ी उपाधि है जो सदस्यों की प्रतिबद्धता से समुदाय के मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है। निष्पक्षता, सहभागिता और संवहनीयता के सिद्धान्त सहकारिता को कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी से लेकर सहकारी बैंकिंग, क्रेडिट यूनियन, आवास एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर परस्पर तथा सहकारी बीमा, और विशेष रूप से कामगार द्वारा गठित सहकारी समितियों, प्रत्येक क्षेत्र में—जोशपूर्ण एवं सफल बनाते हैं, सहकारितायें सुदृढ़ व्यवसाय सृजित करते हैं, उपभोक्ताओं के मध्य सर्वाधिक विश्वास – का आनन्द उठाते हैं तथा दूसरे प्रकार के उद्यमों की तुलना में स्थाई होते हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार का राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण पत्रों में योगदान

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन ₹30.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया है :-

- 1) राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा किये गये निवेश के समतुल्य तीन माह के अन्दर निवेश करना चाहिये।
- 2) एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को देय तिथि पर परिपक्व ऋण पत्रों के प्रतिभूत पत्रों के अग्रिम वापसी की प्रतीक्षा किये बिना ही ऋण पत्रों की प्रतिभूति पत्र भेज देना चाहिये तथा ब्याज का भुगतान कर देना चाहिये तथा मोचन कराना चाहिये।
- 3) विशेष विकास/साधारण ऋण पत्रों के मूलधन/ब्याज के भुगतान के बकाया पड़ने पर पर एक प्रतिशत सालाना दण्डित ब्याज लिया जायेगा।
- 4) सभी लम्बित ऋण पत्रों के प्रस्ताव जो गत वित्तीय वर्ष में निर्गमित किये गये, उन पर वित्तीय वर्ष 2012–13 में विचार किया जायेगा।
- 5) 2012–13 में बजट प्रावधान तथा राज्य सरकारों के समतुल्य ऋण पत्र सहयोग के लिये राज्य सरकारों को कृषि मंत्रालय को 31 जुलाई 2012 तक सूचित करने हेतु भी कहा गया है।

एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के जे.एल.टी.सी. को वित्तीय सहयोग

नाबार्ड ने पहले एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के जे.एल.टी.सी. को बिना कोई कारण बताये सहकारी विकास निधि से कोई सहयोग न देने का निश्चय किया था। फेडरेशन ने निम्नांकित आधार पर जे.एल.टी.सी. के सहयोग को निरन्तर सहयोग दिये जाने को पुनः बहाल करने हेतु आग्रह किया है:—

- 1) नाबार्ड द्वारा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पहले से ही कमप्यूट्रीकरण, तकनीकी तथा बुनियादी कार्यों के लिये सहकारी विकास निधि (सी.डी.एफ.) से सहयोग बन्द कर दिया गया है, जबकि : जे.एल.टी.सी. को दिया जाने वाला सहयोग, वर्तमान में एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये एक मात्र सहकारी विकास निधि सहायता योजना है।
- 2) सामान्य तौर पर पी.सी.ए.आर.डी. बैंक अपने स्टाफ के प्रशिक्षण व्यय जिनमें अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने के पाठ्यक्रम शुल्क सम्मिलित हैं, के व्यय भार को वहन नहीं कर सकतीं, अतः जे.एल.टी.सी. पी.सी.ए.आर.डी. बैंकों को कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक मात्र साधन है।
- 3) जे.एल.टी.सी. को वित्तीय सहयोग प्रदान कराने की योजना समय समय पर किये गये अध्ययनों के आधार मूल रूप से प्रारम्भ की गई तथा नाबार्ड द्वारा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों तथा पी.सी.ए.आर.डी. बैंकों को घरेलू प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये व सहयोग जारी रखने की आवश्यकता हेतु पर इसमें संशोधन किया जाता रहा।

फेडरेशन तथा सम्बन्धित एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के सहयोग बहाली के अभिवेदन के प्रति उत्तर में अन्ततः नाबार्ड ने इस सूचना के साथ कि वर्ष 2013-14 से यह सहयोग जारी रहेगा, जे.एल.टी.सी. को सहयोग जारी रखने का निश्चय किया। यद्यपि नाबार्ड ने इस संदर्भ में अपनी नीति में किसी परिवर्तन की सूचना नहीं दी है, फिर भी ऐसे संकेत हैं कि 2013-14 से नाबार्ड की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एस.सी.ए.आर.डी. बैंक, बर्ड लखनऊ द्वारा मान्य जे.एल.टी.सी. के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेंगे।

नाबार्ड अधिनियम 1991 में संशोधन

7 फरवरी 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने नाबार्ड अधिनियम 1981 में कुछ संशोधनों का अनुमोदन किया है। संशोधन बिल के संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है। प्रस्तावित संशोधन निम्नवत् है:—

- नाबार्ड की अधिकृत पूंजी का ₹5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹20000 करोड़ करना।
- किसी भी केन्द्रीय कानून अथवा किसी केन्द्रीय अथवा सहकारी समिति से सम्बन्धित राज्य के कानून के अन्तर्गत पंजीकृत बहुराज्यीय सहकारी समिति को सम्मिलित करने के लिये सहकारी समिति के अर्थ को अभिवर्धित किया जाना प्रस्तावित है।
- नाबार्ड की अवशेष अंश पूंजी के भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरण की सुविधा हेतु स्वामित्व परिवर्तन।

- अल्पकालीन वित्त प्रस्तावों एवं अन्य अभिकरणों के अन्तर्गत नाबार्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना।
- नियंत्रण एक सुस्पष्ट नीति को सुनिश्चित करने के लिये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों को एक में मिलाये जाने का भी प्रस्ताव है।

विद्यमान नाबार्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बहुराज्यीय समितियां नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण के योग्य नहीं हैं। तदनुसार, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के मान्य प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जो कानूनी दृष्टि से उत्तराखण्ड के सृजन के उपरान्त एक बहुराज्यीय सहकारी समिति हो गया है, नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार गोवा एससीबी भी बहुराज्यीय समिति के अन्तर्गत पंजीकृत होने के कारण उन्हीं कारणों से नाबार्ड से पुर्नवित्त सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा है। नाबार्ड अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में इन बैंकों के सम्मुख नाबार्ड से पुर्नवित्त पाने में उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा।

केन्द्रीय बजट 2013-14 के मुख्य अंश

28 फरवरी 2013 को माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लोक सभा में वर्ष 2013-14 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया।

बजट में वर्ष 2013-14 के लिये ₹16.65 लाख करोड़ के कुल व्यय उल्लेखित किये गये हैं जिनमें से ₹5.55 लाख करोड़ योजना नक्शों के अन्तर्गत होगी। व्यय के उपर्युक्त स्तर पर, 2013-14 का राजकोषीय घाटा, वर्ष 2012-13 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में, 4.8 प्रतिशत अनुमानित है तथा राजस्व घाटा वर्ष 2012-13 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में 3.3 प्रतिशत होगा।

कृषि तथा कृषि साख से सम्बन्धित बजट के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

- कृषि मंत्रालय को ₹27,049 करोड़ का विनिधान दिया जाता है जो गत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत अधिक है।
- पूर्वोत्तर भारत की हरित क्रान्ति की योजना को जारी रखना।
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम का प्रारम्भ।
- फसलों की नई किस्म जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हों, के शुभारम्भ हेतु पुष्टिकारक-खेती (न्यूट्री फॉर्मिंग) का पथदर्शी कार्यक्रम।
- पौधों की सुरक्षा की जानकारी के लिये, रायपुर में राष्ट्रीय बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेण्ट संस्थान तथा रांची में भारतीय कृषि बायो-टेक्नालॉजी संस्थान की स्थापना।

- नारियल के पुर्नजीवन (कायाकल्प) के लिये केरल राज्य में पथदर्शी योजना का विस्तार ।
- कृषि साख हेतु वर्ष 2012-13 में ₹5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अल्पकालीन फसली ऋणों के लिये ब्याज परिदान योजना को जारी रखा गया है जिसमें निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों से दिये गये फसली ऋणों को भी सम्मिलित किया गया है ।

सहकारिता क्षेत्र, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत दे रहा है, के लिये बजट में सामान्य तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है । यद्यपि फसली ऋणों के लिये ब्याज परिदान योजना को निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के लिये विस्तारित किया गया है किन्तु इसी योजना को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा दिये गये फसली ऋणों के लिये अभी भी वंचित रखा गया है । सरकार ने कृषि साख हेतु लक्ष्य ₹5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7 लाख करोड़ कर दिया है । किन्तु कृषि निवेश हेतु कोई लक्ष्य नहीं रखे गये गये हैं, फलस्वरूप कृषि उत्पादकता पर इसके विनाशकारी परिणामों के साथ कुल साख में इसका अनुपात बड़ी तेजी से प्रति वर्ष कम होता जा रहा है । इसी प्रकार यद्यपि फसली ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध है किन्तु कृषि निवेश साख 14.15 प्रतिशत वार्षिक के अवहनीय स्तर पर पहुंच गया है । सरकार इस मुद्दे को लगातार नज़रअन्दाज करती आ रही है । यद्यपि साख के लक्ष्य बढ़ाये गये हैं किन्तु यह दृष्टिगत है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न श्रेणी के कृषकों में इसकी उपलब्धता को समुचित रूप से सुनिश्चित कराने हेतु कोई कारगर प्रयास नहीं किये गये हैं ।

IV. वर्ष 2012-13 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों की समीक्षा

अ. वितरित ऋण

वर्ष 2011-12 में कुल वितरित ₹4142.31 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में 19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा ₹3305.02 करोड़ के ऋण वितरित किये गये । चालू वर्ष में गत वर्ष के मुकाबले ₹837.29 करोड़ की कमी रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.21 प्रतिशत कम रहा, गिरावट मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एस.सी.ए.आर.डी. बैंक द्वारा ऋण वितरण कार्य रोक दिये जाने के कारण हुई । ऋण वितरण में वृद्धि मुख्य रूप से केरल (21.5 प्रतिशत), पाण्डिचेरी (16.85 प्रतिशत), गुजरात (6.42 प्रतिशत) तथा असम (>100 प्रतिशत) के योगदान से हुई, यद्यपि, उत्तर प्रदेश (>100 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (85.36 प्रतिशत), हरियाणा (56.14 प्रतिशत), हिमांचल प्रदेश (41.06 प्रतिशत), तमिलनाडु (34.27 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (28.61 प्रतिशत), राजस्थान (20.39 प्रतिशत), त्रिपुरा (16.51 प्रतिशत), तथा पंजाब (11.38 प्रतिशत), के सम्बन्ध में ऋण वितरण में कमी हुई । गतवर्ष 2011-12 के ₹17386.87 करोड़ के विरुद्ध, अंतिम ऋण प्राप्त कर्ता स्तर पर बकाया कुल ऋण वर्ष 2012-13 में ₹17960.57 करोड़ रहा ।

ब. उधार राशियां

वर्ष 2011-12 के ₹2525.48 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में से 10 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश एस.सी.ए.आर.डी. की उधार राशियां शून्य रहीं), ₹2326.37 करोड़ की उधार राशियां रहीं जिनमें गत वर्ष की तुलना में ₹199.11 करोड़ (7.88 प्रतिशत) की गिरावट परिलक्षित हुई। एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा सृजित कुल धनराशि में नाबार्ड से प्राप्त अंश ₹1741.31 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 में कुल उधार राशि का 74.85 प्रतिशत हुआ। जबकि कर्नाटक (46.59 प्रतिशत), हरियाणा (25.03 प्रतिशत), तमिलनाडु (11.26 प्रतिशत), पाण्डिचेरी (10.25 प्रतिशत) तथा केरल (6.76 प्रतिशत) के परिप्रेक्ष्य में कमी होते हुये भी हिमांचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल एस.सी.ए.आर.डी. ने चालू वर्ष में उधार राशियों में वृद्धि अंकित की गई।

31 मार्च 2012 को ₹15512.17 करोड़ के सापेक्ष, 31 मार्च 2013 को 19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का बकाया उधार ₹15047.22 करोड़ आंकलित किया गया। यद्यपि केरल (15.69 प्रतिशत) तथा पाण्डिचेरी (9.84 प्रतिशत) ने बकाया उधार में वृद्धि दर्ज की तथा पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में आंशिक वृद्धि हुयी परन्तु बकाया उधार में गिरावट मुख्य रूप से बिहार (30.67 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20.40 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (17.46 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (12.39 प्रतिशत), हिमांचल प्रदेश (12.12 प्रतिशत), त्रिपुरा (7.33 प्रतिशत), गुजरात (6.74 प्रतिशत), कर्नाटक (5.35 प्रतिशत) तथा तमिलनाडु (3.19 प्रतिशत) के कारण हुई।

स. जमा संग्रहण

वर्ष 2011-12 में ₹336.82 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में 12 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹395.19 करोड़ (100 प्रतिशत से ज़्यादा) की संतोषजनक वृद्धि के साथ ₹732.01 करोड़ के जमा संग्रहण बढ़ाये। जमा संग्रहण में वृद्धि में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब तथा कर्नाटक एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने कुल जमा संग्रहण का 89.47 प्रतिशत योगदान दिया। 31 मार्च 2012 को ₹695.95 करोड़ के मुकाबले, 31 मार्च 2013 को कुल अदत्त जमा ₹1020.54 करोड़ आंकलित किया गया।

द. वित्तीय कार्य सम्पादन

19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में से कुल 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने 31 मार्च 2013 को आंकड़े प्रस्तुत किये। इन 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में से 8 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने लाभ दर्शाया है जब कि 5 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (असम, हरियाणा, जम्मू एवं काश्मीर, उड़ीसा तथा पाण्डिचेरी) ने हानि दिखाई है। 8 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का कुल लाभ ₹105.15 करोड़ तथा 5 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की हानि ₹65.37 करोड़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये।

इ. अनर्जक परिसम्पत्तियां

31 मार्च 2013 को 19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का कुल बकाया ऋण ₹19617.62 करोड़ था, अनर्जक परिसम्पत्तियां (एनपीए) ₹6628.80 करोड़ थी जो 31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण के 33.89 प्रतिशत की तुलना में 33.80 प्रतिशत थीं।

फ. वसूली कार्य सम्पादन

अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर की वार्षिक वसूली उपलब्धियों का सम्पादन जुलाई से जून तक की अवधि का किया जाता है। चूंकि 30 जून 2013 को इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक आंकड़े सरलता से उपलब्ध नहीं कराये जा सके, समीक्षा के लिये 30 जून 2012 की स्थिति को लिया जा रहा है। 2011-12 में (30 जून 2012) ए.आर.डी. बैंकों की कुल मांग ₹11841.68 करोड़ थी जिसके विरुद्ध ₹4821.37 करोड़ की कुल वसूली हुई जो गत वर्ष 30 जून 2011 में 45.25 प्रतिशत के सापेक्ष मांग का 40.72 प्रतिशत थी। 8 बैंकों यानी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ऋण प्राप्तकर्ता स्तर का वसूली प्रतिशत 50 प्रतिशत से ऊपर था जब कि छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में यही स्तर 40 से 50 प्रतिशत की सीमा में था। सबसे अधिक खराब वसूली असम और उड़ीसा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की थी जहां केवल एक अंक में प्रगति आंगणित की गई।

ग. सामान्य सूचनायें

वर्ष 2012-13 में एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की आधारभूत संरचना प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 19 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में संघीय एवं एकात्मक प्रणाली के एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या पूर्व की भांति क्रमशः 10 और 7 ही रही तथा अवशेष मिश्रित संरचना प्रणाली वाले 2 एस.सी.ए.आर.डी. बैंक हैं जिनमें सम्बद्ध पी.सी.ए.आर.डी. बैंक एवं शाखायें दोनों ही हैं। इस प्रतिवेदन के तैयार किये जाने तक सरलता से उपलब्ध वर्ष 2011-12 के सामान्य प्रशासनिक आंकड़े के आधार पर 31 मार्च 2012 की स्थिति पर ही समीक्षा की जा रही है। एकात्मक कार्यप्रणाली के एस.सी.ए.आर.डी. बैंक अपनी 777 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च 2012 तक संघीय ढांचे के अन्तर्गत 714 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पी.सी.ए.आर.डी.बी.) हैं तदनन्तर जिनकी 1005 शाखायें हैं। 31 मार्च 2012 को 18 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की सदस्य संख्या 132.17 लाख है जिनमें 66.61 लाख ऋणी सदस्य हैं। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 11 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की निर्वाचित प्रबन्ध समितियां हैं जब कि 8 एस.सी.ए.आर.डी. बैंको के प्रबन्धन मण्डल निर्वाचित नहीं हैं। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, पी.सी.ए.आर.डी. बैंक स्तर पर, 398 पीसीएआरडी (9 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों) की निर्वाचित प्रबन्ध समितियां हैं। इस संदर्भ में संक्षेप में आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2012 को
1.	एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या (संघीय ढांचा)	10
2.	एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या (एकात्मक ढांचा)	7
3.	मिश्रित ढांचे प्रणाली की एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या	2
4.	एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की शाखाओं की संख्या (एकात्मक ढांचा)	777
5.	पी.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या (संघीय ढांचा)	714
6.	पी.सी.ए.आर.डी. बैंकों की शाखाओं की संख्या (संघीय ढांचा)	1005
7.	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	132.17
8.	मद संख्या 7 के ऋणी सदस्यों की संख्या (लाखों में)	66.61
9.	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की संख्या	11
10.	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	398
11.	एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों में कार्यरत कर्मियों की संख्या	6641
12.	पी.सी.ए.आर.डी. बैंकों में कार्यरत कर्मियों की संख्या	9384

V. योजना अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों के कार्यक्रम

विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता से फेडरेशन में नियोजन अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना 1973 में की गई थी। चालू वर्ष में पी.आर.डी. प्रकोष्ठ ने निम्नांकित क्रिया कलाप संचालित किये :-

(अ) सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालायें/प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) का सम्मेलन

ए.आर.डी. बैंकों के वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य परिचालन क्षेत्रों में क्रिया कलापों की समीक्षा तथा वर्ष 2012-13 के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन 8 मई 2012 को मुम्बई में सम्पन्न हुआ था। सम्मेलन में फेडरेशन तथा सदस्य बैंको द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 (आई.वाय.सी. 2012) के उत्सव आयोजन कराये जाने के हिस्से के रूप में प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में निम्नांकित को अंतिम रूप दिया:-

- (1) ऋण वितरण, वसूली तथा स्रोत संग्रहण के लिये बैंक वार कार्यक्रम।
- (2) नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव तथा पुनर्वित्त नीति में आशोधन हेतु सुझाव।
- (3) फेडरेशन तथा सदस्य बैंको के स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 (आई.वाय.सी. 2012) के उत्सव आयोजन कराये जाने के हिस्से के रूप में कार्यक्रम।

2) एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के जोखिम मूल्यांकन पर कार्यशाला

फेडरेशन द्वारा एस.सी.ए.आर.डी. बैंको के जोखिम मूल्यांकन पर दिनांक 21 जून 2012 को एक कार्यशाला का आयोजन मुम्बई में किया गया। कार्यशाला में एस.सी.ए.आर.डी. बैंको के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस परिचर्चा में नाबार्ड के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

कार्यशाला का आयोजन नाबार्ड द्वारा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये जोखिम मूल्यांकन प्रणाली की पृष्ठभूमि पर किया गया। नाबार्ड से विशेषज्ञों के दल जिनमें श्री एस.के.मित्रा कार्यकारी निदेशक, श्री जे.जी.मेनन, मुख्य महा प्रबन्धक (आई.सी.डी.), श्री के.रामदास, मुख्य जोखिम प्रबन्धक तथा श्री सुधांशु कुमार सहायक महाप्रबन्धक (आई.सी.डी.), ने परिचर्चा में भाग लिया तथा जोखिम मूल्यांकन प्रणाली के मुख्य पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। कार्यशाला में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय नीचे सूचीबद्ध प्रस्तुत हैं:—

- निम्न तथा मध्यम जोखिम वाले बैंकों हेतु उच्च ऋण वितरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के साथ बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिये तथा दो अंकीय स्फीत पर विचार करते हुये व्यापार स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता को देखते हुये पुनर्वित्त आवंटन में न्यूनतम अपेक्षित वार्षिक वृद्धि की जानी चाहिये।
- लेखा सम्प्रेक्षण तथा शासकीय गारण्टी प्राप्त करने की समय सीमा को आच्छादित करने के लिये उन्हीं शर्तों पर अन्तरिम पुनर्वित्त दिये जाने की व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिये।
- जोखिम आधारित पुनर्वित्त प्रणाली को पात्र मामलों में शासकीय गारण्टी से छूट दिये जाने के अवसर प्रदान करना चाहिये।
- पुनर्वित्त, व्यक्तिगत ऋण अवधि से जोड़ने के स्थान पर 11 वर्षों की समान अवधि के लिये दिया जाना चाहिये। 11 वर्ष की अवधि का सुझाव वर्तमान में बकाया पुनर्वित्त की भारित औसत अवधि के आधार पर दिया गया।
- नाबार्ड को इस खुलासे को सुगम बना देना चाहिये कि ए.आर.डी. बैंको को सदस्य बैंकों के जमा निक्षेप बिना किसी अवरोध के स्वीकार करने की स्वतंत्रता है तथा ए.आर.डी. बैंको द्वारा अपनी शुद्ध सम्पत्ति से अधिक सदस्यों की जमा निक्षेप स्वीकार करने पर अपनी निरीक्षण आख्याओं में कोई आपत्ति नहीं अंकित करनी चाहिये।
- पैकेज दिये जाने में निरन्तर चल रही अनिश्चितता तथा जमा संग्रहण सहित पुनरुद्धार पहल की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये विशेष रूप से आधारभूत संरचना, क्षमता निर्माण के साथ साथ कम्प्यूट्रीकरण के लिये नाबार्ड को सी.डी.एफ. (सहकारी विकास निधि) सहयोग, फिर से चालू कर देना चाहिये।

- नाबार्ड को वसूली प्रक्रिया में निम्नांकित पहलुओं को समाहित करते हुये विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिये:-

- (i) विधिक वसूली उपायों की पहल की निर्दिष्ट अवधि।
- (ii) बैंक के अधिकारियों को विक्रय के अधिकार का हस्तांतरण, जहां अभी तक नहीं किया गया है।
- (iii) वसूली अभिकर्ता को नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश।

3) ए.आर.डी. बैंकों में जोखिम प्रबन्धन पर संगोष्ठी

फेडरेशन ने दिनांक 7 अगस्त 2012 को श्रीनगर (जम्मू एवं काश्मीर) में जोखिम प्रबन्धन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी ने विस्तृत रूप से ए.आर.डी. बैंकों के लिये जोखिम मूल्यांकन प्रणाली पर विचार किया गया तथा जोखिम को नियंत्रित करने की रणनीति पर चर्चा की।

ए.आर.डी. बैंकों के जोखिम मूल्यांकन को सुधारने के लिये संगोष्ठी में निम्नांकित प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु चिन्हित किया:-

- 1) एन.पी.ए. (गैर निष्पादित आस्तियों) तथा बकाये पर नियंत्रण करना।
- 2) जमा निक्षेप तथा नाबार्ड के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण के द्वारा सृजित संसाधनों के संग्रहण कोष से अल्पावधि ऋण उत्पादों को प्रस्तुत करना।
- 3) फेडरेशन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप सदस्यों का जमा संग्रहण करना।
- 4) उन खातों में जहां निरन्तर दो वर्षों से कोई भुगतान अदा नहीं किया गया के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की शुरुआत।
- 5) उन खातों में वार्षिक किस्तों की मात्रा कम करने के लिये ऋण की अवधि को बढ़ाकर ऋण का पुनर्नवीनीकरण करना, जिनमें प्रत्येक वर्ष की मांग के विरुद्ध आंशिक भुगतान किया गया है।
- 6) बैंकों द्वारा प्राथमिक सी.ए.आर.डी. बैंक/शाखा/और उसके साथ ही एस.सी.ए.आर.डी. बैंक स्तर पर जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन।

4) प्रमुख सचिवों (सहकारिता) की संगोष्ठी

पंजाब प्रदेश सरकार तथा फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रमुख सचिवों (सहकारिता) की एक संगोष्ठी का आयोजन 20 सितम्बर 2012 को चण्डीगढ़ में किया गया। संगोष्ठी में 12 राज्यों के प्रमुख सचिव(सहकारिता)/निबन्धक सहकारी समितियों के अतिरिक्त भारत सरकार, नाबार्ड तथा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी ने फेडरेशन को विभिन्न राज्यों में दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एल.टी.सी.सी.एस) से सम्बन्धित मुद्दों तथा संरचना में सुधार लाने हेतु उनके सहयोग पाने के लिये प्रमुख सचिवों

(सहकारिता) से विचार विमर्श हेतु पहली बार ये अवसर प्रदान किया। संगोष्ठी में ए.आर.डी. बैंकों की कार्यप्रणाली तथा संरचना से सम्बन्धित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें इस प्रतिवेदन के तीसरे अध्याय में सूचीबद्ध हैं।

5) ए.आर.डी. बैंकों की अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष में राष्ट्रीय संगोष्ठी

फेडरेशन ने 20-21 नवम्बर 2012 को चण्डीगढ़ (पंजाब) में आई.वाय.सी. राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें पी.सी.ए.आर.डी. बैंको/एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों से 331 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का लक्ष्य समूह बैंकों के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण थे। संगोष्ठी में सहकारिता आन्दोलन के गणमान्य रहनुमा, ग्रामीण बैंकिंग तथा कृषि वित्त के विशेषज्ञ, भारत सरकार, पंजाब राज्य सरकार एवं हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारीगण, नाबार्ड तथा एन.सी.यू.आई. के अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

संगोष्ठी का उद्देश्य था—

- अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रमों के चरमोत्कर्ष को मनाना।
- सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहकारिता के योगदान को प्रदर्शित एवं उजागर करना।
- स्थिरता एवं समता के साथ तीव्र आर्थिक विकास के लिये सहकारी व्यवसाय मॉडल की उपयोगिता एवं उपयुक्तता से विश्व को परिचित कराना।
- अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता के गठन एवं विकास के लिये उचित नीतियों को विकसित करने में सरकार की सहायता करना।

कार्यक्रम विवरण

तिथि व समय	सत्र का नाम	सत्र के (विचारणीय) मनन करने योग्य बिन्दु
20.11.2012	व्यवसाय सत्र. I	आई.वाय.सी. 2012 तथा दीर्घकालीन साख संरचना के लिये अवसर।
	व्यवसाय सत्र. II	आई.वाय.सी. 2012 तथा भारतीय सहकारी आन्दोलन।
	व्यवसाय सत्र. III	एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण।
21.11.2012	व्यवसाय सत्र. IV	1. कृषि में नीति श्रृंखला का वित्त पोषण। 2. कृषि वित्त पोषण में जोखिम न्यूनीकरण नीति।
	व्यवसाय सत्र. V	जैविक खेती में निवेश के अवसर।

ए.आर.डी. बैंकों के आई.वाय.सी. राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के मुख्य नारे –“सहकारी उद्यमों से बेहतर विश्व का निर्माण” को प्रचारित करने और उसे समावेशित के अपने प्रमुख उद्देश्य पूरी तरह से पा लिया। सम्मेलन ने एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रोत्साहित कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं की सफलता की कहानियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जिन्हें एन.सी.ए.आर.डी.बी. फेडरेशन के आईवायसी 2012 के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रलेखित किया गया था। सम्मेलन में निम्नांकित उप-विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया:—

- परिशुद्ध खेती तथा जैविक खेती में निवेश के अवसर।
- कृषि में नीति श्रृंखला का वित्त पोषण।
- छोटी जोतों वाले कृषकों के वित्त पोषण में जोखिम न्यूनीकरण की नीतियां।
- भारत में सहकारिता सुधार।

इन विषयों के विचार विमर्श में सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों की टिप्पणियों के साथ सामान्य चर्चा सम्मिलित थी। आई.वाय.सी. राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियां इस प्रतिवेदन के अध्याय-3 में दी गई हैं।

6) एस.सी.ए.आर.डी.बैंकों में सुधार की पहल हेतु कोर ग्रुप की बैठक

एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये प्रत्येक स्तर पर पहल करना, कोर ग्रुप (सी.जी.आर.आई.) का गठन, उसमें भागीदारी तथा निरीक्षण, फेडरेशन के अपने पी.आर.डी. प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया कलाप थे। सी.जी.आर.आई. की बैठक, उसका गठन सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के अध्याय-3 में दी गई है।

(ब) प्रकाशन

- (अ) ए.आर.डी. बैंको का मासिक प्रगति प्रतिवेदन : अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के 12 संकलित मासिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में तैयार कराये गये।
- (ब) वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन : इस वर्ष 2010-11 का बुलेटिन तैयार कराया गया तथा 2011-12 का बुलेटिन पूर्ण होने की प्रक्रिया में है।
- (स) लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन : वर्ष के दौरान 2 तिमाही अंक अर्थात जून 2012, सितम्बर 2012 का प्रकाशन हो चुका है तथा दिसम्बर 2012 मुद्रण प्रक्रिया में हैं जब कि मार्च 2013 का अंक पूर्ण होने की प्रक्रिया में है।

VI. वित्त एवं लेखा

वर्ष 2012-13 में परिसम्पत्तियां एवं देयतायें तथा आय एवं व्यय लेखा निम्नांकित हैं:-

परिसम्पत्तियां एवं देयतायें

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	देयतायें	जैसा कि		क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	जैसा कि	
		31-3-13	31-3-12			31-3-13	31-3-12
1.	आरक्षित निधि तथा अन्य निधियां	1684.24	1613.00	1.	रोकड़ शेष तथा बैंक शेष	21.16	16.84
2.	जमानती ऋण	10.45	945.93	2.	निवेश	1404.37	2266.86
3.	अन्य देयतायें एवं प्रावधान	43.18	66.99	3.	स्थिर परिसम्पत्ति	248.50	255.97
4.	आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित अधिशेष	8.22	9.80	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य राशियां	57.56	83.28
				5.	ऋण एवं अग्रिम	10.89	9.09
				6.	विविध जमा एवं पूर्व दत्त व्यय	3.61	3.68
	योग	1746.09	2635.72		योग	1746.09	2635.72

आय एवं व्यय

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (लाख रुपयों में)	
		2012-13	2011-12
	आय		
1.	वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा सदस्य बैंको द्वारा अतिरिक्त अभिदान/सहयोग	109.54	88.66
2.	ब्याज आय	85.42	74.61
3.	प्राप्त अनुदान	18.00	26.00
4.	विविध आय/लाभांश/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.62	0.34
5.	पुनरांकित प्रावधान	47.33	00.00
	योग (1 से 5)	260.91	189.61
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	95.91	94.87
2.	अन्य कार्यालय व्यय	22.56	26.53
3.	बैठक/संगोष्ठी/सम्मेलन व्यय	32.00	9.63
4.	रख-रखाव व्यय परिसर	8.98	8.18
5.	प्रावधान/सुरक्षित निधियां	93.23	40.60
	योग (1 से 5)	252.68	179.81
	अधिशेष	8.23	9.80

VII. विन्यास निधि

31 मार्च 2013 को विभिन्न विन्यास निधियों की स्थिति संक्षेप में नीचे अंकित की गई है :-

निधि का नाम	31.3.2013 को अवशेष	कोष के अन्तर्गत के क्रिया कलाप
1. बी. वेंकटरत्नम् स्मारक निधि	₹ 77,861.99	बी.वी.स्मारक ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष श्रेणी-1 के सर्वोत्तम ए.आर.डी. बैंक को प्रदान कराई जाती है।
2. उदय भान सिंह स्मारक निधि	₹ 1,24,473.42	(i) सहकारी प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा संचालित देश के सहकारी प्रबन्ध संस्थान से लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंकिंग में डिप्लोमा कोर्स कर रहे मेधावी प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जाता है। (ii) उदयभान सिंह स्मारक ट्रॉफी श्रेणी-11 को प्रत्येक वर्ष प्रदान कराई जाती है।
3. दत्तात्रयालु स्मारक निधि	₹ 59,647.50	दत्तात्रयालु स्मारक ट्रॉफी श्रेणी-111 को प्रत्येक वर्ष प्रदान कराई जाती है।
4. केरल एस.सी.ए.आर.डी.बी. द्वारा गठित एम. एन. नाम्बियार स्मारक निधि	₹ 52,570.86	एम.एन.नाम्बियार ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम ऋण वितरण करने वाले ए.आर.डी.बैंक को प्रदान कराई जाती है।
5. पंजाब एस.सी.ए.आर.डी. बैंक द्वारा गठित पंजाब मुख्यमंत्री ट्रॉफी कोष	₹ 46,331.00	पंजाब मुख्य मंत्री ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष ऋण वसूली में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन करने वाले ए.आर.डी. बैंक को प्रदान कराई जाती है।
6. रजत जयन्ती कोष	₹ 3,27,405.10	इस कोष के अन्तर्गत फेडरेशन, वैमनिकॉम पुणे द्वारा संचालित व्यापार प्रबन्धन में परास्नातक डिप्लोमा करने वाले सदस्य बैंक के किसी एक कर्मचारी अथवा किसी सदस्य अथवा सदस्य के आश्रित को अध्येतावृत्ति हेतु ₹25000.00 प्रदान कराता है।
7. फेडरेशन द्वारा गठित एशियन रेफिसन सेण्टर कोष	₹ 1,42,632.18	---
योग	₹ 8,30,922.05	

VIII. सामान्य निकाय, प्रबन्ध समिति तथा कार्यकारिणी समिति

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय फेडरेशन के सदस्यों से बनता है, ये सदस्य सम्बन्धित बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व से गठित होता है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत् है:-

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।
2. असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी।
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना।
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।
5. गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद।
6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला।
7. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर।
9. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बेंगलूर।
10. केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, थिरुअनन्तपुरम।
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल।
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित, मुम्बई।
13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर।
14. पॉण्डिचेरी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पाण्डिचेरी।
15. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़।
16. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर।
17. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई।
18. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला।
19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ।
20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकता।
21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली।
22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी।
23. मेघालय राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शिलांग।

प्रबन्धन मण्डल

प्रबन्ध समिति उपनियम संख्या 20(iii) के अनुसार फेडरेशन की प्रबन्ध समिति में सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित 20 संचालक, एक संचालक केन्द्र सरकार द्वारा नामित, 2 संचालक बोर्ड द्वारा, प्रबन्ध निदेशक को छोड़ कर, जो पदेन (एक्स आफिसिओ) फेडरेशन का सदस्य है, होते हैं।

31.03.2013 को प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति थे:-

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
1.	श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए.अध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
2.	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित
3.	श्री वाय. वी. रेड्डी, उपाध्यक्ष (फरवरी 2012 तक) फरवरी 2012 से पद रिक्त (फरवरी 2012 में श्री कोल्लुकुडुरु वीर रेड्डी एपीएससीबी के अध्यक्ष निर्वाचित)	आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
4.	श्री किशन सिंह भटोल, उपाध्यक्ष	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
5.	श्री नारायण रूपिनी एम.एल.ए. उपाध्यक्ष (अगस्त 2012 तक) अगस्त 2012 से पद रिक्त (बैंक से हुये संवाद दिनांक 16.08.2012 के क्रम में श्री ज्योतिलाल दत्ता ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।)	त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
6.	श्री बिजय कुमार सिंह	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित पटना।
7.	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
8.	डा. ब्रिजेन्द्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
9.	श्री ईश्वर भाई बी. चौधरी	गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
10.	श्री आर. जी. एन मूले (अगस्त 2012 तक) अगस्त 2012 से पद रिक्त बैंक से हुये संवाद दिनांक 28.08.2012 के क्रम में श्री उल्हास बी. फालदेसाई ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।)	गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
11.	श्री दिलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
12.	श्री एस. एस. चौहान	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

13.	श्री ए आर. शिवराम	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
14.	डा. सुभाष माने	महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित
15.	श्री ए. अरिवाजगन	पण्डिचेरी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
16.	श्री अशोक कुमार फौजदार	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित
17.	श्री एम. मोहन	तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
18.	श्री नवल किशोर (अप्रैल 2012 तक रहे) अप्रैल 2012 से पद रिक्त (श्री राम जतन यादव ने अप्रैल 2012 में प्रबन्ध निदेशक का पद भार ग्रहण किया। श्री शिवपाल सिंह यादव फरवरी 2013 में अध्यक्ष निर्वाचित। सामान्य निकाय के लिये नामांकन प्राप्त किया जा रहा है।)	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित
19.	श्री डब्ल्यू.के. किन्डिया	मेघालय राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
20.	श्री के. के. रविन्द्रन	(एक्स आफिसिओ)

वर्तमान प्रबन्धन मण्डल की 5 वर्ष कार्य अवधि 10 अक्टूबर 2013 को समाप्त होगी।

कार्यकारिणी समिति

1. श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए. अध्यक्ष
2. श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष पंजाब एस.सी.ए.आर.डी.बी
3. श्री वाई.वी.रेड्डी, अध्यक्ष आंध्रप्रदेश एस.सी.बी.
4. डा. ब्रिजेन्द्र सिंह, प्रेसीडेण्ट दिल्ली एस.सी.बी.
5. श्री ए.आर.शिवराम, प्रेसीडेण्ट कर्नाटक एस.सी.ए.आर.डी.बी
6. श्री बिजय कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार आर.एस.बी.वी.बी.
7. श्री दिलीप सिंह यादव, निदेशक हरियाणा एस.सी.ए.आर.डी.बी
8. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री अशोक कुमार फौजदार, अध्यक्ष राजस्थान आर.एस.बी.वी.बी.

प्रशासनिक समिति

1. श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए. अध्यक्ष

2. श्री सुखदर्शन सिंह प्रार, अध्यक्ष पंजाब एस.सी.ए.आर.डी.बी.
3. श्री किशन सिंह भटोल अध्यक्ष मध्यप्रदेश एस.सी.ए.आर.डी.बी.
4. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामान्य निकाय, विशिष्ट सामान्य निकाय, प्रबन्ध समिति तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकें:-

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सम्पन्न सामान्य निकाय, प्रबन्धन मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकें आयोजन तिथि व स्थान सहित नीचे दी जा रही हैं:-

बैठकें	स्थान	दिनांक
(अ) सामान्य निकाय (52वीं बैठक)	श्रीनगर (जे एण्ड के)	7 अगस्त 2012
(ब) प्रबन्धन मण्डल		
136 वीं बोर्ड बैठक	दिल्ली	23 अप्रैल 2012
137 वीं बोर्ड बैठक	श्रीनगर (जे एण्ड के)	7 अगस्त 2012
138 वीं बोर्ड बैठक	गोवा	15 दिसम्बर 2012
139 वीं बोर्ड बैठक	जयपुर	16 मार्च 2013
(स) कार्यकारिणी समिति की बैठक		
	दिल्ली	23 अप्रैल 2012
	गोवा	15 दिसम्बर 2012

बोर्ड की बैठकों में सदस्य बैंकों के व्यवसाय की समीक्षा के अतिरिक्त मुख्य रूप से ग्रामीण साख से सम्बन्धित नीतियों एवं उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दों पर निरन्तर विचार विमर्श किया जाता रहा है।

प्रतिवेदित वर्ष में प्रबन्ध समिति में सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रिया कलापों तथा ऋण पत्र निर्गमन, ऋण वितरण तथा वसूली आदि कार्यों की सामयिक समीक्षा के अतिरिक्त बैठकों में निम्नांकित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया:-

1. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के परिप्रेक्ष में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त नीति में परिवर्तन।
2. दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के लिये पुनरुद्धार पैकेज।
3. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के लिये पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों का प्रारम्भ।
4. नाबार्ड के स्वैच्छिक निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का मूल्यांकन।
5. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो।
6. नाबार्ड द्वारा सुझायी गयी अनेक समितियों की बैठक का एजेण्डा।
7. 2011-12 का आर्थिक परिदृश्य।
8. केन्द्रीय बजट 2012-13 के मुख्य अंश।

9. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2012 पर आई.सी.ए. का संदेश ।
10. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 तक के मुख्य संचालन क्षेत्रों में उपलब्धियों (कार्य निष्पादन) की समीक्षा ।
11. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों का जोखिम आंकलन ।
12. ऋण वसूली का सूक्ष्म प्रबन्धन ।
13. 8 मई 2012 को फेडरेशन के प्रतिनिधियों की नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक ।
14. 21 जून 2012 को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक ।
15. वर्ष 2012-13 में एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के ऋण पत्रों में भारत सरकार का योगदान ।
16. वर्ष 2012-13 के लिये एग्री-क्लीनिक तथा एग्री-बिज़नेस सेण्टर योजना को जारी बनाये रखना ।
17. एग्री-क्लीनिक तथा एग्री बिज़नेस सेण्टर की भारत सरकार की योजना के लिये मानकीकृत ऋण प्रार्थनापत्र ।
18. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 7 जुलाई 2012 के अवसर पर आई.सी.ए. का संदेश ।
19. दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में मुद्दे ।
20. दिनांक 20 सितम्बर 2012 को चण्डीगढ़ सत्र में सम्पन्न प्रमुख सचिव (सहकारिता) का सम्मेलन ।
21. आन्तरिक पहल से दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना का पुनरुत्थान ।
22. 3 अगस्त 2012 से लागू पुनर्वित्त की ब्याज दर ।
23. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की अप्रैल से सितम्बर 2012 तक के मुख्य संचालन क्षेत्रों में उपलब्धियां (कार्य निष्पादन) ।
24. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा सुधार की पहल के लिये कोर ग्रुप का विधान ।
25. सॉफ्टकाब (SOFTCOB) के अन्तर्गत एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों द्वारा संचालित जेएलटीसी (JLTCs) को वित्तीय सहायता ।
26. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज दर-नाबार्ड से पुनर्वित्त पर जोखिम लागत से सम्बन्धित अतिरिक्त ब्याज को माफ़ करने का अनुरोध ।
27. नाबार्ड अधिनियम 1991 में संशोधन ।
28. फेडरेशन पर लागू संविधान का अधिनियम 2011 (97 वां संशोधन) ।
29. फसली ऋण के ब्याज में छूट (अनुदान) योजना को दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (LTCCS) वाली संस्थाओं के लिये बढ़ाये जाने के लिये अनुरोध ।
30. एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक के मुख्य संचालन क्षेत्रों में उपलब्धियां (कार्य निष्पादन) ।
31. केन्द्रीय बजट 2013-14 के मुख्य अंश ।

IX. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन ने जिनसे अपनी सदस्यता बनाये रखी—

- 1). भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.)
- 2). इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आई.एम.सी.)
- 3). इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आई.बी.ए.)
- 4). अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कृषि बैंकिंग में प्रशिक्षण का केन्द्र (सी.आई.सी.टी.ए.बी.) ।
- 5). इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन ।

फेडरेशन अंशधारक के रूप में इन संस्थानों से भी सदस्यता बनाये हुये है—

- 1). नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (NAFFAC) नई दिल्ली ।
- 2). इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि. (ITC), नई दिल्ली ।
- 3). कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (COBI) नई दिल्ली ।

इनमें से कुछ संस्थाओं के प्रबन्धन पर फेडरेशन का प्रतिनिधित्व रहता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन ने इनसे अपनी सम्बद्धता बनाये रखी है:—

- 1). अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (आई.सी.ए.), जेनेवा, स्विटज़रलैण्ड ।
- 2). इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आई.आर.यू.) बॉन, जर्मनी ।
- 3). एशिया एण्ड पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (APRACA) बैंगकॉक थाईलैण्ड ।

इन अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से सम्बद्धता ने फेडरेशन तथा सदस्य बैंकों को अपने पारस्परिक हितों के मामलों पर वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर साथी सदस्यों से आपस में विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया है ।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रतिनिधित्व – राष्ट्रीय स्तर पर

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन ने नाबार्ड, आर.बी.आई., एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. इत्यादि सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अनेक अभिकरणों से घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखे ।

फेडरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, एनसीयूआई, कोबी (COBI) इत्यादि द्वारा गठित निकायों एवं समितियों में भी – या तो नामित किये गये अथवा उनके प्रतिनिधित्व को बनाये रखा गया । उन्होंने संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में अपनी सहभागिता के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर बुलाई गई अनेक बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लिया ।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय निम्नांकित समितियों/बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किये गये/उनका प्रतिनिधित्व रहा :-

- (i) उपाध्यक्ष, एनसीयूआई ।
- (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल बैंकिंग के न्यासी मण्डल ।
- (iii) एनसीयूआई द्वारा गठित सहकारी शिक्षा के लिये समिति में सदस्य ।
- (iv) नेफेक (NAFFAC) के संचालक मण्डल के सदस्य ।
- (v) सदस्य, सहकारी प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद ।
- (vi) सदस्य, आई.सी.ए. ग्लोबल एसेम्बली ।
- (vii) सदस्य, आई.सी.ए. ए.पी. जनरल एसेम्बली ।
- (viii) अध्यक्ष, रीजनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोएिशन ऑफ आई.सी.ए.-ए.पी. ।
- (ix) सदस्य, आई.आर.यू. की सामान्य निकाय ।

प्रतिवेदित वर्ष में प्रबन्ध निदेशक भी निम्नांकित समितियों/बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किये गये/उनका प्रतिनिधित्व रहा :-

- (i) सदस्य, महा परिषद-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
- (ii) उपाध्यक्ष, आई.सी.ए. की ग्लोबल एचआरडी समिति ।
- (iii) सदस्य, महा परिषद एप्राका (APRACA) ।
- (iv) आई.सी.ए. ए.पी. कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट ।
- (v) सदस्य, संचालन परिषद, इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन ।
- (vi) सदस्य, संचालन परिषद तथा कमेटी ऑफ डाइरेक्टर्स ऑफ सी.आई.सी.टी.ए.बी. (CICTAB) ।

X. आभार स्वीकार

अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि के अपने प्रयासों के अन्तर्गत, फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये हैं। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार तथा सचिव कृषि, अतिरिक्त सचिव तथा केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियों सहित मंत्रालय के अधिकारियों को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता हैं।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है साथ ही दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये नेतृत्व प्रदान करता रहा है। नाबार्ड, प्रतिवेदित वर्ष में भी एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को अपना पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है यद्यपि सहयोग की मात्रा में कमी आई है तथा एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुतः उसकी लागत में वस्तुतः वृद्धि हुई है, हमें विश्वास है कि वे नई नीतियां अवश्य बदली जायेंगी। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

एन.सी.डी.सी., एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है जिससे उन्हें अपने सदस्यों की ऋण सम्बन्धी ज़रूरतों को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली। हम एन.सी.डी.सी. के प्रबन्धन मण्डल के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रियाकलापों में करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये श्री चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी डा. दिनेश के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रबन्धन मण्डल माननीय सांसदों विशेष रूप से श्री पी. जे. कुरियन, उपाध्यक्ष राज्य सभा तथा श्री एन्टो एन्थोनी, सदस्य लोक सभा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिन्होंने दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के मुद्दों को आगे बढ़ा कर भारत सरकार के साथ बैठक आयोजन कराने में अहम भूमिका निर्वहन की।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति आभार की अन्तस भावना प्रकट करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए.

जिन्होंने श्री सुखदर्शन सिंह म्रार एवं श्री किशन सिंह भटोल माननीय उपाध्यक्ष के कुशल सहयोग के साथ फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना के चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हुये अपना बहुमूल्य योगदान दिया, के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

**के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए.
अध्यक्ष**

तालिका 1 . उधार राशियां

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	वर्ष 2012.13 के दौरान एकत्रित				महा योग	
		नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार से	राज्य सरकार से	अन्य (एनसीडीसी/हुडको/एनएचबी)	2012-13 (3+4+5+6)	(2011-12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	17211.00	956.00	956.00	22100.00	41223.00	54982.00
2.	हिमांचल प्रदेश	0.00	0.00	1057.00	0.00	1057.00	0.00
3.	कर्नाटक	7999.77	164.42	400.00	0.00	8564.19	16035.57
4.	केरल	68242.66	0.00	0.00	20000.00	88242.66	94636.74
5.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	392.18	392.18	436.98
6.	पंजाब	45074.55	0.00	0.00	0.00	45074.55	40096.72
7.	राजस्थान	19969.28	1109.41	1109.41	0.00	22188.10	20514.39
8.	तमिल नाडु	0.00	0.00	0.00	10250.00	10250.00	11550.15
9.	त्रिपुरा	0.00	0.00	11.87	0.00	11.87	5.88
10.	पश्चिम बंगाल	15633.40	0.00	0.00	0.00	15633.40	14289.71
	योग (1 से 10 तक)	174130.66	2229.83	3534.28	52742.18	232636.95	252548.14

तालिका 2 . उधार राशियों का अवशेष

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2013 को अवशेष				महायोग	
		नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/हुडको/एनएचबी)	जैसा कि 31.03.2013 को था (3+4+5+6)	जैसा कि 31.03.2012 को था
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	0.00	57.48	145.02	12.00	214.50	214.50
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	2688.53	2688.53	2688.53
3.	छत्तीसगढ़	10714.27	263.98	210.16	0.00	11188.41	13554.30
4.	गुजरात	6671.07	154.97	0.00	106.31	6932.35	10061.42
5.	हरियाणा	182943.00	4869.00	4895.00	23650.00	216357.00	232000.30
6.	हिमांचल प्रदेश	16731.15	616.06	1077.30	22.00	18446.51	20984.23
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
8.	कर्नाटक	145925.13	555.29	155.29	0.00	146635.71	154923.48
9.	केरल	246201.53	1627.44	1627.43	34408.31	283864.71	245349.25
10.	मध्य प्रदेश	67428.71	2810.18	3953.92	0.00	74192.81	84686.46
11.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	6639.14	83427.84	90066.98	90066.98
12.	उड़ीसा	0.00	541.21	5603.41	1.64	6146.26	6146.26
13.	पाण्डिचेरी	4.77	0.25	1.12	785.83	791.97	721.00
14.	पंजाब	211158.46	865.81	282.17	0.00	212306.44	204860.31
15.	राजस्थान	118924.27	3366.30	3646.06	0.00	125936.63	125879.90
16.	तमिल नाडु	0.00	0.00	6389.88	9752.00	16141.88	16672.87
17.	त्रिपुरा	3515.00	0.00	0.00	0.00	3515.00	3793.00
18.	उत्तर प्रदेश	195447.17	3969.56	3973.92	0.00	203390.65	255529.90
19.	पश्चिम बंगाल	84395.53	399.36	433.55	61.44	85289.88	82468.16
	योग (1 से 19 तक)	1290060.06	20376.17	39370.09	154915.90	1504722.22	1551216.85

तालिका 3 . जमा संग्रहण कार्यक्रम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	जमा संग्रहण व वृद्धि की अवधि		अंकित तिथि को जमा अवशेष	
		2012-13	2011-12	31-03-2013	31-03-2012
1.	असम	14.44	15.00	24.76	26.79
2.	छत्तीसगढ़	1888.93	1671.51	2015.06	2122.55
3.	गुजरात	16785.67	12523.57	20558.79	15213.61
4.	हिमाचल प्रदेश	1066.68	549.20	3483.34	2416.66
5.	जम्मू एण्ड कश्मीर	928.68	1025.81	2209.50	1280.82
6.	कर्नाटक	3460.99	2445.38	8442.07	6662.10
7.	केरल	22311.45	136.15	10124.35	136.15
8.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6451.60	9122.66
9.	उड़ीसा	0.00	0.00	112.10	115.23
10.	पाण्डिचेरी	721.23	746.87	1096.72	930.77
11.	पंजाब	6071.00	2459.00	13054.46	6983.77
12.	राजस्थान	268.12	467.61	677.67	616.70
13.	तमिल नाडु	16865.87	5270.57	14826.12	4797.82
14.	उत्तर प्रदेश	2817.85	6370.96	5523.06	7533.54
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	13454.05	11636.25
	योग (1 से 15 तक)	73200.91	33681.63	102053.65	69595.42

तालिका-4 ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	2012-13 में वितरित		महा योग		31 मार्च 2013 को अवशेष		कुल अवशेष	
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी /अन्य ऋण सहित)	2012-13** (3+4)	(2011-12)	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी/ अन्य ऋण सहित)	31.03.2013 को ** (7+8)	31-03-2012 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	0.00	18.57	18.57	4.33	491.25	350.87	842.12	877.51
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.न.	प्र.न.	5772.71	5772.71
3.	छत्तीसगढ़	2.82	19.51	22.33	152.59	14335.70	353.18	14688.88	16197.74
4.	गुजरात	16704.27	2304.54	19008.81	17861.80	54143.11	3846.25	57989.36	56511.13
5.	हरियाणा	14524.00	2772.00	17296.00	39437.00	163989.00	35536.00	199525.00	209967.00
6.	हिमांचल प्रदेश	1621.52	1092.43	2713.95	4604.38	13130.29	8722.71	21853.00	24681.90
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	574.30	105.39	679.69	692.93	1545.13	473.89	2019.02	1618.17
8.	कर्नाटक	21551.49	219.76	21771.25	20879.54	131876.02	2431.54	134307.56	133560.42
9.	केरल*	36289.01	117407.81	153696.82	126500.49	प्र.न.	प्र.न.	329575.75	267547.79
10.	मध्य प्रदेश*	0.00	0.00	0.00	5425.73	प्र.न.	प्र.न.	70769.70	77055.07
11.	महाराष्ट्र #	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.न.	प्र.न.	39544.62	39544.62
12.	उड़ीसा #	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.न.	प्र.न.	2205.00	2205.00
13.	पाण्डिचेरी	0.00	1658.86	1658.86	1419.59	10.88	1920.84	1931.72	1760.88
14.	पंजाब *	30748.03	12418.33	43166.36	48708.82	प्र.न.	प्र.न.	231720.35	229515.50
15.	राजस्थान #	12716.75	5549.43	18266.18	22946.39	प्र.न.	प्र.न.	135499.80	135499.80
16.	तमिल नाडु	0.00	29925.77	29925.77	45527.98	2163.88	67382.45	69546.33	62123.26
17.	त्रिपुरा *	119.00	523.00	642.00	769.00	प्र.न.	प्र.न.	3035.00	3002.00
18.	उत्तर प्रदेश #	4514.19	1067.63	5581.82	56814.73	प्र.न.	प्र.न.	369185.32	369185.32
19.	पश्चिम बंगाल	12529.60	3523.58	16053.18	22485.62	74114.78	31931.01	106045.79	102061.47
	योग (1 से 19 तक)	151894.98	178606.61	330501.59	414230.92	455800.04	152948.74	1796057.03	1738687.29

नोट - (1) प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं (2) * द्विभाजन नहीं दिया गया। (3) ** अन्वीक्षामक राशियाँ
(4) रु 31.03.2012 को ऋण अवशेष की स्थिति को 2012-13 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

तालिका ५ . लाभ / हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2013 को स्थिति **	31.03.2012 को स्थिति
1.	असम	(281.95)	(500.59)
2.	छत्तीसगढ़	प्र.न.	(1962.97)
3.	गुजरात	3751.59	3725.42
4.	हरियाणा	(699.00)	1576.00
5.	हिमांचल प्रदेश	39.00	105.29
6.	जम्मू एण्ड कश्मीर	(5270.00)	(4933.28)
7.	कर्नाटक	15.87	13.87
8.	केरल	2065.21	2016.60
9.	मध्य प्रदेश	प्र.न.	(12932.60)
10.	उड़ीसा	(132.50)	(134.60)
11.	पॉण्डिचेरी	(153.93)	(129.49)
12.	पंजाब	2710.00	2070.63
13.	राजस्थान	296.80	1912.11
14.	तमिल नाडु	प्र.न.	219.37
15.	त्रिपुरा	1631.00	1540.00
16.	उत्तर प्रदेश	प्र.न.	(6486.66)
17.	पश्चिम बंगाल	5.86	74.39

नोट - (1) प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं (2) कोष्ठक में अंकित राशियां हानि इंगित करती है।

(3) ** अन्वीक्षात्मक आंकड़े

तालिका ६ - गैर निष्पादित आस्तियां (एन. पी. ए.)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31 मार्च 2013 को एनपीए की स्थिति			31 मार्च 2012 को एनपीए की स्थिति		
		कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां *	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %	कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	842.12	822.11	97.62	877.51	872.95	99.48
2.	बिहार *	5772.71	5493.39	95.16	5772.71	5493.39	95.16
3.	छत्तीसगढ़ *	16197.74	9613.32	59.35	16197.74	9613.32	59.35
4.	गुजरात	57989.36	23271.16	40.13	56511.13	24614.77	43.56
5.	हरियाणा	220136.00	64888.00	29.48	224825.00	72659.00	32.32
6.	हिमाचल प्रदेश	23199.57	11166.09	48.13	26132.91	11318.65	43.31
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	2019.02	276.28	13.68	1618.17	340.77	21.06
8.	कर्नाटक	134307.56	36037.05	26.83	133560.42	36401.06	27.25
9.	केरल	326474.36	11203.67	3.43	263393.83	8803.52	3.34
10.	मध्य प्रदेश	108178.18	84242.70	77.87	112923.28	74794.14	66.23
11.	महाराष्ट्र *	113319.08	111062.53	98.01	113319.08	111062.53	98.01
12.	उड़ीसा *	10646.96	10646.96	100.00	10646.96	10646.96	100.00
13.	पॉण्डिचेरी	1931.72	77.56	4.02	1760.88	83.82	4.76
14.	पंजाब	217347.54	6662.00	3.07	216162.46	6317.82	2.92
15.	राजस्थान	141035.80	54122.66	38.38	144387.76	42563.18	29.48
16.	तमिल नाडु	151522.4	23278.34	15.36	142138.97	20709.83	14.57
17.	त्रिपुरा	3034.00	1134.00	37.38	3002.00	862.00	28.71
18.	उत्तर प्रदेश *	321762.45	188919.54	58.71	321762.45	188919.54	58.71
19.	पश्चिम बंगाल	106045.79	19962.46	18.82	102061.47	16857.32	16.52
	योग (1 से 19 तक)	1961762.36	662879.82	33.79	1897054.73	642934.57	33.89

(2) * अन्वीक्षात्मक आंकड़े

नोट - (1) प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं

(3) 31 मार्च 2012 को ऋण अवशेष तथा एनपीए की स्थिति को 2012-13 की स्थिति की समीक्षा के लिये लिया गया क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाने तक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।



५३ वीं

वार्षिक रिपोर्ट

२०१२ - १३

तालिका 7 - वसूली उपलब्धि


(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीआरडी बैंक का नाम	अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर									
		30.06.2011 की स्थिति					30.06.2012 की स्थिति				
		मांग	संग्रहण (वसूली)	अवशेष	मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत	मांग	संग्रहण (वसूली)	अवशेष	मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	असम	327.36	45.90	281.46	14.02	586.11	41.71	544.40	7.12		
2.	बिहार	32044.06	1179.91	30864.15	3.68	34761.69	3615.31	31146.38	10.40		
3.	छत्तीसगढ़	10234.81	4870.17	5364.64	47.58	9907.19	4176.56	5730.63	42.16		
4.	गुजरात	59731.22	28206.05	31525.17	47.22	55685.93	26340.17	29345.76	47.30		
5.	हरियाणा	156921.01	54350.47	102570.54	34.64	167012.93	64489.39	102523.54	38.61		
6.	हिमांचल प्रदेश	12127.57	5367.69	6759.88	44.26	13485.76	6859.12	6626.64	50.86		
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	1174.26	312.12	862.14	26.58	1240.13	476.56	763.57	38.43		
8.	कर्नाटक	70390.17	38311.90	32078.27	54.43	56022.62	30360.70	25661.92	54.19		
9.	केरल	96356.47	69033.54	27322.93	71.64	108297.17	78440.50	29856.67	72.43		
10.	मध्य प्रदेश	76691.54	21581.70	55109.84	28.14	82874.08	14509.86	68364.22	17.51		
11.	महाराष्ट्र	73619.05	16377.23	57241.82	22.25	73619.05	16377.23	57241.82	22.25		
12.	उड़ीसा	2148.51	250.32	1898.19	11.65	2241.15	126.74	2114.41	5.66		
13.	पाण्डिचेरी	1358.24	1299.11	59.13	95.65	1557.17	1493.18	63.99	95.89		
14.	पंजाब	121183.75	72263.55	48920.20	59.63	118894.90	73300.78	45594.12	61.65		
15.	राजस्थान	110753.50	50114.67	60638.83	45.25	108461.02	43494.64	64966.38	40.10		
16.	तमिल नाडु	30423.72	15175.84	15247.88	49.88	77039.59	53297.42	23742.17	69.18		
17.	त्रिपुरा	1160.00	816.07	343.93	70.35	1230.00	893.01	336.99	72.60		
18.	उत्तर प्रदेश	154507.93	77405.25	77102.68	50.10	228980.07	39592.64	189387.43	17.29		
19.	पश्चिम बंगाल	44253.13	20634.96	23618.17	46.63	42271.15	24251.03	18020.12	57.37		
	योग (1 से 19 तक)	1055406.30	477596.45	577809.85	45.25	1184167.71	482136.55	702031.16	40.72		

तालिका 8 . सामान्य प्रशासनिक आंकड़े (31 मार्च 2012 को)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	शाखायें (एकात्मक/ मिश्रित संरचना)	पीसीएआरडी बैंक (संघीय/ मिश्रित संरचना)	पीसीएआरडी शाखायें (संघीय ढांचा)	कुल सदस्यता	ऋणी सदस्य	निर्वाचित बोर्ड (हां/नहीं)	निर्वाचित युक्त पीसीएआरडी बैंक	एससीएआरडी बैंकों में कर्मचारी	पीसीएआरडी बैंकों में कर्मचारी	(संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	असम	28	0	0	39106	3204	हां	ला.न.	229	ला.न.	
2.	बिहार	131	0	0	715093	241309	नहीं	ला.न.	718	ला.न.	
3.	छत्तीसगढ़		12	77	214235	52018	हां	12	53	354	
4.	गुजरात	181	0	0	675723	675723	हां	ला.न.	430	ला.न.	
5.	हरियाणा	0	19	87	736270	293627	हां	19	129	1309	
6.	हिमाचल प्रदेश	33	1	16	75633	42000	हां	1	122	61	
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	45	0	0	92447	73439	नहीं	ला.न.	149	ला.न.	
8.	कर्नाटक	0	177	23	992205	611778	हां	175	369	1007	
9.	केरल	14	63	130	1140551	757206	हां	62	323	1111	
10.	मध्य प्रदेश	7	38	268	396320	275540	नहीं	34	306	1738	
11.	महाराष्ट्र	0	29	187	1143209	6622	नहीं	2	159	1319	
12.	उड़ीसा	0	46	0	820590	4365	नहीं	0	75	93	
13.	पाण्डिचेरी	1	0	0	15946	3866	नहीं	प्र.न.	33	प्र.न.	
14.	पंजाब	0	89	0	860906	225997	हां	78	220	570	
15.	राजस्थान	7	36	131	1232185	736036	हां	ला.न.	129	661	
16.	तमिल नाडु		180	18	1285979	252961	नहीं	0	140	588	
17.	त्रिपुरा	5	0	0	6872	4710	हां	ला.न.	49	ला.न.	
18.	उत्तर प्रदेश	323	0	0	2396071	2161256	नहीं	ला.न.	2865	ला.न.	
19.	पश्चिम बंगाल	2	24	68	377906	239735	हां	15	143	573	
	योग (1 से 19 तक)	777	714	1005	13217247	6661392		398	6641	9384	

नोट :- (1) ला.न. का तात्पर्य लागू नहीं । (2) प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वी मंझिल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४११४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com
वेबसाईट : www.nafcard.org.

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.): 022 - 27814224
Fax: 91-22-27814225
E-mail: nafcard.org@gmail.com
Website: www.nafcard.org